Thursday, 01 April, 1971

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 1 में अंक 1 से 12 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 12]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11, गुरुवार, 1 अप्रैल, 1971/11 चैत्र, 1893 (शक)

No. 11, Thursday, April 1, 1971/Chaitra 11, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

67. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की औद्योगिक संबंध सुधारने की माँग	AITUC Demand to improve Industrial Relations	1—5
68. आकाशवाणी से तर्कबुद्धिवादी विचारों का प्रचार	Propagation of Rationalist ideas over AIR	5—6
69. बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Unemployment	7—9
70. चीनी के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Sugar	9—12
71. कराकोराम राजपथ खोलने के बारे में आकाशवाणी का समाचार बुलेटिन	AIR News Bulletin re : Opening of Karakoram Highway ...	12—13
72. समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार	Monopolies in Newspaper Industry ...	I3—15
73. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती तथां पदोन्नति के लिए आदर्श नियम	Model Rules for Recruitment and Promotion in Public Sector Undertakings ...	I5 -17
75. चंडीगढ़ के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Chandigarh Outstees ...	17—19
76. आंध्र प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री में कथित अनियमितताओं की जांच	Enquiry into Alleged Irregularities in Sale of Fertilisers in Andhra Pradesh ...	18—20

अल्प-सूचना प्रश्न/SHORT-NOTICE QUESTION

1. प्रधान खुंटा और धनबाद स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना	Accident to Rajdhani Express between Pradhan Khunta and Dhanbad Stations (Eastern Railway) ...	20—21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

74.	कृषि के विकास के लिए मैसूर को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Mysore for Development of Agriculture ...	21—22
77.	नियंत्रित एवं खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क को समान किया जाना तथा चीनी का सुरक्षित भंडार	Equalisation of Excise duty on Free and Levy Sugar and its Buffer Stock	22
78.	उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद और रुड़की में टेलीफोन कनैक्शन देने में विलम्ब	Delay in Grant of Telephone Connections in Najibabad and Roorkee, U. P.	22
79.	ग्रामीण रोजगार के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन	Reserve Bank study on Rural Employment ...	23—24
80.	केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को उड़ीसा इंजीनियरी उद्योगों में लागू करना	Implementation of recommendations of Central Wage Board for Engineering Industries in Orissa	24
81.	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पास चीनी का जमा भंडार तथा चीनी संबंधी नीति में परिवर्तन	Accumulation of stock of sugar with Central and State Governments and Change in Sugar Policy	24
82.	दरभंगा में मिथिला प्रसारण केन्द्र की स्थापना	Mithila Broadcasting Station at Darbhanga	25
83.	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ने की बकाया राशि	Sugarcane Arrears outstanding against Sugar Mills in Uttar Pradesh	25
84.	रांची में डाक व तार कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले	Court cases against P and T Employees at Ranchi ...	25—26
85.	राजनीतिक दलों द्वारा रेडियो से प्रसारण	Radio Broadcasts by Political Parties	26
86.	चलचित्रों के सेंसर करने संबंधी सिद्धान्त	Principles governing Film Censorship	26
87.	कृषकों के लिए संग्रह की सुविधाएं और उनके उत्पादनों के उचित मूल्य	Storage facilities and reasonable price of products to Farmers	27
88.	कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के संबंध में अमरीकी विशेषज्ञ के विचार	Views of an American Expert on achieving increased yield in Agriculture	27
89.	आर० एस०-09 ट्रैक्टरों में दोष	Defects in RS-09 Tractors	28
90.	आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्रों का विस्तार	Expansion of AIR and T. V. Stations ...	29

विषय		Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
109.	नई हिन्दी सलाहकार समिति स्थापित करना	Setting up of new Hindi Advisory Committee ...	29
110.	चीनी, गुड़ और खाण्डसारी का उत्पादन और उत्पादन शुल्क की वसूली	Production of Sugar, Gur and Khandsari and realisation of Excise Duty ...	29—30
111.	नलकूप लगाने के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat for Sinking of Tube Wells ...	30—31
112.	अनाज के संबंध में आयात नीति	Import Policy for Foodgrains ...	31
113.	आकाशवाणी के कुड्डापेह केन्द्र से रायलसीमा के लिए प्रसारण	Relay from AIR Cuddapah for Rayalseema	31
114.	मध्य प्रदेश को गेहूँ, चावल तथा चीनी की सप्लाई	Supply of Wheat, Rice and Sugar to Madhya Pradesh ...	31—32
115.	मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के अलाटियों द्वारा पूरा भुगतान न किया जाना	Houses not fully paid for by Allottees in Malviya Nagar, New Delhi ...	32—33
116.	दिल्ली की विस्थापित बस्तियों में अलाटियों द्वारा भुगतान नहीं किये गये मकानों की बिक्री	Disposal of Houses not fully paid for by Allottees in Rehabilitation colonies in Delhi	33
117.	दिल्ली की विस्थापित बस्तियों में प्लाटों पर अनधिकृत कब्जा	Unauthorised occupation of plots in Rehabilitation colonies in Delhi	34
118.	दिल्ली की विस्थापित बस्तियों में खाली प्लाटों का निपटान	Disposal of vacant plots in Rehabilitation colonies in Delhi ...	34—35
119.	31 जनवरी, 1971 तक टेलीफोन तथा तार सुविधाओं वाले डाकघर	Post Offices with Telephone and Telegraph facility as on the 31st January, 1971	36
120.	31 जनवरी, 1971 को कार्य कर रहे डाकघर	Working of Post Offices as on 31st January, 1971 ...	36—37
121.	कपास का उत्पादन	Production of Cotton ...	37—38
122.	शिक्षित बेरोजगारों के लिए भूमि-सेना (लैंड-आर्मी)	Land Army of Educated Unemployed	38
123.	उड़ीसा के पुरी और बरहामपुर में सार्वजनिक टेलीफोन घरों का खोला जाना	Opening of Public call offices in Puri and Berhampur in Orissa ...	38
124.	कानपुर की कपड़ा मिलों में कपड़ा मजूरी बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Textile Wage Board Award in Textile Mills in Kanpur ...	39—40

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

125.	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस एजेन्सी में बदला जाना	Conversion of PTI into International Press Agency	40
126.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूँ के आयात का बन्द किया जाना	Stoppage of Import of Wheat under PL-480 ...	40—41
127.	इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० में टेलीग्राफ और टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	Officers of Telegraph and Telephone Engineering Department on deputation to Indian Telephone Industries Ltd. ...	41
128.	छोटे किसानों को सहायता	Aid to small Farmers ...	42—43
129.	विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा	Job security to Employees in Foreign Oil Companies	43
130.	रोजगार की व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना	Preference in Employment to local people ...	43—44
131.	दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन	Supply of Newsprint to Dailies ...	44—45
132.	खुली बिक्री के लिए चीनी की मात्रा	Quantity of Sugar for Free Sale	45
133.	वाणिज्य विज्ञापनों से आकाशवाणी को होने वाली आय	AIR Earnings from Commercial Advertisements ...	45—46
134.	खाद्य तेलों की कमी	Shortage of Edible Oils	46
135.	मुहम्मद बिन तुगलक नामक फिल्म	Film Mohammad Bin Tughlak	46
136.	चीनी उद्योगों के लिए द्वितीय केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यन्वयन	Implementation of Recommendation of Second Central Wage Board for Sugar Industry	47
137.	उड़ीसा में केन्द्रीय बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Recommendations of Central Electricity Wage Board in Orissa	47
138.	उर्वरकों की वितरण प्रणाली में सुधार करना	Streamlining of Distribution of Fertilizers	48
139.	राजस्थान में लघु सिंचाई कार्य	Minor Irrigation works in Rajasthan	48
140.	रांची के डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी	Payment of Project Allowance to P&T Employees at Ranchi ...	48—49
141.	राज्यों में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार	Educated and Uneducated Unemployed in States ...	49—51
142.	ऐसे भारतीय लोगों को अंतरिम राहत देना जिनकी सम्पत्ति पूर्व पाकिस्तान में रह गई है	Interim Relief to Indians who lost property in East Pakistan ...	51—52

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. os.		

143. मध्य प्रदेश के देवास जिले के कंटाफोड़ ग्राम में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange at Kantaphor in Devas District, Madhya Pradesh	52
144. अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन का माँग-पत्र	All India Employees' Provident Fund Staff Federation Charter of Demands ...	52—54
145. बिहार सर्किल के रेलवे मेल सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके उनका उत्पीड़न	Victimisation of R. M. S. Employees of Bihar Circle by way of Transfers	54
146. राष्ट्रीय कृषि आयोग	National Commission on Agriculture ...	54—55
147. जर्मन लोकतंत्रामक गणराज्य के ट्रैक्टर	Tractors from GDR ...	55—56
148. पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसर	Investment and Employment opportunities ...	56—57
149. मध्य प्रदेश के मन्दसौर तथा रतलाम जिलों में टेलीफोन केन्द्रों की सुविधाएं	Telephone Exchange facilities in Mandsaur and Ratlam Districts of M. P. ...	57—58
150. आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से आय	Income out of advertisements over AIR	58
151. मध्य प्रदेश के मुरेना जिले में डाक व तार घरों का खोला जाना	Opening of Post and Telegraph Offices in Morena District in Madhya Pradesh ...	58—59
152. मध्य प्रदेश के मुरेना जिले में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Morena Districts of Madhya Pradesh	59
153. राज्यों में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Stations in States	60
154. कपास के लिए समान बैंकिंग और मूल्य नियंत्रण नीति	Uniform Banking and Price Control Policy for Cotton	60
155. सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचार पत्नों को अदा की गई राशि	Amount paid to Newspapers on Account of Government Advertisements	61
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	61—66
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	66
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on President's Address ...	67—96
श्री दिनेश चन्द गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami...	67—68
श्री विजय पाल सिंह	Shri Vijay Pal Singh ...	68
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	Shri matiLakshmi Kanthamma...	68
श्री चन्दुलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar ...	68—69
डा० जी० एस० मेलकोटे	Dr. Melkote ...	69—71
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh	73
श्री एस० अब्दुल कादर	Shri Abdul Kadar	73

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	...	73—74
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri Ganga Reddy	...	74
श्री इन्दुलाल याज्ञिक	Shri Yajnik	...	74—75
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	...	75—76
श्री के० बालकृष्णन	Shri K. Balakrishnan		76
श्री सतपाल	Shri Satpal		76
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam		77
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	...	77—78
श्री मधु दंडावते	Shri Madhu Dandavate	...	78—80
श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट	Shri N. S. Bisht	...	80—81
श्री कुंवर रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	...	81—82
श्री नरसिंह नारायण	Shri N. N. Pandey		82
श्री राम नाथ गोयन्का	Shri R. N. Goenka	...	82—83
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली	Shri R. Kadanapalli	...	83—84
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri Unnikrishnan	...	84—85
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy		85
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon	...	85—88
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey		88
श्री बदलू राम शुक्ल	Shri B. R. Shukla		88
श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya		89
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	...	89—90
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर	Shri Purushottam Kakodkar	...	90—91
श्री एम० सत्यानारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	...	91—92
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	...	92—93
श्री लालजी भाई	Shri Lalji Bhai		93
श्री जी० टी० गोखिन्डे	Shri Gotkhinde	...	93—94
श्री मुल्की राज	Shri Mulki Raj Saini		94
श्री छत्रपति अम्बेश	Shri Ambesh		94
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	...	94—95
श्री शमीम अहमद शमीम	Shri S. A. Shamim	...	95—96
श्री एम० एम० जोज़फ	Shri M. M. Joseph		96
जामेयर कम्पनी के डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement re. Crash of Jamair Dakota—		
श्री राज वहादुर	Shri Raj Bahadur		71

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 1 अप्रैल, 1971/11 चैत्र, 1893 (शक)
Thursday, April 1, 1971/Chaitra 11, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री बालतन्डायुतमं (कोयम्बटूर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की औद्योगिक संबंध सुधारने की माँग

*67. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ने भारतीय श्रम सम्मेलन को समाप्त करने तथा देश में औद्योगिक संबंधों के लिए नया आधार बनाने हेतु एक निकाय स्थापित करने की माँग की है जिसमें सभी कार्मिक संघ केन्द्रों, कर्मचारी-फेडरेशनों तथा कर्मचारी-संगठनों के उच्च स्तर के प्रतिनिधि हों; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० रानेन सेन : क्या सरकार को यह पता है कि अधिकांश केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के बारे में सन्देह व्यक्त किया है और विशेष रूप से ए० आई० टी० यू० सी० ने सरकार को इस आशय का पत्र लिखा है कि राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अर्थात् न्यायाधिकरणों आदि की स्थापना केवल समय पूरा करने की प्रक्रिया है और यह कि त्रिपक्षीय संगठनों, भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा उत्पन्न तथाकथित सहमति श्रमिक वर्ग आन्दोलन में बाधक है और इससे केवल मालिकों को ही सहायता मिलती है और ए० आई० टी० यू० सी० ने इसके बदले में यह माँग की कि इस्पात कर्मचारी समझौता, जीवन बीमा निगम कर्मचारी समझौता आदि जैसे कर्मचारियों और मालिकों के मध्य द्विपक्षीय विचार-विमर्श को सरकार प्रोत्साहन दे और भारतीय श्रम सम्मेलन को उपयोगी बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से उसका पुनर्गठन करे, यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के द्वारा मंत्री को सूचना देने के स्थान पर, सूचना प्राप्त करनी चाहिए ।

डा० रानेन सेन : मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि सरकार को इसका पता है अथवा नहीं ।

श्री आर० के० खाडिलकर : भारतीय श्रम सम्मेलन को भंग करने और सभी मजदूर संघों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की एक संस्था स्थापित करने के बारे में ए० आई० टी० यू० सी० से सरकार को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । माननीय सदस्य ने किसी प्रकार के पत्र का उल्लेख किया । श्रम सम्मेलन त्रिपक्षीय संस्था है । ए० आई० टी० यू० सी० में उनके नेता श्री डांगे ने यद्यपि 1969 में एक परिस्थिति में सम्मेलन से अपने आपको अलग कर लिया था, परन्तु उसके बाद ए० आई० टी० यू० सी० ने कुछ समितियों में भाग लिया है । जो मुख्य प्रश्न आपने रखा है, वह यह है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सलाह-मशविरा को अधिक विस्तृत बनाना वांछनीय नहीं होगा । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि हम आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा अखिल भारतीय स्तर के संगठनों के अतिरिक्त अन्य मजदूर नेताओं से बराबर सम्पर्क स्थापित किये हुए हैं। हम उनसे सलाह मशबिरा करेंगे और पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। स्वयं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि :

> "श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार के साथ-साथ उत्पादिता में वृद्धि करने और सुदृढ़ औद्योगिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रबन्धकों और मजदूर संघों के नेताओं से परामर्श किया जाएगा। उत्पादन-वृद्धि के लिए औद्योगिक संबंधों में सुधार पूँजी और तकनीकी विज्ञान जितना ही आवश्यक है ।"

इसलिए मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अखिल भारतीय स्तर की संस्थाओं ही को नहीं बल्कि अन्य स्वतन्त्र मजदूर संघों और मजदूर संघ केन्द्रों के नेताओं को आमन्त्रित करने के लिए निश्चित रूप से शीघ्र कार्यवाही करेंगे और आधार-भूमि तैयार करने के पश्चात् मई के महीने में किसी भी समय निश्चित रूप से एक औपचारिक सम्मेलन आयोजित करेंगे जिसमें माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी ।

परन्तु हमारा मुख्य उद्देश्य यह है—मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ और मेरे विचार में वह भी इस उद्देश्य से सहमत होंगे—कि हम औद्योगिक शक्ति और बेहतर औद्योगिक संबधों को सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि सभी सम्बद्ध पक्षों के पूर्ण सहयोग से विस्तृत सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।

डा० रानेन सेन : अभी-अभी, मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसार विस्तृत आधार तैयार करने का प्रयास करेगी। अगर यह भारत सरकार का उद्देश्य है, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या विशेष रूप से राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर विशिष्ट परामर्श किया जाएगा, क्योंकि सम्मेलन की अधिकांश सिफारिशों को ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ही नहीं बल्कि बैंक कर्मचारियों, बीमा कर्मचारियों व प्रतिरक्षा कर्मचारियों आदि के संघों आदि अन्य मजदूर संगठनों द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया, उस बैठक में, जिसमें केवल चार संगठन ही नहीं, बल्कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नये बने संगठनों और तथाकथित सी० आई० टी० यू० अखिल भारतीय स्तर के सभी मजदूर संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, सर्वसम्मत हल निकालने के लिए इन सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी जिससे कि बाद में जब हम वार्षिक श्रम सम्मेलन में सम्मिलित हों, तो वह उपयोगी सिद्ध हो सके और हम कुछ परिणाम प्राप्त कर सकें।

श्री अमर नाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों को प्रभावी बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है; क्योंकि अभी तक अनेक निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जो भी कार्यवाही की जाती है वह, इन त्रिपक्षीय संगठनों में उत्पन्न सहमति के आधार पर की जाती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ अधिकांश निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है। अगर माननीय सदस्य मुझे कोई ऐसा विशिष्ट मामला बतायें, जिसे सम्मेलन में उठाया गया हो और स्वीकार कर लिया गया हो परन्तु जिस पर अमल नहीं किया गया हो, तो मैं उस पर विचार करूँगा।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I want to know from the hon. Minister whether in view of the fact that the terms and conditions for according recognition to the trade unions have been fully satisfied by the Bhartiya Majdoor Sangthan representatives of that organisation would also be invited to this conference, if so, whether the hon. Minister would inform them accordingly ?

श्री आर० के० खाडिलकर : इस प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग को भी अपनी सिफारिश देनी थी। उन्होंने निम्नलिखित सिफारिश की है : त्रिपक्षीय सम्मेलन में प्रारम्भिक स्थिति में प्रतिनिधित्व केवल उन्हीं केन्द्रीय संगठनों तक सीमित रखा जाय जिनकी सदस्य संख्या देश के सभी मजदूर संघों की सदस्य संख्या का कम से कम दस प्रतिशत हो।

"इस आधार पर संगठनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिवर्ष समीक्षा की जाए।"

इस स्थूल मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा कि क्या वह संगठन जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, इस श्रेणी में आता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की विभिन्न सिफारिशों को देखा है तथा क्या उसमें एक सिफारिश जो अत्यन्त प्रतिक्रियावादी है, यह है कि सरकारी उपक्रमों और आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी जाए। माननीय मंत्री यह जानते हैं कि हड़तालों पर जितनी अधिक रोक लगाई जाती है उतनी ही अधिक हड़तालें होती हैं, अन्य देशों का भी यही इतिहास है। क्या उन्हें इस बात का पता है कि प्रतिरक्षा, रेलवे आदि से संबंधित सभी मजदूर संघों ने इस सिफारिश का विरोध किया है। यदि हाँ, तो इस अत्यन्त प्रतिक्रियावादी सिफारिश के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार इस सिफारिश को मानने से पूर्ण रूप से इन्कार कर देगी ?

श्री आर० के० खाडिलकर : हाँ ऐसी भी एक सिफारिश की गई है किन्तु यह सब जानते हैं कि सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की है। प्रश्न हड़तालों पर रोक लगाने का नहीं। सरकार इस ओर प्रयत्नशील है कि कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि ये हड़तालें बिना रोक लगाये ही समाप्त हो जायें। यही हमारा उद्देश्य है।

श्री दामानी : यह सच है किसी भी देश के लिए विशेषकर एक विकासशील देश के लिए बेहतर श्रमिक संबंध बहुत आवश्यक हैं किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मजदूरी के साथ साथ उत्पादन को भी महत्व दिया जाएगा जिससे कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके। इस समय हड़तालों के कारण श्रम संबंधी अत्यधिक अनिश्चितता बनी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मज़दूरी के प्रश्न को उत्पादन के साथ जोड़ा जाएगा और क्या मजदूरी को वर्ष में एक बार संशोधित किया जाएगा जिससे उत्पादन की कमी को रोका जा सके।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहाँ तक इस सुझाव का संबंध है कि उत्पादन पर जोर दिया जाए, मजदूर नेताओं के साथ समझौता वार्ता करते समय हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था मज़बूत बनानी है और सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उन्हें भी इसमें सहयोग देना चाहिए किन्तु उत्पादन और प्रोत्साहन का यह पहलू सामान्य नीति का एक भाग होगा और मैं समझता हूँ मजदूर नेता इससे असहमत नहीं होंगे। जहाँ तक प्रतिवर्ष मजदूरी में संशोधन का सुझाव है, इसे इस रूप में स्वीकार कर लेना अत्यन्त कठिन है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं मंत्री महोदय के उत्तर से संबंधित एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इन्होंने कहा कि सरकार कुछ संगठनों का एक सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रही है और हो सकता है कि उसके बाद किसी अन्य फोरम (forum) के बारे में विचार किया जाए। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वर्तमान राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन तथा स्थायी श्रम समिति के स्थान पर कोई विशिष्ट संगठन बनाने की सोच रही है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : वर्तमान त्रिपक्षीय प्रणाली तथा अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन बने रहेंगे। किन्तु ऐसा सुझाव था कि स्थिति के बदले हुए संदर्भ में इसका कार्य-क्षेत्र बढ़ा दिया

जाएगा। न केवल अखिल भारतीय संगठनों बल्कि अन्य संगठनों के मजदूर संघों के नेताओं से भी औपचारिक बातचीत के बाद मैंने इसके उत्तर में सुझाव दिया था कि स्थिति के वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए श्रम शक्तियों को और अधिक दृढ़ करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने पर विचार किया जा रहा है ताकि ये लोग राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में स्वेच्छा से और अधिक भाग ले सकें जिससे शान्ति तथा अच्छे श्रमिक संबंध सुनिश्चित किये जा सकें।

आकाशवाणी से तर्कबुद्धिवादी विचारों का प्रचार

*68. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के माध्यम से तर्कबुद्धिवादी विचारों के प्रचार को अवसर प्रदान करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं। तथापि, आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों का हमेशा ही एक उद्देश्य समस्याओं के प्रति धर्म निरपेक्ष, वैज्ञानिक तथा युक्तियुक्त दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उलगनम्बी : हमारे जैसे देश में जहाँ साक्षरता की दर बहुत कम है तथा पिछली परम्पराओं का अन्धानुकरण अत्यधिक है, हमें लोगों के मस्तिष्क में जिज्ञासा से सोचने की प्रवृति उत्पन्न करनी चाहिए। जब तक रूढ़िवादिता का मुकाबला नहीं किया जाता तथा अज्ञानता को समाप्त नहीं किया जाता तब तक वैज्ञानिक विचार और वैज्ञानिक दृष्टि रख पाना बहुत कठिन है। क्या सरकार देश की समस्याओं को हल करने में तर्कसम्मत तथा वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का प्रचार करने के लिए आकाशवाणी को कुछ समय देने पर विचार करेगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यही मैंने अपने उत्तर में कहा था। आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों की आयोजना करते हुए इस पक्ष को सदैव ध्यान में रखती है तथा उसी के अनुसार कार्यक्रमों की आयोजना की जाती है।

श्री उलगनम्बी : आकाशवाणी आजकल विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कथा कालक्षेप, पौराणिक गाथाओं तथा शास्त्रों से संबंधित उपदेशों पर, जो हिन्दू समाज के जाति-पाति तथा छुआछूत को न्यायसंगत ठहराते हैं, बहुत अधिक समय लगा रहा है। क्या आकाशवाणी इस प्रकार के प्रचार के प्रत्युत्तर के लिए भी कुछ समय देगा ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं नहीं समझती कि पौराणिक गाथाएं जो कि आकाशवाणी के बच्चों के कार्यक्रम अथवा किसी अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित की जाती हैं, हमारे देश के धर्म-निरपेक्ष आदर्शों के प्रतिकूल हैं।

श्री पी० आर० दास मुंशी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या युवकों में राष्ट्रीय विचार उत्पन्न करने के लिए, विशेषकर "युववाणी" के अन्तर्गत जो कि विद्यालयों तथा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए खोला गया है, कोई विशिष्ट कार्यक्रम बनाया गया है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हाँ, युववाणी कार्यक्रम मुख्यतः इसीलिए है। आकाशवाणी के प्रत्येक कार्यक्रम में, उन कार्यक्रमों सहित जो देश के युवकों एवं विद्यार्थियों के लिए होते हैं, इसे सम्मिलित किया जाता है।

श्री जी० विश्वनाथन : मंत्री महोदया का उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट है। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आकाशवाणी ने तर्कसम्मत विचारों के प्रचार के लिए कुछ समय निश्चित किया है, और यदि नहीं तो क्या भविष्य में ऐसा करने का विचार है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम तर्कसम्मत विचारों पर आधारित होते हैं। किसानों के लिए कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि ये सभी कार्यक्रम तर्कसंगत विचारों पर ही आधारित हैं। मैं समझती हूँ कि सरकार अतर्कपूर्ण नहीं है।

श्री प्रबोध चन्द्र : वर्ष 1964 में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि आकाशवाणी द्वारा विद्यालयों संबंधी कार्यक्रमों के आरम्भ में राष्ट्रगीत या ऐसा कोई अन्य गीत जो विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर सके, प्रसारित किया जाए। क्या मंत्री महोदया यह बताने का प्रयत्न करेंगी कि क्या सरकार द्वारा इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है अथवा इसे छोड़ दिया गया है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस संबंध में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री भान सिंह भौरा : धर्म के नाम पर आकाशवाणी द्वारा सदैव साम्प्रदायिकता फैलाई जाती है। सरकार ऐसे कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह बिल्कुल गलत है। आकाशवाणी धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता बिल्कुल नहीं फैला रही और मैं यह बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आकाशवाणी द्वारा किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम नहीं प्रसारित किये जाते।

प्रश्न 79 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री बनर्जी !

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा निवेदन है कि प्रश्न 79 पर भी इसके साथ विचार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे समान प्रश्न हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इनमें कुछ अंतर है। वह प्रश्न अलग है।

बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति

*69. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी दूर करने हेतु मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए नियुक्त की गई समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) क्या इस समिति द्वारा कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है, और यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) समिति का यह कार्य होगा कि वह इन पहलुओं पर यथासमय विचार करे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि एक समिति की नियुक्ति की गई है किन्तु समिति काफी समय ले लेती है विशेषकर जबकि वह विशेषज्ञ समिति हो क्योंकि विशेषज्ञ अधिक समय लगाते हैं । इस दौरान लाखों अल्प रोज़गार प्राप्त लागों को अन्तरिम सहायता देने के लिए कौन से दीर्घावधि तथा विशेषकर अल्पावधि कार्यक्रम बनाए गए हैं ? क्या प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने तक की अन्तरिम अवधि के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहना ठीक नहीं कि यह विशेषज्ञ समिति है । यदि माननीय सदस्य ने नामों पर दृष्टि डाली होती तो संभवतः वह ऐसा न कहते । उदाहरण के लिए श्री ज्योतिर्मय बसु एक सदस्य नियुक्त किये गये हैं, आप उन्हें विशेषज्ञों की कौनसी कोटि में रखेंगे, हाँ उन्हें मजदूर संघों का पर्याप्त अनुभव है ।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह बताना चाहता हूँ कि समिति का प्रतिवेदन मिलने तक, सरकार बेकारी की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों को हाथ में ले रही है और इस प्रयत्न की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार देने के लिए एक ध्वंस कार्यक्रम (Crash programme) जिसे इस वर्ष के आरम्भ से लागू किया जाना है, की योजना है, जिसमें कि रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम को जमीन की उत्पादकता बढ़ाने संबंधी योजनाओं से जोड़ा जाएगा । इन योजनाओं का उद्देश्य, छोटे किन्तु निर्वाह कर सकने वाले किसानों, उपसीमान्त कृषकों (sub-marginal farmers), खेतिहर मजदूरों तथा सूखी खेती एवं हमेशा सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करना है । छोटे सिंचाई साधनों का निर्माण तथा नवीकरण तथा बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी एवं जोड़ने वाली सड़कें उपलब्ध कराना आदि भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं । इन कार्यक्रमों के द्वारा ही रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे, क्योंकि इन कार्यक्रमों को लागू कर दिया गया है इसलिए कोई अन्य सहायता, जैसा कि इन्होंने कहा है, नहीं दी जा रही ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरे नाम का उल्लेख किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह उल्लेख बहुत सामान्य रूप में किया गया था, इससे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने गलत सूचना दी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह कोई विशेषज्ञ नहीं हैं । एक सुझाव दिया गया था जिसे प्रधान मंत्री ने विचार के लिए स्वीकार कर लिया था । सुझाव यह था कि अशिक्षित लोगों में बेकारी खत्म करने के लिए एक स्थल सेना बनाई जाय । मैं जानना चाहता हूँ कि उस सुझाव का क्या हुआ, क्या कोई ऐसी सेना बनाई जा रही है जिसमें इन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा तथा क्या इस समस्या का मुकाबला युद्धस्तर पर किया जा रहा है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य इन प्रयत्नों को कोई भी नाम दे सकते हैं और जहाँ तक स्थल सेना का प्रश्न है, मोटी रूप-रेखा में कुछ योजनाएं सदन के समक्ष रखी जा चुकी हैं । वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय अपने भाषण में कार्यक्रम तथा इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट धनराशि के नियतन के बारे में कुछ जानकारी दी है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसके आशय को समझेंगे और देखेंगे कि चाहे स्थल सेना को कोई नाम दिया जाए या नहीं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया उत्साह, एक नई स्थिति उत्पन्न होगी और लोग स्वेच्छापूर्वक योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वे संक्षेप में उत्तर दिया करें ।

श्री त्रिदिव चौधरी : समिति बेरोजगारी को समाप्त करने के उपाय सुझाने के लिए नियुक्त की गई है । लेकिन सबसे बुरी बात, जो अभी तक विद्यमान है, यह है कि प्रोफेसर दांतेवाला द्वारा की गई जाँच के अतिरिक्त न तो योजना आयोग ने और न ही किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय ने बेरोजगारी, अल्प-रोजगारी तथा इससे संबद्ध अन्य मामलों का वास्तविक मूल्यांकन किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समिति अपना कार्य बिना मूल्यांकन किये शुरू करेगी या मूल्यांकन करने के बाद; यदि मूल्यांकन करने के बाद, प्रारम्भ करेगी तो क्या ऐसा समिति के कार्य के निदेश पदों में शामिल है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : वस्तुत: सिफारिशों से यह स्पष्ट है कि दांतेवाला समिति ने बेरोजगारी का पता लगाने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करने का प्रयत्न किया था । बेरोजगारी का एक अस्पष्ट चित्र हमारे सामने है । श्री दांतेवाला इसको एक विशिष्ट अर्थ देना चाहते थे । वह देश में कुल बेरोजगारों की संख्या और उनकी श्रेणियों को सुनिश्चित करना चाहते थे । इस समिति के निदेश पदों से यह स्पष्ट होता है कि इस समिति का उद्देश्य वह नहीं है जो श्री भगवती की अध्यक्षता में नियुक्त समिति का है । समिति से अपेक्षा की गई है कि वह स्थिति का पुनरीक्षण करे । वस्तुत: स्थिति का पुनरीक्षण करते समय और सिफारिशें करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बेरोजगारी की समस्या और वास्तविक स्थिति का वास्तविक रूप क्या है और देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है क्योंकि अस्पष्ट रूप से कई मूल्यांकन किये गये हैं । लेकिन दांतेवाला समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते समय, वे स्वयं स्थिति का मूल्याँकन करेंगे ।

श्री ए० पी० शर्मा : ऐसा लगता है कि यह समिति बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के उपाय सुझाने से लिए नियुक्त की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह बताने की स्थिति में है कि बेरोजगारी की समस्या का सही रूप क्या है, समिति नियुक्त करने से पूर्व देश में कितने लोग बेरोजगार थे और क्या समिति को शिक्षित या अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उपाय सुझाने के लिए कहा गया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने पहले कहा, दांतवाला समिति द्वारा बताए गए मानदंड को ध्यान में रखते हुए इस समय बेरोजगारों की सही संख्या बताना संभव नहीं है। कई मूल्यांकन किए गए हैं। बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ से अधिक बताई गई है। समिति का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि नौकरी चाहने वाले, शिक्षित अथवा अशिक्षित, शहरी अथवा ग्रामीण, कितने हैं। समिति को ऐसे उपाय भी सुझाने होंगे जिनसे बेरोजगारों की संख्या तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी कम की जा सके।

श्री ए० पी० शर्मा : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार को पता है कि समिति नियुक्त करते समय कितने व्यक्ति बेरोजगार थे ?

अध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में कई लोगों को बेरोजगार बनाने की जिम्मेदारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल पर है ?

श्री आर० के खाडिलकर : मुझे खेद है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नए सदस्य हैं। मुझे खेद है कि हमें अगले प्रश्न पर चर्चा शुरू करनी होगी। यदि हम इस ढंग से चलते रहे तो हम दिन में दो या तीन प्रश्न ही कर पाएंगे और हम सूची समाप्त नहीं कर सकेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय, हमें अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए क्योंकि माननीय सदस्य का प्रश्न मेरे संकल्प पर आधारित था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें संदेह की कोई बात नहीं।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

*70. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के मूल्य में बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के सहसा वृद्धि होने के क्या कारण हैं, विशेषकर जबकि गन्ने के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : लेवी चीनी के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जनवरी और फरवरी, 1971 महीनों में चीनी की कम निकासी के कारण खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य गिरे थे लेकिन

मार्च, 1971 में इन मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई है। गर्मी का मौसम शुरू होने के कारण चीनी की बढ़ी हुई माँग इस वृद्धि का एक सम्भव कारण हो सकती है। तथापि, साठ प्रतिशत चीनी निर्धारित मूल्यों पर नियंत्रित माध्यमों से वितरित की जाती है और मासिक निर्मुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य की प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

श्री एस० एल सक्सेना : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गत दो मास से चीनी का परचून मूल्य 1 रु० 50 पैसे प्रति क्विटल है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में चीनी के मूल्य वसूली वाली चीनी के मूल्यों से कम हैं। यद्यपि गत दो माह में चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है, फिर भी खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के मूल्य चीनी के वसूली मूल्यों से कम थे।

एक माननीय सदस्य : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है···

अध्यक्ष महोदय : मेरा ध्यान आकृष्ट करने का यह ढंग नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। जिस माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था, वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० एल० सक्सेना : मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए माननीय मंत्री क्या उपाय करेंगे ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैंने प्रश्न का उत्तर देते समय पहले ही कह दिया था कि देश में चीनी का स्टाक इतना पर्याप्त मात्रा में पड़ा है कि यदि मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होती भी है तो सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि बाजार में अधिक चीनी भेजी जाए और चीनी का उचित मूल्य-स्तर निर्धारित किया जाए।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या सरकार को इस बात का पता है कि शादी के दिनों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के भाव बढ़ जाते हैं ? क्या यह सच है कि जब भी चीनी की माँग बढ़ती है, और विशेषकर गर्मी के दिनों में, खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का 60 प्रतिशत कोटा सप्लाई करने में विलम्ब कर दिया जाता है या चीनी की उपयुक्त मात्रा बाजार में नहीं भेजी जाती ? हमारा अनुभव रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से बिहार में शादी के दिनों में चीनी के भाव बढ़ जाते हैं।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि आने वाले शादी के दिनों में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि चीनी की अधिक मात्रा बाजार में भेजी जाए। गत वर्ष भी ऐसा किया गया था। अतः माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई आशंका नहीं रहनी चाहिए।

SHRI LAXMINARAIN PANDEY : Will the hon. Minister be pleased to state whether the increase in prices and the difficulties caused to the people are due to the pooling

system comprising of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh or Madhya Pradesh and Maharashtra in respect of the distribution of Sugar quota.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : ऐसी कोई एकत्रीकरण प्रणाली नहीं है लेकिन मैं माननीय सदस्य तथा सदन को एक कठिनाई से अवगत कराना चाहता हूँ । उगाही की चीनी का मूल्य ज़ोनवार अलग-अलग होते हैं । उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चीनी के मूल्य सबसे कम हैं । वहाँ उत्पादन शुल्क छोड़कर चीनी का मूल्य 117 रु० 50 पैसे प्रति क्विटल है जबकि मध्य प्रदेश में चीनी का मूल्य 157 रुपये प्रति क्विटल है । इसका अर्थ यह हुआ कि चीनी के मूल्य-श्रेणियों में काफी अन्तर है अर्थात् 40 रुपये प्रति क्विटल का अन्तर है । ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्पादन लागत अधिक है । प्रशुल्क आयोग ने लागत ढाँचा तैयार किया है किन्तु वस्तुतः चीनी का मूल्य गन्ने के शक्कर तत्व, गन्ने से चीनी की प्राप्ति की मात्रा तथा गन्ना पिराई की अवधि पर निर्भर करता है । अतः चीनी का मूल्य ज़ोनवार अलग होना स्वाभाविक है ।

श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी : मैं सहकारी चीनी कारखाने का अध्यक्ष हूँ । हाल ही में सरकार ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । इससे चीनी की मिलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसा सूत्र नहीं है जिससे मजूरी में वृद्धि के साथ-साथ चीनी के मूल्यों में भी वृद्धि हो ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि चीनी की मिलें मजूरी बोर्ड पंचाट स्वीकार कर लें और उसके बाद किसी बात पर विचार किया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और आसाम में क्रमशः चीनी की उत्पादन लागत क्या है ?

श्री पीलु मोदी : और बंगला देश में भी ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देना उतना सरल नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं ।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया था । माननीय सदस्य ने उसको देखने का कष्ट नहीं किया ।

श्री कल्याणसुन्दरम् : क्या माननीय मंत्री को पता है कि चीनी की उत्पादन लागत और मूल्य में प्रति टन एक हजार रुपये का अन्तर होता है ? उत्पादन लागत 900 रुपये प्रति टन होती है जबकि सरकार द्वारा चीनी का मूल्य 1,800 रुपये प्रति टन से भी ऊपर नियत किया जाता है । क्या सरकार समझती है कि मिल मालिकों के लिए इतना लाभ आवश्यक है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मुझे समझ नहीं आता कि माननीय सदस्य किन आधारों पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं । चीनी का वर्तमान मूल्य ढाँचा गन्ने के मूल्य, कच्चे माल, उत्पादन लागत तथा 10·50 रुपये प्रति क्विटल प्रतिलाभ पर निर्भर करता है । मुख्य रूप से प्रशुल्क आयोग की

यही सिफारिश है । अतः भारत में गन्ने, कच्चे माल का मूल्य सापेक्षिक रूप से अधिक है, इसलिए मेरे विचार में ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

कराकोरम राजपथ खोलने के बारे में आकाशवाणी का समाचार बुलेटिन

*71. **डा० कर्णी सिंह :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1971 को आकाशवाणी के प्रातः 8·15 बजे के समाचार बुलेटिन में यह कहा गया था :

"उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के गिलगित और हुन्जा को चीन से मिलाने वाला कराकोरम राजपथ पाकिस्तान की स्थल-सेना के अध्यक्ष जनरल अब्दुल हमीद खाँ द्वारा आज यातायात के लिए खोला जा रहा है;" और

(ख) यदि हाँ, तो गिलगित पर पाकिस्तान के अधिकार को स्वीकार करने और तिब्बत को "चीन का तिब्बती क्षेत्र" न कह कर "चीन" कहने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) गिलगित और हुन्जा को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भाग न कह कर उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के भाग कहना एक गलती थी । संबंधित अधिकारी को भविष्य में सावधान रहने के लिए कह दिया गया है । नई सड़क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित और हुन्जा को चीन के सिकियाँग से मिलाती है, सीधे तिब्बत से नहीं ।

डा० कर्णी सिंह : पाकिस्तान ने अवैध रूप से गिलगित पर अधिकार करके उसे चीन को समर्पित कर दिया है परन्तु आकाशवाणी के प्रसारण द्वारा गिलगित पर पाकिस्तान का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है और यह भी मान लिया गया है कि पाकिस्तान उसे चीन को समर्पित कर सकता है, और हमने अभी तक तिब्बत की स्वायत्तता को स्वीकार नहीं किया है । क्या आकाशवाणी में कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसके प्रसारणों की जाँच की जा सके जिससे ऐसा आश्वासन मिल सके कि आकाशवाणी के प्रसारण से भारतीय भूभाग को कोई क्षति नहीं होगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैंने बताया है कि दुर्भाग्यवश यह गलती हो गई है । यह सब कुछ जल्दबाजी में हो गया । वहाँ ऐसी व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है जिससे समाचारों में प्रसारित तथ्यों की सत्यता को सुनिश्चित किया जाता है । दुर्भाग्यवश जल्दबाजी में यह गलती हो गई । जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं जिससे भविष्य में फिर से ऐसी गलती न हो । यह निश्चय किया गया है कि ऐसी कथाएं निदेश तथा संयुक्त निदेशक द्वारा जाँची जानी चाहिएं, इस प्रकार का उत्तरदायित्व एक स्तर तक उठाया गया है ।

डा० कर्णी सिंह : इस प्रसारण से जो कर्मचारी संबंधित हैं, क्या वे अनुभवी हैं अथवा नये ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : निश्चित रूप में वे अनुभवी कर्मचारी हैं । मैं कह चुकी हूँ कि

दुर्भाग्यवश यह गलती हुई है। बुलेटिन जल्दबाजी में तैयार की जाने के कारण यह गलती हो गई है।

समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार

*72. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शृंखलाओं एवं समूहों में प्रकाशित होने वाले बड़े समाचार पत्रों द्वारा अपनाये जा रहे अवरोधक तरीकों के कारण छोटे तथा मझले समाचार पत्रों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार एक जाँच आयोग नियुक्त करने का है, जो समाचार पत्र उद्योग में एकाधिकार की जाँच करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) कुछ क्षेत्रों में, कुछ छोटे तथा मझौले समाचार पत्र, कुछ बड़े समाचार पत्रों से अतुल्य प्रतियोगिता के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हो सकते हैं। अतः सरकार अखबारी कागज के आबंटन, मुद्रण यंत्रों के आयात तथा सरकारी विज्ञापनों को देने के मामलों में छोटे तथा मझौले समाचार पत्रों के विकास को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों के स्वामित्व के ढांचे का विभागीय अध्ययन आरम्भ किया गया है।

श्री अनन्तराव पाटिल : आप कई वर्षों तक पत्रकार रहे हैं, आपको देश के छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार पत्रों की स्थिति का पता है। प्रेस उद्योग में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है और बड़े-बड़े समाचार पत्र अपने गलत आचरण द्वारा छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार पत्रों को महत्वहीन बनाने के प्रयास में जुटे हैं। सरकार इस एकाधिकार को रोकने के लिए कौन से कदम उठा रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं बता चुकी हूँ कि समवाय कार्य विभाग इस मामले की जाँच कर रहा है, जैसे ही हमें विभाग से सिफारिशें प्राप्त होंगी, यह निश्चित किया जाएगा कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। जहाँ तक छोटे तथा मध्यम स्तर के समाचार पत्रों का प्रश्न है, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ विशेष उपाय किये गये हैं; जैसे इन समाचार पत्रों को अधिक अखबारी कागज देना तथा अधिक विज्ञापन और सभी विदेशी मुद्रा देना जिनकी उनको मुद्रण तथा कम्पोजिंग मशीनरी का आयात करने की आवश्यकता है।

श्री पीलु मोदी : सुविधाएं देना तो दूर रहा, सरकार उनके पत्रों का उत्तर तक नहीं देती है।

श्री अनन्तराव पाटिल : छोटे समाचर पत्रों को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करके ही

एकाधिकारवादिता को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या सरकार किसी न किसी ढंग से मूल्य-पृष्ठ प्रक्रिया लागू करने के संबंध में विचार कर रही है तथा क्या स्लैब पद्धति के अनुसार समाचार पत्रों पर विज्ञापन कर लगाने के प्रयत्न कर रही है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जहाँ तक मूल्य-पृष्ठ प्रक्रिया (Price-Page Schedule) का संबंध है, गोलखनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसे फिर से लागू नहीं किया जा सकता। जहाँ तक विज्ञापन कर का संबंध है, इस मामले में हम अपने विचार वित्त मंत्रालय को भेज चुके हैं।

श्री मोहन धारिया : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि देश में विज्ञापन शुल्क से 35 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होती है। केवल सरकारी विज्ञापनों से 3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती है ? यदि गैर-सरकारी उद्योगों से प्राप्त होने वाले विज्ञापनों पर कर नहीं लगाया जाता है तो सरकार देश में बढ़ते हुए एकाधिकारवादियों को किस प्रकार रोक सकती है ? दूसरे, यदि संविधान इस मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित होता है तो क्या सरकार बार-बार ऐसे आश्वासन देने के बजाय संविधान में परिवर्तन करने का विचार करेगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : नई परिस्थितियों के संदर्भ में इन सभी प्रश्नों का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

SHRI PHUL CHAND VERMA : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister, whether the Government's advertisement to certain newspapers have been stopped on the ground that those particular papers are fostering communal feelings in the country, whereas the fact remains that those papers are the stringent critics of Government policies, and that is why, they have been deprived of the Governments advertisements ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह प्रश्न मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। परन्तु यह बात सच नहीं है कि समाचार पत्रों में आपत्तिजनक लेखों के ब्यौरे की भली-भाँति जाँच किये बिना विज्ञापन देना बन्द कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, संख्या 73। राजा कुलकर्णी ! क्या आप राजा हैं अथवा यह केवल नाम ही है ?

श्री राजा कुलकर्णी : यह केवल नाम ही है।

श्री मुरासोली मारन : क्या मैं पहले प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न कर सकता हूँ ?

एक माननीय सदस्य : यह पत्रकार हैं। इन्हें अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने थोड़ी देर कर दी है फिर भी इस बार मैं इन्हें अनुमति देता हूँ परन्तु इसे एक उदाहरण नहीं बना लिया जाना चाहिए। अधिकाँशतया सदस्य नये हैं, जब तक वे प्रक्रिया से भिज्ञ नहीं हो जाते तब तक ऐसा चल सकता है।

श्री मुरासोली मारन : एकाधिकारवादिता को रोकने के मार्ग में संविधान का जो

आधार लिया गया है, वह बिल्कुल गलत है। संविधान के अनुच्छेद 269 में केन्द्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया है कि वह समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर कर लगा सकती है और उसका कुछ भाग राज्य को भी दे सकती है। पाँचवें वित्तीय आयोग ने भी सिफारिश की थी कि समाचार पत्रों के विज्ञापन शुल्क पर कर लगाया जा सकता है। अभी-अभी मंत्री जी ने भी बताया है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव भेज दिये हैं। उन सुझावों का ब्यौरा दिया जाय। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विज्ञापन पर इस प्रकार का कोई कर लगाना चाहती है और क्या इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इसका ब्यौरा देना मेरे लिए संभव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती तथा पदोन्नति के लिए आदर्श नियम

***73. श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण के लिए आदर्श नियम बनाने तथा उनकी क्रियान्विति के संबंध में उनके मंत्रालय ने क्या प्रगति की है;

(ख) क्या आदर्श नियम बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक संघों और प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाने का है?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधानों की बैठक में स्थापित एक उप समिति ने कुछ आदर्श सिद्धांत बनाये हैं जिनका सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के औद्योगिक श्रमिकों की पदोन्नति के आदेश देते समय अनुसरण किया जाएगा। ये आदर्श सिद्धांत सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मार्ग-दर्शन के लिए भेज दिये गये हैं।

(ख) और (ग). आदर्श सिद्धांतों में से एक में यह व्यवस्था है कि पदोन्नति प्रक्रिया का आलेखन बनाते समय अथवा किसी सरकारी क्षेत्र के उद्यम में किसी आदर्श पदोन्नति प्रक्रिया में रूपान्तर करने से पहले मान्यता-प्राप्त ट्रेड यूनियनों अथवा सेवा-संघों से यथासंभव पूर्णतः परामर्श करना आवश्यक है और यदि कहीं ऐसी मान्यता प्राप्त यूनियन अथवा संघ नहीं हैं, वहाँ ऐसा परामर्श आम श्रमिकों के सभी वर्गों से किया जाएगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : भर्ती के संबंध में स्थिति क्या है?

श्री राजा कुलकर्णी : क्या ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कोई व्यवस्था है जिससे यह ज्ञात हो सके कि सरकारी क्षेत्र के किस उपक्रम में भर्ती तथा पदोन्नति संबंधी आदर्श नियमों को लागू कर दिया गया है और किस उपक्रम में नहीं?

श्री खाडिलकर : इन उपक्रमों से आशा की जाती है कि वे इन नियमों का पालन करें। परन्तु व्यवहार में, कुछ भिन्न बातें हुई प्रतीत होती हैं। यदि आप कुछ विशेष मामलों को बताएं तो उनकी जाँच कराई जा सकती है।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या यह राष्ट्रीय नीति का ही अंग है कि गैर-तकनीकी श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय ?

श्री खाडिलकर : जहाँ तक भर्ती तथा पदोन्नतियों का प्रश्न है, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निम्न श्रेणी के पदों अर्थात अकुशल तथा अर्धकुशल कर्मचारी और क्लर्कों आदि के संबंध में यह निश्चय किया गया है कि यदि इन श्रेणियों के कर्मचारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं तो पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी। जब किसी रोजगार के लिए ऊँची योग्यता अथवा एक भिन्न प्रकार की योग्यता अपेक्षित होती है तब पदोन्नति व्यवसाय परीक्षा, अहर्क परीक्षा तथा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होगी। विभागीय (धन्धे संबंधी) परीक्षा के समय जहाँ कहीं भी संभव हो, पंजीकृत संघ का एक तकनीकी दक्ष प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगा। वाणिज्यिक, मंत्रालयों की, तथा प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति के लिए एक अहर्क परीक्षा उत्तीर्ण करने की पद्धति अपनाई गई है। चयन पदों के लिए योग्यता पदोन्नति का मापदंड होनी चाहिए।

श्री राजा कुलकर्णी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने गैर-तकनीकी श्रेणी के पदों के लिए स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के विषय में पूछा है।

श्री खाडिलकर : इस संबंध में भी मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विशेषतया ऐसा अनुदेश दिया गया है कि 500 रुपये मासिक से कम वेतन वाले पदों के लिए नियुक्तियों स्थानीय रोजगार दफ्तरों के माध्यम से की जानी चाहिएं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Mr. Speaker, Sir, it has just now been made clear by the hon. Minister that the promotions are made in consultation with union representative but it is seen that these representatives recommend the members of their unions and the rest of the employees do not get benefits of promotion. I would like to know from the hon. Minister as to what steps he is going to take to curb these malpractices.

Secondly, it has also been noticed that the employees, finding themselves unable to please their officers, are also denied promotions. What steps the Government is going to take to do away with this type of injustice ?

श्री खाडिलकर : जहाँ तक मजदूर संघों का संबंध है, यदि वे किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश इस आधार पर करते हैं कि वह व्यक्ति संघ का सदस्य है, तो मेरे विचार से वे ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हाँ अथवा नहीं में उत्तर दें।

श्री खाडिलकर : जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग अर्थात अधिकारियों के पक्ष लेने का प्रश्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम उसे रोकेंगे।

श्री दामोदर पांडे : मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उन्होंने कुछ आदर्श नियम भेजे हैं परन्तु सरकारी क्षेत्र में बहुत से उपक्रम ऐसे हैं जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि नियुक्ति तथा पदोन्नति के मामलों में इन नियमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार के पास यह देखने के लिए कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है, क्या उपाय हैं ?

श्री खाडिलकर : यह देखना सरकारी उपक्रम ब्यूरो का कार्य है कि इन सिद्धान्तों को क्रियान्वित किया जाता है अथवा नहीं। यदि किसी उपक्रम विशेष में इस संबंध में कोई कमी पाई जाती है, तो उत्तरदायी विभाग उस पर कार्यवाही करता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कर्मचारियों के संबंध में क्या ये नीतियाँ एक समान हैं, और यदि हाँ, तो कौन सी संस्था इन नीतियों की देखभाल करती है और इस संस्था का कार्यालय कहाँ पर है।

श्री खाडिलकर : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। फिर भी मेरे विचार से प्रश्न इस आशय को लेकर किया गया है कि वे सिद्धान्त अथवा नियम कौन से हैं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या नियुक्तियों के लिए संघीय लोक सेवा आयोग जैसा कोई केन्द्रीय निकाय है, तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई निकाय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न कर सकता हूँ ?

अध्यक्ष महोदय : यदि बहुत से अनुपूरक प्रश्न किये जायेंगे तो हम सभी प्रश्नों को नहीं निपटा सकते हैं। भविष्य में मैं दो या तीन अनुपूरक प्रश्नों से अधिक की अनुमति नहीं दूँगा। दूसरे सदस्य अपने प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा में हैं।

चंडीगढ़ के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

***75. श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ का निर्माण करने के लिए अब तक कितने व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण करके उन्हें बेदखल किया गया है;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों का समुचित तथा उपयुक्त रूप से पुनर्वास करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई सक्रिय कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो उक्त योजना से कितने विस्थापित व्यक्तियों को लाभ हुआ है; और

(ग) क्या विस्थापित व्यक्तियों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उन्हें चंडीगढ़ क्षेत्र में रियायती दरों पर फ्लैट दिये जायेंगे और, यदि हाँ, तो उन विस्थापित व्यक्तियों

की संख्या कितनी है जिन्होंने फ्लैटों के लिए आवेदन पत्र दिये हैं किन्तु उन्हें फ्लैट अलाट नहीं किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रथम अवस्था में, 1958 तक, पूर्वी पंजाब अचल सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम, 1948 जिसका कि पूर्वी पंजाब अचल सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम 1951 द्वारा संशोधन किया गया है, के अधीन 2,279 व्यक्तियों की भूमि अर्जित की गई थी और बेदखल हुए व्यक्तियों को 41 गाँवों में बसा दिया गया था। दूसरी अवस्था में, 1958 के बाद, भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जित किया गया और इस अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार, बेदखल हुए व्यक्तियों को चालू बाजार दरों पर मूल्य और उस मूल्य का 15 प्रतिशत मुआवजा दिया गया था।

(ग) चण्डीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तथापि, उन 64 बेदखल हुए लोगों के, जिनकी भूमि 1-11-1966 के उपरान्त अर्जित की गई थी, चण्डीगढ़ में रिहायशी प्लाटों की अलाटमेन्ट के लिये दिये गए आवेदन-पत्र चण्डीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन हैं।

SHRI A. N. VIDYALANKAR : Mr. Speaker, sir, at the outset, I would submit that in my question I had written 'plots', but in the printed question it is written 'flats'.

May I know whether it is a fact that in the undivided Punjab, the Government had reserved certain areas of land for the allotment of plots in Punjab and Haryana, but these lands are lying unused ?

श्री खाडिलकर : मैं सूचना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ विशिष्ट सूचना माँगी है।

SHRI A. N. VIDYALANKAR : In view of the fact that the people whose land is acquired, are driven out into the streets without being provided any alternative accommodation, will the Government think it their primary responsibility to make alternative arrangement for their accommodation somewhere, and then carry out eviction ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं यह नहीं कह सकता कि हटाये गये लोगों को किस प्रकार गाँवों में बसाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों को चुन लिया गया है। कारा तहसील में 34 गाँव, नारायणगंज तहसील में दो, में रूपार में चार और राजपुर में एक गाँव चुन लिए गये हैं। आगे क्या कार्यवाही की गई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : मैं चाहता हूँ कि सरकार यह आश्वासन दे कि जब तक आवास के प्रबन्ध नहीं किये जाते तब तक लोगों को बलपूर्वक सड़कों पर नहीं छोड़ दिया जाएगा।

श्री आर० के० खाडिलकर : प्रशासन से इस मामले में सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री में कथित अनियमितताओं की जाँच

*76. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में उर्वरकों की बिक्री में कथित अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जा रही जाँच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जाँच अभी चल रही है।

(ख) इन का केवल तब ही पता चल सकेगा जब जाँच पूरी हो जाएगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उर्वरक कांड बहुत गंभीर रूप धारण कर चुका है। आन्ध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री ने, जो कि उस समय कृषि मंत्री थे उर्वरकों की सप्लाई के लिए राजमुंद्री तथा अन्य स्थानों में अपनी एक नकली फर्म स्थापित की है और उर्वरकों के वहन भाड़े के झूठे बिल प्रस्तुत किए हैं ···(**व्यवधान**)

श्री के० नारायण राव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन उर्वरकों के वहन भाड़े के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे जब मामले पर जाँच हो रही है, माननीय सदस्य ने अनावश्यक रूप से एक मंत्री का नाम लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने किसी का नाम नहीं बताया।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धाराएं 5 (2) और 5 (1) (डी) के साथ पठित धारा 120 (बी) के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर किया गया है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा 7,000 फाइलें पकड़ ली गई हैं। इसमें 3,000 से अधिक ट्रक अन्तर्ग्रस्त हैं। उन्होंने बताया है कि यह बहुत भारी काम है और अतः जाँच कार्यवाही को पूर्ण करने में करीब छः महीने लगेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने यह नहीं बताया है कि वहन भाड़े के रूप में कितनी राशि दिखाई गई थी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है : क्या उक्त मंत्री को जाँच की परिधि में लाया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस मामले की पूर्ण एवं न्यायिक जाँच करने के लिए एक न्यायिक जाँच आयोग की स्थापना करने पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी नहीं, चूँकि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच की जा रही है, एक अन्य जाँच कराने की माँग करना कहाँ तक उचित है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि क्या उक्त मंत्री को भी जाँच की परिधि में लाया गया है। वे जवाब नहीं देते। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। उन्हें जवाब देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जवाब नहीं दिया है । वे बतायें कि स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जाँच की जा रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने एक सुस्पष्ट एवं विशिष्टि प्रश्न पूछा था ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा सभी कार्यों की जाँच की जा रही है । उर्वरकों के वहन की और इससे संबद्ध व्यक्तियों की भी जाँच की जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय : हम केवल 10 प्रश्नों पर ही चर्चा कर सके हैं । हमें जरा तेजी से चलना चाहिए ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

प्रधान खुंटा और धनबाद स्टेशनों (पूर्व रेलवे) के बीच राजधानी एक्सप्रेस की दुर्घटना

अ० सू० प्र० 1. श्री शशि भूषण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने राजधानी एक्सप्रेस को उस समय उड़ाने का प्रयास किया था जबकि वह पूर्वी रेलवे के प्रधान खुंटा और धनबाद स्टेशनों के बीच चल रही थी; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपराधियों को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) उक्त दुर्घटना में रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई और क्या उसमें कोई व्यक्ति ज़ख्मी हुआ था; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री के० हनुमन्तय्या) : (क) जी, हाँ । 26 मार्च, 1971 को लगभग रात के आठ बजे, जबकि हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रैस नं० 101, पूर्वी रेलवे के प्रधान खुंटा और धनबाद स्टेशनों के बीच चल रही थी, 267 कि० मी० के निकट रेलवे लाइन पर विस्फोट हुआ था ।

(ख) दो नवयुवक गिरफ्तार किये गये हैं । जी० आर० पी०, धनबाद ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) इंजन की खिड़की के दोनों शीशे टूट गए। इंजन के अगले धातु के हिस्से पर भी खरोंचें आईं। इंजन के चालक को मामूली चोट आई।

(घ) इस संबंध में सरकार अपने उत्तरदायित्व से अवगत है और उसने सभा पटल पर रखे विवरण पत्र में उल्लिखित घटनाओं को रोकने हेतु उपाय किये हैं।

SHRI SHASHI BHUSHAN : Mr. Speaker, sir, may I know whether the students, who were arrested in connection with the blowing up of train, have any connection with the Naxalite movement and the action Government has taken since then ?

श्री के० हनुमन्तय्या : जहाँ तक सरकार का संबंध है, हम केवल अनुमानों के आधार पर जानकारी नहीं दे सकते। ये दोनों छात्र हैं और उनके बंगला नाम हैं। उनकी प्रवृत्ति के कारण शायद माननीय सदस्य ने अनुमान किया होगा। मगर उन्होंने अब तक इस संबंध में कोइ वक्तव्य नहीं दिया। जाँच जारी है।

SHRI SHASHI BHUSHAN : May I know what steps the Government has taken from the point of view of security, so that these Naxalites could not indulge in such nefarious activities in future ? In order to enlist the co-operation of the people, some committees should be appointed so that the railway tracks can be safeguarded, because to-day it happened in Dhanbad and tomorrow it can happen anywhere else in the country. In this connection, what steps are proposed to be taken by the Government to enlist the co-operation of the people?

श्री के० हनुमन्तय्या : माननीय सदस्य ने बहुत उपयोगी सुझाव दिया है। इस सुझाव को सरकार कार्यान्वित कर रही है। मैं इस मामले में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूँ ताकि यह केवल सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी न होकर प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिक की भी हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कृषि के विकास के लिए मैसूर को केन्द्रीय सहायता

*74. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने कृषि के विकास के लिए एक जोरदार कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मैसूर सरकार ने राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहले ही सम्मिलित कार्यक्रमों के और इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त, कृषि विकास के लिए और कोई क्रैश कार्यक्रम नहीं बनाया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

नियंत्रित एवं खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के उत्पादन-शुल्क को समान किया जाना तथा चीनी का सुरक्षित भंडार

***77. श्री राज राज सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ (इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन) ने "नियंत्रित" एवं खुले बाजार में बिकने वाली चीनी पर उत्पादन शुल्क को बराबर किये जाने और गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति तथा उत्पादन लागत में चहुंमुखी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश में चीनी के उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालत्र में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी, हाँ। सरकार इन मामलों पर विचार कर रही है।

Delay in Grant of Telephone Connections in Najibabad and Roorkee, U. P.

*78. SHRI MULKI RAJ : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the general public has to face great difficulty and inordinate delay in getting telephone connections;

(b) whether telephone connections are not made available for years together in small towns like Najibabad and Roorkee of U. P.; and

(c) if so, the efforts being made by Government to remedy this situation ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) (a) Yes, Sir. This is correct so far as the overall position of telephones in the country is concerned.

(b) No, Sir. There is no waiting list at Roorkee whereas only 23 persons are waiting for connections at Nazibabad. The oldest applications are dated 12.3.1970 and 25.6.1970, which are for long distance connections and are not technically feasible.

(c) The waiting list at Nazibabad is likely to be wiped out by 31.5.1971, except the non-feasible cases.

So far as the general position is concerned, the demand is far in excess of the supply and waiting lists and consequent delays are unavoidable despite best efforts.

ग्रामीण रोजगार के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन

*** 79. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में किये गये इस आशय के अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि देश में ग्रामीण रोजगार की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसका समाधान करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का इशारा "रिजर्व बैंक आफ इण्डिया" बुलेटिन के जनवरी, 1971 वाले अंक में प्रकाशित लेख "भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण उद्योग" की ओर है। इस अध्ययन के आधार प्राप्त तथ्यों से जो कुछ चुने हुए ग्रामीण उद्योगों के बारे में ही है और जिसमें देहाती इलाकों में बड़े पैमाने पर चल रहे विकास कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है, अनिवार्यत: यह निष्कर्ष निकालना आवश्यक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसरों के विकास में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में अन्य लघु-उद्योगों और वे उद्योग जो ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के अन्तर्गत आते हैं, शामिल नहीं किये गये हैं। उन आँकड़ों की सीमा को, जिन पर यह निष्कर्ष आधारित है, लेख के परिशिष्ट-दो में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न नियोजन अवसरों की संख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के अन्य विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप जुटाये नियोजन के कुल अवसरों का एक अंश मात्र है। इस तथ्य को अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ग) ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं के अधीन चल रहे उद्योगों सहित छोटे उद्योगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल देने के अलावा छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों की भलाई के लिए बहुत सी विशेष योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगार को कम करने की दृष्टि से चलाई गई हैं। अन्य योजनाओं के अलावा इनमें छोटे किसानों के लिए कार्यक्रम, अजल-खेती, डेरी विकास, क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में काम के अवसर जुटाने के लिए तैयार किये गये एक विशेष कार्यक्रम (क्रैश प्रोग्राम) को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 1971-72 के दौरान 50 करोड़ रुपये के परि-व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 व्यक्तियों के लिए काम के अवसर जुटाये जायेंगे। इसे तत्काल लागू किया जाएगा। इन विशेष योजनाओं के लागू होने से न केवल देहाती आबादी के निर्बल अंग को विकास प्रक्रिया में सहयोग देने और आर्थिक विकास के लाभों का भागीदार बनने का अवसर मिलेगा बल्कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी जिसके फल-स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक बड़ी मात्रा में काम के अवसर प्राप्त होंगे।

इन योजनाओं को तुरन्त और दक्षतापूर्वक लागू करने की दृष्टि से योजना आयोग ने ग्रामीण विकास एवं नियुक्ति अवसर के कार्य में समन्वय के लिए एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति का गठन किया है जो इन योजनाओं की प्रगति को समय-समय पर जाँचती रहेगी।

केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को उड़ीसा के इंजीनियरी उद्योगों में लागू करना

*80. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना को उड़ीसा सरकार ने क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). मजदूरी बोर्ड के रिपोर्ट संबधी केन्द्रीय सरकार के संकल्प के अनुसरण में, उड़ीसा सरकार ने नियोजकों और श्रमिकों के बीच बातचीत करवाई लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। इसके बाद राज्य सरकार ने एक समिति की स्थापना की जिसने विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के पश्चात् सिफारिशें कीं। इस समिति की सिफारिशें मान ली गई हैं और संबंधित पक्षों से क्रियान्वित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हैं।

Accumulation of Stock of Sugar with Central and State Governments and Change in Sugar Policy

*81. SHRI LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether adequate stock of sugar is at present available with the Cantral Government as well as the State Governments;

(b) whether sugarcane payments are not being made to the sugarcane growers in time due to the non-clearance of Government quota of sugar from the sugar mills in the different states as a result of accumulation of stock with the Central and State Governments; and

(c) whether Government propose to bring about any change in the sugar policy regarding control in view of the above situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) & (b). The Central and State Governments do not maintain stocks of sugar, nor is there any accumulation of stocks with them. The stocks are maintained by the factories and are adequate at present. In the case of high cost zones there is accumulation of stocks which is partly due to the failure of the dealers to lift levy stocks. The factories are required to make payment for sugarcane promptly under the Sugarcane Control Order issued under the Essential Commodities Act and they are to make arrangements for finance for the purpose. Their failure to do so is not necessarily due to accumulation of stocks as they receive bank credit thereon.

(c) There is no such proposal at present.

दरभंगा में मिथिला प्रसारण केन्द्र की स्थापना

*82. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दरभंगा में मिथिला प्रसारण केन्द्र स्थापित करने संबंधी योजना को शीघ्र आरम्भ तथा पूरा करने के लिए क्या व्यावहारिक कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : स्टूडियो के लिए भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है तथा ट्रांसमीटर के लिए भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही पूरी होने वाली है। निर्माण कार्य निकट भविष्य में चालू हो जाएगा। उपकरण प्राप्त करने के लिए इन्डैट भेज दिये गये हैं। आशा है यह परियोजना 1973-74 तक पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर गन्ने की बकाया राशि

*83. **श्री एन० एन० पाण्डेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में मिल मालिकों ने गन्ना उत्पादकों को पिछली तथा चालू फसल की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया है जिससे गन्ना उत्पादकों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) गत तथा चालू फसलों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रत्येक चीनी मिल पर कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—92/71.**]

Court Cases against P&T Employees at Ranchi

*84. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether court cases are still being pursued against 128 employees of P&T Department, Ranchi, in connection with the taken strike of 19th September, 1968;

(b) if so, whether the former Minister of Information and Broadcasting and Communications, when he visited Ranchi last time, had given an assurance to withdraw the court cases; and

(c) if so, the action taken towards fulfilling the assurance given by him ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a). 126 officials of the Telecommunications Wing of the Department at Ranchi are being prosecuted under

Section 4 of the Essential Services Maintenance Ordinance in connection with the strike of September, 1968.

(b) and (c). There is no official record to confirm this. It is however, for the State Government to drop the prosecutions. The P&T Department have given their concurrence, whenever consulted by the State Government.

Radio Broadcasts by Political Parties

*85. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether in the recent mid-term poll for Lok Sabha, the Chief Election Commissioner had made certain suggestions in connection with the radio broadcasts by political parties during elections;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reasons for not allowing radio broadcast by the political parties ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) and (b). Yes, Sir. The Chief Election Commissioner had made certain proposals to political parties regarding election broadcasts on radio. According to these proposals each major national party was to be allowed to make four broadcasts, each of ten minutes duration. In the absence of agreement amongst political parties, however, he did not pursue the matter.

(c) As the Chief Election Commissioner was unable to make any concrete recommendations to Government in this respect, Government did not consider it appropriate to introduce the system of radio broadcasts by political parties.

चलचित्रों के सेन्सर करने संबंधी सिद्धान्त

*86. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्रों के सेंसर करने संबंधी सिद्धांत क्या हैं;

(ख) क्या ये सिद्धांत पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनमें सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). सार्वजनिक प्रदर्शनार्थ फिल्में प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) पर आधारित हैं, चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5बी (1) में दिये हुए हैं। इस मंत्रालय द्वारा फिल्म सेन्सर बोर्ड को व्यापक निदेश जारी किये गये हैं जिनमें वे सिद्धान्त दिये हुए हैं जिन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को स्वीकृति देते समय बोर्ड को ध्यान में रखने चाहिएं।

Storage facilities and reasonable price of Products to Farmers

*87. SHRI SHIVNATH SINGH : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the effective steps proposed to be taken by Government to ensure that the farmers get reasonable price of their agricultural product and the middle-men do not get profit: and

(b) whether Government are in a position to provide to farmers the facilities of storage of their produce in godowns and get advance against it so that they may sell their produce when the prices are favourable to them and if not, the steps proposed to be taken by Government to provide such facilities to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) The procuring agencies are advised to ensure that the producers are paid the remunerative procurement prices fixed by Government. They are further advised to make direct purchases from the producers as far as possible.

(b) Government are aware of the need to provide facilities to the farmers for storing their produce in warehouses and getting advances against such storage. Facilities of storage are available to the farmers in the warehouses run by the Central and State Warehousing Corporations and the depositors can get advances from scheduled Banks against the warehousing receipts issued by these Corporations. A large network of storage godowns under the cooperative sector has also been set up where the farmers can deposit their produce and obtain advances from the cooperative institutions against such deposits. As and when more and more farmers choose to take advantage of such facilities and the need increases, Government will take steps to extend the coverage of the network to more centres and to provide more storage capacity for this purpose.

कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के संबंध में अमरीकी विशेषज्ञ के विचार

*88. **श्री दंडपाणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क कृषि विकास परिषद् के अध्यक्ष, डा० आर्थर मोशेर ने यह सुझाव दिया है कि भारत में कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये जा सकते हैं यदि कृषि विकास संबंधी आयोजन का, किसानों के लिए अच्छे वैकल्पिक रोजगार पैदा करने के लिए, प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) डा० मोशेर द्वारा दिये गये अन्य सुझाव क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) डा० आर्थर मोशेर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में तृतीय लाल बहादुर स्मारक भाषण-माला में "कृषि आधुनिकीकरण" विषय पर भाषण दिया था। उन्होंने कृषि आधुनिकीकरण के लिए ऐसे वृहत् आयोजन तथा योजना की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे शीघ्र उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके।

(ख) डा० मोशेर के सुझावों को नोट कर लिया गया है। वास्तव में उन्होंने जिन बातों पर जोर दिया है वे हमारी कृषि विकास योजना में पहले ही से विद्यमान हैं।

(ग) उनके अन्य सुझाव निम्न हैं :

(1) 'फसल' की अपेक्षा 'क्षेत्र' विषयक योजना बनाना;

(2) उच्च किस्म के कृषि अनुसंधान को सुनिश्चित करना;

(3) फार्म आदानों की सप्लाई बढ़ाना;

(4) कृषकों, प्रोत्साहनों और कृषि मूल्यों पर समुचित ध्यान देना;

(5) सिंचाई आदि द्वारा कृषि भूमि का विकास करना;

(6) मानव-शक्ति के कृषि शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना; और

(7) किसी एक क्षेत्र की विकास संभाव्यताओं के उपयुक्त कृषि विकास कार्यक्रम शुरू करना।

आर० एस०-09 ट्रैक्टरों में दोष

*89. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत के अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कृषकों ने विभिन्न राज्यों के कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के माडल आर० एस० 09 जो ट्रैक्टर खरीदे थे, उनमें यांत्रिक तथा अन्य प्रकार के दोष पाये गये हैं और अनेक कृषकों ने विभिन्न राज्यों के कृषि उद्योग निगमों को उक्त ट्रैक्टर लौटा दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्य सरकारों के संघों तथा कृषकों के क्या नाम हैं; और

(ग) उनके द्वारा की गई शिकायतों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है और भारत सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या कार्यवाही की है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). सामान्यत: प्राप्त होने वाली शिकायतें मास्टर स्विच सहित विद्युत व्यवस्था, ग्लो प्लग टेस्टर का स्क्रू इलास्टिक कैप, स्टारटिंग सिस्टम, इंजिन, क्लच, प्रेसर पाइप से तेल के रिसने आदि के संबंध में हैं। पूर्वी जर्मनी के संभरकों से इन ट्रैक्टरों को ठीक करवाने के लिए कदम उठाये गये थे। कृषक तथा उनके संघों से भी इन ट्रैक्टरों की वापिसी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ठीक किये गये ट्रैक्टरों को वापिस करना स्वीकार कर लिया गया है और इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

इन ट्रैक्टरों की वापिसी राज्य कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से की जाएगी और व्यक्तिगत कृषकों के नामों के संबंध में उनसे जानकारी एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी और टेलीविजन केन्द्रों का विस्तार

*90. **श्री राधाकृष्णन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के केन्द्र वर्ष भर पूरा समय चलने और देश भर में टेलीविजन केन्द्रों के निर्माण तथा विस्तार के लिए पूर्णतः सुसज्जित हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). आकाशवाणी के केन्द्र वर्ष भर पूरे समय के कार्य करने के लिए पूर्णरूपेण सुसज्जित हैं।

जहाँ तक टेलीविजन के विस्तार का संबंध है, आकाशवाणी ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बम्बई-पूना, श्रीनगर, मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ-कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का काम हाथ में ले लिया है। देश में अन्य स्थानों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का काम साधनों की उपलब्धि के अनुसार बाद में क्रमिक अवस्थाओं में किया जाएगा।

नई हिन्दी सलाहकार समिति स्थापित करना

109. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** नई हिन्दी सलाहकार समिति स्थापित करने के बारे में 12 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 636 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में गृह-कार्य मंत्रालय की सलाह से कोई निर्णय इस बीच कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख). सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति अर्थात् 'सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति' का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ. 12 (6)/67-प्रशासन-एक, तारीख 7 दिसम्बर, 1970 के द्वारा पुनर्गठन हो गया था। लेकिन उसके शीघ्र बाद हो चौथी लोक सभा के भंग हो जाने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि समिति में नवगठित लोक सभा के प्रतिनिधियों को नामज़द करने के लिए कदम उठाए जाएं।

चीनी, गुड़ और खाण्डसारी का उत्पादन और उत्पादन शुल्क की वसूली

110. **श्री एस० एल० सक्सेना :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देश में चीनी, खाण्डसारी और गुड़ के कुल उत्पादन का राज्यवार व्यौरा क्या है और प्रति वर्ष इनका औसत विक्रय मूल्य क्या-क्या रहा; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष चीनी और खाण्डसारी पर वसूल किये गये उत्पादन-शुल्क की कुल राशि का राज्यवार व्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे गये हैं जिनमें 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के पिछले तीन वर्षों के बारे में उपलब्ध सूचना दी गई है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०—टी० 93/71**]

(1) विवरण-1 में देश में चीनी का राज्यवार उत्पान्दन दिया गया है।

(2) विवरण-2 में देश में राज्यवार गुड़ (खंडसारी सहित) का अनुमानित उत्पादन दिया गया है।

(3) विवरण-3 में कुछेक महत्वपूर्ण मंडियों में चीनी का औसत खुले बाजार/नियंत्रित मूल्य दिया गया है।

(4) विवरण-4 में कुछेक महत्वपूर्ण मंडियों में गुड़ के औसत थोक बाजार मूल्य दिये गये हैं।

(5) विवरण-5 में कुछेक महत्वपूर्ण मंडियों में खंडसारी के औसत थोक बाजार मूल्य दिये गये हैं।

(ख) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी और खंडसारी से राज्यवार प्राप्त केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की राशि विवरण-6 में दी गई है।

नलकूप लगाने के लिए गुजरात को वित्तीय सहायता

111. **श्री एस० एम० सोलंकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1970 में कितने नलकूप लगाये गये;

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक नलकूप लगाने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं; और

(ग) खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर होने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात के बनासकांठा जिले में मरुभूमि विकास के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 के दौरान सिंचाई के लिए 8 नलकूप खोदे गये थे। इसके अतिरिक्त, राज्य के सूखे से प्रभावित 5 जिलों अर्थात् राजकोट, बनासकांठा, सुरेन्द्रनगर जामनगर तथा कच्छ में केन्द्रीय प्रायोजित ग्राम-निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 नलकूप खोदने का कार्यक्रम हाथ मेंलिया गया। वर्ष 1970-71 के दौरान इनमें से 8नलकूपों के पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) चौथी योजना के दौरान ग्राम-निर्माण के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 117 नलकूपों के निर्माण का विचार है। इनमें से वर्ष 1970-71 के दौरान पूरे होने वाले 8 नलकूपों के अतिरिक्त, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 1971-72 के दौरान 56 और नलकूपों के पूरे होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1971-72 के दौरान सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य द्वारा सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 40 और नलकूपों के खोदे जाने की संभावना है।

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान मरुभूमि विकास तथा ग्राम-निर्माण के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत नलकूपों पर क्रमश. 11·52 लाख रुपये एवं 8·0 लाख रुपये व्यय होने की संभावना है।

अनाज के संबंध में आयात नीति

112. **श्री एस० एम० सोलंकी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वर्षों में विदेशों से अनाज आयात करने के संबंध में सरकार की नीति क्या होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : भारत सरकार ने 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात वन्द करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी है।

आकाशवाणी के कुड्डापेह केन्द्र से रायलसीमा के लिए प्रसारण

113. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रायलसीमा के लोगों के अनुरोध पर, आकाशवाणी के कुड्डापेह केन्द्र से दिन के समय से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को गत दिसम्बर से रिले करना स्वीकार किया था;

(ख) क्या उक्त आश्वासन अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख). जी, हाँ। तथापि, इसको दिसम्बर, 1970 से प्रारम्भ करने का वचन नहीं दिया गया था।

(ग) तथा (घ). ट्रांसमिशन समय बढ़ाने के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। निर्णय को यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

Supply of Wheat, Rice and Sugar to Madhya Pradesh

114. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state ;

(a) the quantity of wheat, rice and sugarcane produced in Madhya Pradesh this year, separately;

(b) the quantity of wheat allotted by the Central Government to Madhya Pradesh during the last five months; and

(c) the quantity of wheat, rice and sugar supplied to the State Government during the said period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) Firm estimates of production of wheat, rice and sugarcane for 1970-71 are likely to become available after the close of the current agricultural year, that is sometime in July-August, 1971.

(b) & (c). The quantities of wheat and levy sugar allotted to Madhya Pradesh during the above mentioned period are as under :

Wheat	...	63,000	Tonnes
Levy sugar	...	76,600	,,

The quantity of wheat supplied to Madhya Pradesh against the quantity allotted was 23,600 tonnes upto 20th March, 1971. Madhya Pradesh is surplus in rice and only an insignificant quantity was supplied to it for East Pakistan refugees. As regards levy sugar, it was for the State Govt. or their nominees to lift the sugar allotted. This allotment was in addition to the free sale sugar which was supplied to Madhya Pradesh by the sugar factories/trade in and outside the State and on the inter-State movement of which there is no control. Information in respect of supplies of sugar to Madhya Pradesh is not available.

मालवीय नगर, नई दिल्ली में मकानों के अलाटियों द्वारा भुगतान न किया जाना

115. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री मालवीय नगर, नई दिल्ली में अलाटियों द्वारा मकानों का पूरा भुगतान न किये जाने के बारे में 10 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4084 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पत्ति संख्या बी-1/55 और बी-1/56 के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; क्या इन मकानों का पूरा भुगतान इस बीच कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पूरा भुगतान कब तथा किसके द्वारा किया गया था और, अब ये मकान किसके नाम पर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो 16 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6405 के उत्तर में दी गई मकानों की सूची में इन मकानों को शामिल न किये जाने के क्या कारण थे; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है तथा इन मकानों को नीलाम कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). मालवीय

नगर में सम्पत्ति संख्या बी-1/55 और बी-1/56 का निपटान 1956 में नीलाम द्वारा कर दिया गया था और इसलिए अब ये सम्पत्तियाँ अलाट की जाने वाली नहीं हैं।

नीलाम में खरीदार, श्री पी० एल० खन्ना, स्वयं दावेदार हैं और उसने दोनों सम्पत्तियों के विक्रय मूल्य को पूरा करने के लिए निजी दावे 1956 में प्रस्तुत किये थे।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की विस्थापित बस्तियों में अलाटियों द्वारा भुगतान नहीं किये गये मकानों की बिक्री

116. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई बार स्मरण पत्र दिये जाने के बावजूद दिल्ली के विस्थापित बस्तियों के जिन अलाटियों ने मकानों का पूरा भुगतान नहीं किया है, ऐसे मकानों को बेचने के लिए सरकार ने क्या कसौटी अपनाई है;

(ख) सरकार का ऐसे सभी मामलों को कब तक निपटाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बहुत से ऐसे मकान हैं जिनके मूल अलाटियों का कोई पता नहीं है;

(घ) क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उन मकानों की सार्वजनिक रूप में नीलामी किये बिना वे अन्य अपात्र व्यक्तियों को न दिये जायें; और

(ङ) यदि इन मकानों की सार्वजनिक रूप से नीलामी नहीं करने का विचार है तो उनका निपटारा, कैसे और कब तक किया जाएगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जिन मकानों के बारे में पूरा भुगतान समय पर नहीं किया जाता, उन्हें भुगतान न होने के कारण वापिस ले लिया जाता है और उनका नीलाम द्वारा निपटान किया जाता है।

(ख) निश्चित अवधि तक भुगतान न करने वालों को सामान्य ढंग से माँग नोटिस जारी किये जाते हैं और, जब वह भुगतान नहीं करते तो, सम्पत्तियों का नीलाम कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वाभाविक है और कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). ऊपर (क) और (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली की विस्थापित बस्तियों में प्लाटों पर अनधिकृत कब्जा

117. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री दिल्ली में विस्थापित बस्तियों के अनधिकृत प्लाटों के निपटान के बारे में 19 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1410 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न विस्थापित बस्तियों में ऐसे प्लाटों की संख्या कितनी है तथा उनके अनधिकृत कब्जाधारियों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अनधिकृत कब्जे हटाने हेतु इन अनधिकृत कब्जाधारियों को जारी किये गये नोटिसों के क्या परिणाम निकले;

(ग) ऐसे प्लाटों की क्या संख्या है जो अब तक खाली कराये जा चुके हैं तथा अन्य मामलों से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार कब इन प्लाटों का निपटान विक्रय/नीलाम द्वारा करना चाहती है तथा इन प्लाटों के निपटान के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 800 प्लाटों की एक सूची, अनधिकृत कब्जेदारों के नामों सहित, सभा पटल पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—94/71**]

(ख) अनधिकृत कब्जेदारों ने, जिन्हें बेदखली के नोटिस दिये गये थे, न तो कोई उत्तर दाखिल किये हैं और न ही प्लाटों को खाली किया है।

(ग) और (घ). कोई प्लाट भी खाली नहीं करवाया गया है। कार्यवाही अभी होनी है। इन प्लाटों के निपटाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली की विस्थापित बस्तियों में खाली प्लाटों का निपटान

118. **श्री शशि भूषण** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में उन बस्तियों के क्या नाम हैं जहाँ प्लाट खाली पड़े हैं तथा जिन्हें अभी तक आवंटित/नीलाम नहीं किया गया है;

(ख) प्रत्येक बस्ती में ऐसे प्लाटों की संख्या क्या है तथा सरकार का विचार उन्हें किस प्रकार बेचने का है;

(ग) क्या सरकार ने इन खाली पड़े अथवा अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये प्लाटों को बेचने के लिए कोई योजना तैयार कर ली है; और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार इन प्लाटों को निश्चित रूप से कब तक बेच देने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). एक सूची, जिसमें बस्तियों के वे प्लाट दिखाए गए हैं जिनका निपटान अभी नहीं हुआ है, संलग्न है।

(ग) और (घ). इनका निपटान, विस्थापित व्यक्ति (पुनर्वास तथा प्रतिकर) अधिनियम, 1954 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार नीलाम अथवा आबंटन द्वारा किया जाएगा।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न पुनर्वास बस्तियों में उन प्लाटों का ब्यौरा जिनका 27-3-1971 तक निपटान नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	बस्ती का नाम	प्लाटों की कुल संख्या	
1.	जंगपुरा	17	
2.	मालवीय नगर	90	
3.	कालकाजी	646	इसमें वे प्लाट भी शामिल हैं जिनका अनुमोदन दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाना है।
4.	लाजपत नगर	54	
5.	निजामुद्दीन	11	
6.	डिफेन्स कालोनी	15	
7.	अलीगंज	13	
8.	अन्धा मुगल	5	
9.	तिहार II	2	
10.	नरेला	14	
11.	मलकागंज	19	
12.	सराय रोहिला	3	
13.	गुर की मंडी	3	
14.	भारत नगर	6	
15.	हकीकत नगर	4	
16.	इन्द्रा नगर	3	
17.	पटेल नगर	9	
18.	तिलक नगर	130	
19.	मोती नगर	7	
20.	रमेश नगर	75	
21.	पुराना राजेन्द्र नगर	62	
22.	नया राजेन्द्र नगर	95	
23.	गांधी नगर	365	
	योग	1648	

31 जनवरी, 1971 तक टेलीफोन तथा तार सुविधाओं वाले डाकघर

119. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1971 तक नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे डाकघरों की कितनी संख्या थी जहाँ टेलीफोन तथा तार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) उनमें से कितने डाकघर बिहार राज्य में हैं तथा बिहार राज्य में यह संख्या कुल डाकघरों की संख्या का कितने प्रतिशत है ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जाएगी और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

31 जनवरी, 1971 को कार्य कर रहे डाकघर

120. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनाँक 31 जनवरी, 1971 को (एक) नगरीय क्षेत्रों और (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) दिनाँक 31 जनवरी, 1971 को नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग उनमें से कितने डाकघर (एक) लाभ में तथा (दो) घाटे में चल रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में कितने नये डाकघर खोले गये; और

(घ) देश में वित्तीय वर्ष 1971-72 में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितने नये डाकघर स्थापित किये जाने हैं तथा उनमें से प्रत्येक श्रेणी के कितने डाकघर बिहार में स्थापित किये जाने हैं ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 31-1-1971 को देशभर में 1,07,331 डाकघर काम कर रहे हैं, जिनमें से 10,242 शहरी क्षेत्रों में और 97,089 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) डाकतार विभाग के वर्तमान नियमों में ऐसी कोई कार्यविधि नहीं है जिसके अन्तर्गत स्थायी डाकघरों की वार्षिक वित्तीय समीक्षा की जाए। इसलिए यह बता सकना संभव नहीं है कि स्थायी डाकघरों पर कितनी हानि या लाभ हो रहा है तथापि, प्रायोगिक डाकघरों की वित्तीय स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। 31-1-1971 को देश भर में 27,512 प्रायोगिक डाकघरों में से शहरी क्षेत्रों में स्थित 973 डाकघर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 4,621 डाकघर सीमान्तक लाभ पर काम कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में स्थित 245 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 21,673 डाकघर हानि पर चल रहे हैं।

(ग) 1968, 1969 और 1970 के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश: 3190, 2607 और 2635 डाकघर और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 358, 306 और 350 डाकघर खोले गये।

(घ) 1971-72 के वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 2,764 और शहरी क्षेत्रों में 394 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से बिहार राज्य के शहरी क्षेत्रों में 74 उप-डाकघर और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

कपास का उत्पादन

121. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1971-72 में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है तथा क्या कपास के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई दीर्घावधि कार्यक्रम भी बनाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका व्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार किन ऐसे नये क्षेत्रों में कपास का उत्पादन करने का है जिनमें सिचाई सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) : जी, हाँ।

(ख) सन् 1971-72 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित रूई विकास कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा निम्न प्रकार है :

1. रूई के अधिकतम उत्पादन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(1) 5·72 लाख हैक्टर क्षेत्र में पैकेज पद्धति को अपना कर रूई के उत्पादन को बढ़ाना।

(2) 914 हैक्टर भूमि में न्यूक्लियस तथा मूल बीज का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन।

(3) 6265 हैक्टर भूमि में कम्पोजिट प्रदर्शन।

(4) 1·75 लाख हैक्टर क्षेत्र में सामूहिक वनस्पति रक्षण अभियानों का आयोजन।

(5) 2·60 लाख हैक्टर क्षेत्र में पौद रक्षण के लिए कीटनाशक औषधियों का हवाई छिड़काव।

(6) 28,320 हैक्टर से अधिक क्षेत्र के वर्षा सिंचित भूखण्डों में उपज स्तर को बढ़ाने में यूरिया के पर्णीय प्रयोग के लाभ का प्रदर्शन।

(7) साघन खेती योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में 24 कपास श्रेणीकरणों की स्थापना।

2. सी० आइलैण्ड काटन के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना

आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों के 1,000 हैक्टर क्षेत्र में सी० आइलैण्ड काटन का उत्पादन।

उत्पादन संबंधी प्रयत्नों को और अधिक तीव्र करने के उद्देश्य से सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के प्रतिमान से सम्बद्ध विशिष्ट योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त सभी योजनाओं के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 1972-73 और 1973-74 के दौरान क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

(ग) सरकार आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर में, मैसूर के तुगंभद्र और राजस्थान के राजस्थान नहर क्षेत्र में सिंचित कपास का विकास करने का इरादा रखती है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए "भूमि सेना" (लैंड-आर्मी)

122. **श्री एस० एम० बनर्जी : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने हेतु एक "भूमि-सेना" (लैंड-आर्मी) गठित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई विस्तृत योजना तैयार की गई है ?

श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते।

उड़ीसा के पुरी और बरहामपुर में सार्वजनिक टेलीफोन घरों का खोला जाना

153. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में उड़ीसा के पुरी और बरहामपुर पोस्टल डिवीजनों में नये सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में कुहुरी, गनिया और गढ़ नियाल में अब तक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हाँ। 1970-71 के वर्ष के दौरान पुरी डाक डिवीजन में तीन और बरहामपुर डिवीजन में चार सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पुरी जिले में कुहुरी, गनिया और गढ़ नियाल में सार्वजनिक टेलीफीन घर खोलने के प्रस्तावों की अभी जाँच की जा रही है।

कानपुर की कपड़ा मिलों में कपड़ा मजूरी बोर्ड के पंचाट का क्रियान्वित किया जाना

124. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मजूरी बोर्ड के पंचाट को कानपुर की सभी कपड़ा मिलों में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसको क्रियान्वित नहीं किया है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). कानपुर की 10 सूती कपड़ा इकाइयों में कपड़ा मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति की स्थिति, जैसी कि राज्य सरकार ने सूचित की है, इस प्रकार हैं :

(I) मूल मजदूरी का 1-1-1969 से निर्धारण करने तथा उजरती दरों में संशोधन करने की कार्यवाही को छोड़कर, जिनके संबंध में बातचीत चल रही है, निम्नलिखित पाँच इकाइयों ने अधिकाँश सिफारिशों को क्रियान्वित किया है :

(1) मैसर्स एलगिन मिल्स कं० लि० (मिल संख्या 1), कानपुर।

(2) मैसर्स एलगिन मिल्स कं० लि० (मिल संख्या 2), कानपुर।

(3) मैसर्स कानपुर टैक्सटाइल लि०, कानपुर।

(4) मैसर्स जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, कानपुर।

(5) मैसर्स स्वदेशी कॉटन मिल्स कं० लि०, कानपुर।

(II) निम्न तीन इकाइयों ने सिफारिशों को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया है :

(1) मूइर मिल्स कं० लि०, कानपुर।

(2) ऐथेटन वेस्ट एण्ड कं० लि०, कानपुर।

(3) जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स कं० लि०, कानपुर।

इसमें से दो इकाइयाँ, अर्थात् ऐथेटन वेस्ट एण्ड कं० लि०, कानपुर और जे० के० मैन्यूफैक्चरर्स कं० लि०, कानपुर ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी और रोकने के आदेश प्राप्त कर लिए हैं; फिर भी उन्होंने नियोजकों व श्रमिकों के बीच हुए समझौते के अनुसार सिफारिशों को आँशिक रूप से क्रियान्वित किया है।

(III) निम्न दो इकाइयों ने सिफारिशों का क्रियान्वित नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने यह दावा किया है कि वे कमजोर इकाइयाँ हैं :

(1) मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर।

(2) मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, कानपुर।

2. जिन इकाइयों ने यह दावा किया है कि वे कमजोर हैं, उनके मामलों पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक व्यक्ति समिति ने विचार किया और उनकी सिफारिशों पर अब राज्य सरकार विचार कर रही है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस एजेंसी में बदला जाना

125. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस एजेंसी में बदलने के लिए अंतिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई वैकल्पिक सुझाव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक पूर्ण रूपेण अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में बदलने का निर्णय प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा ही लिया जाना है, न कि सरकार द्वारा।

(ख) और (ग). भारत में तथा भारत के बाहर समाचारों को प्रभावशाली ढंग से भेजने की आवश्यकता अनुभव करते हुए सरकार यह चाहती है कि पूरे साज सामान सहित एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी का गठन हो और वह इस प्रकार की एजेंसी के गठन को प्रोत्साहित करेगी।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूँ के आयात का बन्द किया जाना

126. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लिए जाने पर भारत में पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूँ का आयात बंद कर दिये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा कब तक होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख).

यह अनुमान है कि 1971 के बाद पी० एल० 480 के अधीन गेहूँ का आयात बन्द कर दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० में टेलीग्राफ और टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग के प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

127. **श्री नरेन्द्र कुमार साही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीग्राफ और टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग के उन अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं जो इस समय इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और इलाहाबाद में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे किस पद पर नियुक्त हैं, उनका वेतन और भत्ता क्या है तथा प्रत्येक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या है;

(ख) उनका चयन किस प्रकार किया गया था तथा क्या सभी पोस्टल सर्किलों और टेलीफोन डिस्ट्रिक्टों से नाम माँगे गये थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसरण में उन अधिकारियों को टेलीफोन इंडस्ट्रीज में समाहित होने अथवा अपने मूल विभागों में वापस आने की छूट दी गई है ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) इसके उत्तर के लिए कृपया अनुबंध देखें। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—95/71**]

(ख) अध्यक्ष व प्रबन्ध-संचालक का पद एक उच्चतम कार्य-संचालक पद है, जिसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के उच्चतम प्रबन्धक पदों की अनुसूची 'ग' में शामिल किया गया है। इस पद पर नियुक्ति पैनल में सम्मिलित अधिकारियों में से की जाती है। तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी-1 के जिन वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के डाक-तार अधिकारियों को इस पैनल में शामिल किया गया था, उनमें से वरिष्ठतम श्री सी० ए० कार्नेलियस (अनुबंध के क्रमांक 1 पर) का चयन किया गया था।

अन्य अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज से नाम का विशिष्ट माँग-पत्र प्राप्त होने पर की गई थी।

(ग) स्पष्टतः संकेत वित्त मंत्रालय के आदेशों की ओर है। वित्त मंत्रालय के दिनाँक 26-2-1969 के आदेशों से पहले प्रतिनियुक्त अधिकारी 31-8-1971 तक ऐसा विकल्प दे सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में स्थायी रूप से समाहित किये जाने या उन्हें डाक-तार विभाग को वापिस भेजने के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है और इन्हें उपर्युक्त तारीख से पहले अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शेष अधिकारियों को इस विषय पर वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार उपयुक्त समय पर ऐसा विकल्प देने के लिए कहा जाएगा।

Aid to Small Farmers

128. SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the number of small farmers provided with aid under the declared policy of Government; and

(b) the terms and conditions governing the aid and whether Government have also given some concession in the rates with a view to providing the farmers with agricultural implements at reasonable prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) and (b). The declared policy of the Government is to assist small farmers to obtain credit and other facilities to improve their production programmes so as to enable them to improve their economic status.

2. As far as the Central Government is concerned two Central Sector Pilot Schemes (i) for Small Farmers who are potentially viable (generally having holdings between 2·5 to 5 acres) and the other (ii) for assisting marginal farmers (having holdings generally below 2·5 acres) and agricultural labourers are under implementation. Under the Small Farmers Scheme (SFDA), 46 projects would be in operation in different parts of the country. Under the Marginal Farmers and Agricultural Labourers project, 41 projects would be in operation. In each small farmers project about 50,000 small but potentially viable farmers would be assisted during the remaining period of the 4th Five Year Plan to become viable ones. Similarly under the project for marginal farmers and agricultural labourers about 15,000 marginal farmers and about 5,000 agricultural labourers would be assisted with credit and other facilities to improve their production potential and diversify their activities and derive increased income in each project. Thus in all about 3 million small farmers having holdings below 5 acres would be assisted under these two programmes during the Fourth Five Year Plan period. The Agency constituted in each SFDA area would help cooperatives and other institutions to provide credit and other facilities to small farmers. The implementation of these schemes would throw light on measures generally to be adopted to tackle the problems of small farmers relating to credit and other services for production.

3. Under the Small Farmers Development Agency Scheme, the small farmers are generally provided with 25% subsidy on capital cost to obtain the necessary loan for investment purposes. Under the scheme of marginal farmers, where the level of credit-worthiness of the borrowers is lower, the subsidy assistance has been increased to 33-1/3%. Similar facilities are available to small and marginal farmers for purchase of agricultural implements also under these schemes. Small farmers and marginal farmers in the Central Sector Scheme areas are also being provided special facilities for use of services of machinery and improved agricultural implements. In order that such small farmers have access to such facilities they are given concessions in rates to the extent of 25% in SFDA areas and 33-1/3% in MFAL areas.

4. The SFDA/MFAL Agencies are providing a risk fund contribution to the cooperatives at a specified rate on the advances to encourage flow of credit to small farmers/marginal farmers/agricultural labourers. About 68% of the total loans issued by cooperatives during 1968-69 were in amounts of Rs. 1,000 or less. Of these about 46% of the loans were of the order of Rs. 500 or less.

5. The commercial banks, specially in the public sector, have increasingly been catering to the needs of small farmers. The number of accounts of direct advances to farmers by the public sector banks has increased from 1·72 lakhs as on 30.6.69 to 7·71 lakhs by the end of November, 1970. The outstandings from the public sector banks to cultivators have also gone up from Rs. 38·02 crores to Rs. 197·73 crores during the same period. Thus the commercial banks are gradually providing more and more loans to small farmers, e. g. the

State Bank group of banks had assisted two lakh farmers with loans for agricultural purposes as on 31.3.1970. Of these 0·90 lakh representing 45% were small farmers having holdings upto 5 acres. This was against 41% as on 31.12.1969. The outstandings from the State Bank of India group to all farmers were of the order of Rs. 46·43 crores as on 31.3.1970 as against which Rs. 10·52 crores were loans to small farmers having holdings up to 5 acres.

विदेशी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा

129. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा, सरकार के उस संकल्प को, जिसमें उसने श्री वी० एन० गोखले जाँच आयोग द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा के संबंध में दी गई सिफारिशों को स्वीकार किया था, क्रियान्वित करने से इंकार किये जाने की स्थिति में सरकार का अपने उस संकल्प को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार, कर्मचारियों की सेवा तथा नौकरी को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी जाँच समिति नियुक्त करने का है जो इस बात का पता लगायेगी कि गत दस वर्षों में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा, अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने हेतु कितने कार्य ठेके पर दिये गये तथा उन कार्यों का स्वरूप क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). गोखले आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया, तथापि इन सिफारिशों पर एक त्रिपक्षीय बैठक में विचार-विमर्श हुआ और उसके पश्चात् नियोजकों तथा श्रमिकों द्वारा इन पर द्विपक्षीय वार्ताएं हुईं । उपर्युक्त विचार-विमर्शों के परिणाम-स्वरूप तथा साथ ही इस तथ्य के कारण कि संबंधित पक्ष आपस में किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके, सरकार विभिन्न संबंधित पक्षों से परामर्श करके औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में आवश्यक संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि सभी उद्योगों में, जिनमें तेल कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, समान रूप से नियोजित श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कुछ सीमा तक सुनिश्चित की जा सके ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रोजगार की व्यवस्था में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना

130. **श्री डी० एस० अफजलपुरकार :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस का व्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार जन्म-स्थान या निवास-स्थान के आधार पर सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में पक्षपात वर्जित है।

दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन

131. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र को (i) अप्रैल से सितम्बर, 1970 और (ii) अक्तूबर, 1970 से मार्च, 1971 तक अखबारी कागज का कुल कितना कोटा दिया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक समाचार पत्र को (i) अप्रैल से सितम्बर, 1970 और (ii) अक्तूबर, 1970 से मार्च, 1971 तक कुल कितनी राशि के केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन दिये गये;

(ग) क्या सरकार ने पिछले मध्यावधि चुनाव के संबंध में देश भर में विशेष विज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है और प्रत्येक मद पर कुल कितना व्यय किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) प्रत्येक समाचार पत्र को अखबारी कागज का कोटा अप्रैल से मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रूप से दिया जाता है। आयात नीति के लिए लाइसेंसिंग अवधि भी अप्रैल से मार्च तक है। तदनुसार, एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें 1970-71 के दौरान प्रत्येक समाचार पत्र को दिया गया अखबारी कागज का कोटा दर्शाया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—96/71**]

(ख) प्रत्येक समाचार पत्र को दिये गये विज्ञापनों तथा उन्हें दी गई राशि के व्यौरे संबंधी सूचना गोपनीय समझी जाती है। समाचार पत्रों को विज्ञापन एक घोषित नीति, जो अभेद-मूलक होती है, के अनुसार दिये जाते हैं।

(ग) तथा (घ). जी, हाँ। निम्नलिखित विज्ञापन जारी किये गये थे जिन पर हुआ अनुमानित व्यय उनके आगे दिया गया है :

1. "वोट देना आपका पवित्र कर्त्तव्य है"	42,000 रुपए
2. "निडर होकर वोट दीजिए"	42,000 रुपए
3. "वोट देने के लिए घूस या प्रलोभन स्वीकार मत कीजिए"	42,000 रुपए
4. "आपका मतदान केन्द्र पास में है"	42,000 रुपए

5. "कोई पता नहीं लगा सकता कि आप वोट किसे देते हैं"	32,000 रुपए
6. "क्या आपका नाम मतदाता सूची में है"	1,30,000 रुपए
7. "मतदाताओं से अपील"	36,000 रुपए
8. "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए"	1,50,000 रुपए

खुली बिक्री के लिए चीनी की मात्रा

132. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के हाल ही के नीति संबंधी निर्णय के अनुसार चीनी की कितनी मात्रा खुले रूप से बेचने की अनुमति दी गई है; और

(ख) दस प्रतिशत कितनी वास्तविक मात्रा का सूचक है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) चालू चीनी वर्ष 1970-71 अर्थात अक्तूबर, 1970 से मार्च/अप्रैल, 1971 तक के दौरान अब तक खुली बिक्री के लिए 7·80 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई है ।

(ख) यदि लेवी चीनी से खुली बिक्री की चीनी का अनुपात 60 : 40 के स्थान पर 70 : 30 होता, तब उसी अवधि में अर्थात अक्तूबर, 1970 से मार्च/अप्रैल, 1971 तक खुली बिक्री के लिए लगभग 6·5 लाख मीटरी टन चीनी निर्मुक्त की गई होती ।

वाणिज्य विज्ञापनों से आकाशवाणी को होने वाली आय

133. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान वाणिज्य विज्ञापनों से आकाशवाणी को होने वाली आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विज्ञापन सेवा का विस्तार करने की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) कैलेन्डर वर्ष, 1970 के दौरान कुल आय 2,65,32,192 रुपये थी (इसमें "प्रायोजित कार्यक्रमों" से प्राप्त 7,87,395 रुपये भी शामिल हैं) । एजेंसियों को दिया गया कमीशन काटने के उपरान्त शुद्ध राजस्व लगभग 2,27,38,610 रुपये था ।

(ख) तथा (ग). वर्ष के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापन सेवा का विस्तार चंडीगढ़-जलंधर, कानपुर-इलाहाबाद-लखनऊ, अहमदाबाद-राजकोट तथा बंगलौर-धारवाड़ में किया गया । 21 मार्च, 1971 से यह सेवा हैदराबाद-बिजयवाड़ा से भी चालू हो गई है । इस सेवा का 12 अन्य केन्द्रों में भी विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने से पहले इन केन्द्रों की बाजारी संभाव्यता के आधार पर इनकी आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षमता निर्धारित करनी है ।

(घ) फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि प्रस्तावित नये केन्द्रों से कितनी अतिरिक्त आय होगी, इस समय होने वाली कुल आय के आधार पर प्रत्येक नये केन्द्र से लगभग 15 लाख रुपये प्रतिवर्ष का कुल राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ।

खाद्य तेलों की कमी

134. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से देश के अनेक भागों में खाद्य तेलों की गम्भीर रूप से कमी हो गई है; और

(ख) खाद्य तेलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं जिसके कारण अनेक लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं । यद्यपि देशीय उत्पादन और बढ़ती हुई माँग के अन्तर के कारण कुछ समय से खाद्य तेलों की स्थिति कुछ ठीक नहीं रही है, तथापि खाद्य तेलों की गम्भीर रूप से कमी की कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) खाद्य तेलों के देशीय उत्पादन और माँग के अन्तर को कम करने के लिए खाद्य तिलहनों और तेलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु अनुसंधान और विकास के कार्यक्रम शुरू करने, सोयाबीन तथा सूरजमुखी फूलों जैसे अपरम्परागत तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने, तेल की कुल सप्लाई को बढ़ाने के लिए लघु तिलहनों और बिनौले का उपयोग करने और यथासंभव तिलहनों तथा तेलों के आयात से देशीय सप्लाई को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

'मुहम्मद बिन तुगलक' नामक फिल्म

135. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री रामास्वामी "चो" द्वारा 'मुहम्मद बिन तुगलक' नामक फिल्म हाल ही में तमिलनाडु में बनाई गई थी;

(ख) क्या सरकार ने अत्यधिक काट-छाँट के पश्चात् उस फिल्म को मंजूरी दे दी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) से (ग). जी, हाँ। "मुहम्मद बिन तुगलक" नामक फिल्म को इसमें 20 काट-छाँट करने की शर्त पर 27 फरवरी, 1971 को 'यू' प्रमाण पत्र दिया गया था। इन काट-छाँट की कुल लम्बाई लगभग 83 मीटर थी जबकि फिल्म की कुल लम्बाई लगभग 4,000 मीटर है। काट-छाँट चलचित्र अधिनियम के अनुसार की गई थी।

चीनी उद्योगों के लिए द्वितीय केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन

136. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योगों के लिए द्वितीय केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उन चीनी मिलों की एक सूची सभा पटल पर रखेगी जहाँ कि उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) उड़ीसा राज्य के आस्का स्थित आस्का कोआपरेटिव शुगर इंडस्ट्रीज में उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में केन्द्रीय बिजली मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वयन

137. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मजूरी की दरों को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Streamlining of Distribution of Fertilizers

138. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the agriculturists are not able to make timely and proper use of the fertilizers because of Government control over fertilizers and also because of their defective distribution system; and

(b) if so, the measures proposed to be taken by Government to streamline the procedure in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE, SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) No Sir. In fact, since November, 1969 distribution of fertilizers has been liberalised by providing for registra t ion instead of licencing of dealers.

(b) Distribution of fertilizers is mainly the function of the State Governments. However, the Central Government coordinates assessment of requirements and supply of fertilizers to the State Governments both from domestic production and imports through a system of six-monthly zonal meetings with the representatives of the State Governments and manufacturers. So far as the imported fertilizers are concerned, these are distributed by the Central Fertilizer Pool to the State Governments as per demands placed by them and latter, in turn, arrange further distribution within the State through their cooperatives and other agencies/allottees. Since last year, the Central Fertilizers Pool has also been allotting fertilizers directly to cooperatives, Agro-Industries Corporation, Zila Parishads and also to private licences/registered distributors.

Minor Irrigation works in Rajasthan

139. SHRI MOOL CHAND DAGA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to make arrangements by providing funds for the completion of those works relating to roads, minor irrigation projects and soil conservation which were undertaken in Rajasthan during famine in the last three years;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether crores of rupees spent on these works will go waste if the said works are not completed and if so, the steps being taken by the Government in this regard; and

(d) whether the means of communications have become useless due to incomplete roads causing much inconvenience to the public ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) to (d). The required information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha when received.

रांची के डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की अदायगी

140. श्री पी० के० घोष :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची नगर में काम कर रहे डाक-तार विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता मंजूर किया गया है और इसकी सूचना डाक-तार महानिदेशक, नई दिल्ली ने स्थानीय अधिकारियों को सितम्बर, 1969 में दे दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रांची में काम कर रहे सभी डाक-तार कर्मचारियों को आदेशानुसार उक्त भत्ते की अदायगी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1969 में रांची में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मंजूर किया गया था । सामान्यतः यह परियोजना भत्ता केवल उन कर्मचारियों को मंजूर किया जाता है जो परियोजना संबंधी काम करते हैं और जो ऐसे परियोजना क्षेत्रों में नियुक्त हैं जहाँ अनिवार्य सुख-सुविधाएं सुलभ नहीं हैं । चूंकि सरकारी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता देने के उद्देश्य से रांची एक वर्गीकृत नगर है और साथ ही यहाँ आवास, स्कूल, बाजार, चिकित्सालय आदि की सुख-सुविधाओं की भी कमी नहीं है इसलिए यह संदेह पैदा हुआ कि क्या डाक-तार के कर्मचारियों को यहाँ जिस परियोजना भत्ते की मंजूरी दी गई थी, उसका भुगतान उचित है । पोस्टमास्टर जनरल, पटना को तारीख 18-12-1969 को आदेश दिये गये थे कि रांची के लिए मंजूर किये गये परियोजना भत्ते का तब तक भुगतान न करें जब तक इस प्रश्न पर निर्णय न हो जाए । फिर भी पोस्टमास्टर जनरल, पटना के पास उपर्युक्त आदेश पहुँचने के पहले ही तार और टेलीफोन के कुछ कर्मचारियों को इस परियोजना भत्ते का भुगतान, जिसकी मंजूरी दी जा चुकी थी, कर दिया गया था । अलबत्ता डाक कर्मचारियों को इस भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है ।

राज्यों में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार

141. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री शिव नाथ सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय विभिन्न राज्यों में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ख) अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए तेजी से रोजगार की व्यवस्था करने के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बेरोजगारों (शिक्षितोंके समेत) से संबंधित यथातथ्य आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में उपलब्ध जानकारी केवल देश के नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज काम चाहने वालों की संख्या से संबंधित है, जिसका व्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ख) विस्तृत व्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण 1

दिनाँक 31-12-70 को नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघीय क्षेत्र	मैट्रिक से कम (अशिक्षितों संहित)	मैट्रिक और उससे अधिक शिक्षा प्राप्त	जोड़
1.	आन्ध्र प्रदेश	128307	150372	278679
2.	असम	42012	22911	64923
3.	बिहार	189602	129104	318706
4.	चण्डीगढ़	8845	4076	12921
5.	दिल्ली	50297	82424	132721
6.	गोवा	5526	1732	7258
7.	गुजरात	82481	72183	154664
8.	हरियाणा	39454	43326	82780
9.	हिमाचल प्रदेश	28018	16316	44334
10.	जम्मू व काश्मीर	9783	4592	14375
11.	केरल	114761	178993	293754
12.	लकादिव	717	281	998
13.	मध्य प्रदेश	144561	102942	247503
14.	महाराष्ट्र	189413	138604	328017
15.	मणिपुर	26253	2864	29117
16.	मैसूर	119358	121373	240731
17.	उड़ीसा	106043	44020	150063
18.	पाण्डिचेरी	4573	3570	8143
19.	पंजाब	38394	55354	93748
20.	राजस्थान	73620	54477	128097
21.	तामिलनाडू	239770	160506	400276
22.	त्रिपुरा	13803	11967	25770
23.	उत्तर प्रदेश	232181	193537	425718
24.	पश्चिम बंगाल	359166	226092	585258
	अखिल भारतीय—कुल जोड़	2246938	1821616	4068554

विवरण 2

चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार, सिंचाई व बिजली और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के प्रलेख में विस्तार पूर्वक समझाया गया है, जिनसे (शिक्षितों सहित) बेरोजगारों के लिए अधिकाधिक काम-काज के अवसर प्राप्त होने की सम्भावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, समाज के निर्बल वर्ग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग के लाभ के लिए अधिक संख्या में काम-काज के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कुछ विशिष्ट योजनाएं चालू की गई हैं। इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा "सामाजिक न्याय के साथ उन्नति की ओर" नामक प्रलेख में दिया गया है जिसे 1970-71 बजट पत्रों के साथ माननीय सदस्यों में बाँटा गया था। इन योजनाओं में कुछ अधिक महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे छोटे किसानों के लिए विकास एजेन्सियों की स्थापना, सीमान्त-किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए योजना, अजल-खेती विकास योजना, देहाती क्षेत्र में निर्माण कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास योजनाएं हैं। मध्यमवर्गी और लघु उद्योगों के विकास पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। तकनीकी तथा प्रबन्धकीय जानकारी देने तया स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य संस्थापनाओं जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को अपना निजी कार्य आरम्भ करने के लिए आवश्यक ऋण देने के लिए एक योजना लागू की जा रही है।

अभी हाल ही में सरकार ने देहाती क्षेत्र में नियुक्ति अवसर जुटाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम (क्रेश प्रोग्राम) को स्वीकृति देने का निश्चय किया है। यह कार्यक्रम (जिसके लिए 1971-72 वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है) तत्काल लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अधीन देश के प्रत्येक जिले में मूल-भूत ढाँचों को तैयार करने में सहायक कामों पर कम से कम 1,000 व्यक्तियों को नियुक्ति अवसर मिलेंगे।

उत्पादनकारी नियोजन/स्व-नियोजन की ओर युवकों को लगाने के लिए विश्वविद्यालय तथा स्कूलों में वृत्ति-सलाह और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ-साथ प्रशिक्षण के वर्तमान कार्यक्रमों को पुनरगठित और पुनःस्थापित किया जा रहा है जिससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, विशेषकर इंजीनियर और दस्तकार, अपना काम स्वयं करने और नियुक्ति-अवसर प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्य बन सकें।

ऐसे भारतीय लोगों को अन्तरिम राहत देना जिनकी सम्पत्ति पूर्व पाकिस्तान में रह गई है

142. डा० कर्णी सिंह : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीय लोगों को, जो पूर्व पाकिस्तान में रहते थे और व्यापार करते

थे, भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी समस्त सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति के रूप में अपने अधिकार में ले लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन लोगों को अन्तरिम राहत देने का निर्णय किया है जो इस बीच पाकिस्तान से भारत आ गये हैं और यदि हाँ, तो उनके लिए कितनी अन्तरिम राहत की मंजूरी दी गई है और उनको कितनी राहत दी जा चुकी है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए किये गये या किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री ग्रार० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

Telephone Exchange at Kantaphor in Devas District, Madhya Pradesh

143. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a Survey has been conducted in Kantaphor village of Devas District (Madhya Pradesh) for the installation of a Telephone exchange in order to provide telephone facilities to the people there;

(b) if so, when; and

(c) whether Government will complete the work of installation of Telephone exchange in Kantaphor village during the current financial year 1979-71 ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) Yes.

(b) During the early part of the year 1969, the scheme has been sanctioned in September, 1970.

(c) It may not be possible to complete the installation work of Kantaphor telephone exchange during the year 1970-71. Some of the important items of stores such as ACSR wire and power plant are in short supply.

All India Employees' Provident Fund Staff Federation Charter of Demands

144. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether All India employees Provident Fund Staff Federation has forwarded a 9-point charter of demands to Government;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether talks for repproachement had been held between the officers of Government and the representatives of the Federation in Ranchi on the 5th February last;

(d) if so, the outcome thereof; and

(e) the action proposed to be taken by Government to meet their demands and the time by which their demands are likely to be met ?

THE MINISTER OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees appointed under the Employees' Provident Funds Act, 1952 and not the direct concern of the Government of India. The Provident Fund Authorities have reported that the All India Employees' Provident Fund Staff Federation have submitted 9 demands, details of which are given in the enclosed statement, for consideration by the Central Board of Trustees.

(c) No.

(d) The question does not arise.

(e) The Central Board of Trustees at the 49th meeting held at Ranchi on the 5th February, 1971 considered the demands put forward by the Federation and appointed a Committee to go into these demands and make a report to the Central Board. The Board would consider the report of the Committee after it completes its deliberations. No action is called for on the part of Government at this stage.

Statement

1. Revision of pay scales to bring the scales of the pay of the employees at par with those available in the Reserve Bank of the 'A' Class Banks pending provision of a need based living minimum wage.

2. Payment of House Rent allowance at the rate of 20% of the pay in respect of the employees in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh at the rate of 25% in respect of the Imployees of West Bengal, Delhi and Tamil Nadu and at the rate of 30% of the pay of the employees of Maharashtra Region (pay means basic pay plus dearness pay).

3. Sanction of staff in different cadres as per the existing yard-stick to start with pending creation of adequate posts as demanded by the Federation.

4. Reduction of workload (i.e. 1000 accounts per Auditor in the Accounts side and 25 exempted/unexempted establishments per clerk in the enforcement side; the yard-stick in respect of the Central office should be prescribed.

5. Amalgamation of the Lower Division and Upper Division Clerk cadres into a common clerical cadre.

6. Reservation of 25% of clerical vacancies for promotion of unqualified Class IV staff on completion of 7 years service and creation of new posts such as Record Sorters, Record Keeper, Gestetner Operators, additional posts of Daftries etc. to increase the promotional avenues of the Class IV employees.

7. Grant of recognition to the All India Employees' Provident Fund Staff Federation and its affiliated units, a list of which has already been furnished.

8. Regularisation of all ad hoc appointments in various cadres irrespective of the length of service put in by the ad hoc appointees.

9. Withdrawal of all repressive measures such as terminations, suspensions, stoppage of increments, pay cuts, etc.

Victimisation of R. M. S. Employees of Bihar Circle by way of Transfers

145. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether some R. M. S. employees of Bihar Circle were victimised by way of transfers from one place to another after withdrawal of recognition of P&T Employees, Unions following the token strike of 1968;

(b) if so, whether the motive behind such transfers was that the said employees had tried to represent their case to Government through some Member of Parliament ?

(c) if so, the justification therefor; and

(d) the action taken by Government against the vindictive Officer concerned.

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) No.

(b) to (d). Do not arise.

राष्ट्रीय कृषि आयोग

146. **डा० कर्णी सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके अंतिम रूप से कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या उसमें किसी कृषक अथवा कृषकों के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आयोग द्वारा कब तक अपने अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 31-3-1971 को आयोग के गठन के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) आयोग के गठन में कुछ किसान भी सम्मिलित हैं ।

(घ) जहाँ तक अन्तिम रिपोर्ट का संबंध है, आयोग को कहा गया है कि वह यथासंभव शीघ्र और हर हालत में दो वर्ष की अवधि के अन्दर ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था । फिर भी,

आयोग को मूलतः आशा थी कि वह कुछ प्राथमिक क्षेत्रों के संबंध में 6 महीने के अन्दर ही अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। फिर भी कुछ अपरिहार्य विलम्ब हो सकता है।

विवरण

अध्यक्ष	रिक्त	(31-3-1971 को)
उपाध्यक्ष	श्री बी० शिवरमन्	
सदस्य सचिव	श्री जे० एस० शर्मा	
पूर्ण कालिक सदस्य	1. श्री एस के० मुखर्जी 2. डा० एच० आर० अराकेरी 3. डा० पी० भट्टाचार्य 4. श्री रनधीर सिंह	
अंशकालिक सदस्य	1. एम० वी० कृष्णाप्पा, सदस्य, लोक सभा। 2. डा० ज़ैड ए० अहमद, सदस्य, राज्य सभा। 3. सरदार जोगिन्द्र सिंह, सदस्य, राज्य सभा। 4. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। 5. श्री डी० पी० सिंह, कुलपति, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। 6. श्री टी० ए० पाई, अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम। 7. श्री बी० एस० नाग, भूतपूर्व सलाहकार (सि० तथा शे०) योजना आयोग। 8. डा० ए० एम० खुसरो, अर्थशास्त्र के आचार्य, अर्थ-वृद्धि संस्थान। 9. श्री हरी सिंह, सेवा निवृत्त, महा वन निरीक्षक। 10. श्री एन० के० पानीकर, निदेशक, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। 11. कैप्टन रतन सिंह, सदस्य, विधान सभा, पंजाब।	

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के ट्रैक्टर

147. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अब तक कितने ट्रैक्टर प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने ट्रैक्टर खराब पाये गये हैं; तथा कितने खराब वापिस किये गये हैं;

(ग) शेष खराब ट्रैक्टरों को वापस न किये जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या किसानों को ट्रैक्टरों का पूरा मूल्य वापिस कर दिया गया है और यदि नहीं,

तो कितना मूल्य वापस किया गया है; और ट्रैक्टरों की पूरी लागत वापिस न किये जाने के कारण क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अभी तक जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक से कुल 1·998 आर० एस० 09 ट्रैक्टर प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ). विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों से जनवरी, 1971 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर खराब बताये गये आर० एस० 09 ट्रैक्टरों की संख्या निम्नलिखित है :

निगम का नाम	खराब बताये गये ट्रैक्टरों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	183
गुजरात	152
पंजाब	501
राज़स्थान	11
मैसूर	8
तामिलनाडू	9

कुल आर० एस० 09 ट्रैक्टरों की संख्या जिनमें खराब पाये गये और उन खराब ट्रैक्टरों की संख्या जो वापिस कर दिये गये हैं, के बारे में नवीनतम जानकारी और साथ ही साथ प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में पूछी गई जानकारी संबंधित राज्य-कृषि उद्योग निगमों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूंजी निवेश तथा रोजगार के अवसर

148. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में लगाई गई भारी पूँजी के अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रोजगार की वृद्धि का पूँजी निवेश के साथ तालमेल बिठाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) से (ग). देश के विकास योजनाओं के अंग के रूप में चलाये जाने वाले कार्यक्रमों पर होने वाले निवेश के परिणाम-स्वरूप काफी मात्रा में अतिरिक्त नियुक्ति अवसर उत्पन्न किये गये हैं। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में 315 लाख अतिरिक्त नियुक्ति अवसर उत्पन्न किये गये थे।

देश के विकास के सन्दर्भ में नियुक्ति अवसर जुटाने के अलावा भारी उद्योगों का विकास, प्रतिरक्षा संबंधी जरूरतें आदि कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक प्रगति की दर और नियुक्ति अवसरों की वृद्धि की दर में निकट संबंध बनाये रखने की आवश्यकता को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक संख्या में नियुक्ति अवसर उत्पन्न करना है, सड़क निर्माण, भूमि संरक्षण, खनन, सिंचाई, देहाती इलाकों में बिजली, ग्रामीण और लघु उद्योग आदि, श्रम प्रधान योजनाओं को बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कार्यक्रमों के अलावा 1970-71 के दौरान, समाज के निर्बल वर्ग की भलाई के लिए विशेष योजनाएं चलाने का काम शुरू किया गया है जिनका उद्देश्य बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर जुटाना है। इन योजनाओं में प्रमुख योजनायें हैं, (एक) छोटे किन्तु विकास क्षमताएं रखने वाले किसानों के लिए योजना; (दो) सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए योजना; (तीन) अजल खेती का विकास; (चार) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रम; (पाँच) क्षेत्रीय विकास के लिए योजना; (छः) डेरी विकास योजना आदि। मध्यम-वर्गीय और लघु उद्योगों को भी जिनमें पर्याप्त नियुक्ति अवसर मिलने की संभावना है, उन्नत बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति अवसरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम (कैश प्रोग्राम) स्वीकृत किया है जिसके लिए 1971-72 में 50 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में ऐसे कामों पर जिनका उद्देश्य मूलभूत ढाँचे को तैयार करना है, में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 1,000 व्यक्तियों को काम-काज के अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार बड़ी संख्या में नियुक्ति अवसर जुटाने की दृष्टि से विकास कार्यक्रमों को पुनः प्रचालित करने के लिए चौथी योजना की प्रगति का पुनःनिरीक्षण करने का भी विचार कर रही है।

Telephone Exchange Facilities in Mandsaur and Ratlam Districts of M. P.

149. SHRI LAXMI NARAIN PANDEY : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the names of places in Mandsaur and Ratlam districts (M. P.) where telephone exchange facilities are available;

(b) whether the work for increasing the capacity of Telephone Exchange functioning at present in Gawara of Ratlam District is in progress; and

(c) If so, since when ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) (i) The following exchanges are working in Mandsaur District : (1) Mandsaur; (2) Neemuch, (3) Shamgarh, (4) Bhanpura, (5) Garoth, (6) Jawad, (7) Malhargarh, (8) Manasa, (9) Piplia, (10) Rampura, (11) Sitamaui and (12) Suwasra Mandi.

(ii) The names of exchanges working in Ratlam District are as follows :

(1) Ratlam, (2) Alote, (3) Jaora, and (4) Sailana.

(b) and (c). There is no telephone exchange working by the name of Gawara in

Ratlam District. There is, however, an exchange at Jaora. A 100 lines small Automatic exchange is working at Jaora. Its replacement by a 200 lines MAX-II type exchange has been planned. While some of the equipment has been received, certain important items of stores are yet to be received. It is now expected that these may become available by middle of 1971.

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से आय

150. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी द्वारा किये जा रहे वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारणों से सरकार को अब तक वर्ष-वार कितनी-कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : वाणिज्यिक विज्ञापन सेवा के नवम्बर, 1967 में चालू होने के बाद इससे हुई वर्षवार कुल आय इस प्रकार है :

1967	7,55,400 रुपये
1968	63,56,237 रुपये
1969	2,01,73,834 रुपये
1970	2,65,32,192 रुपये
1971 (जनवरी तथा फरवरी)	57,85,367 रुपये

Opening of Post and Telegraph Offices in Morena District in Madhya Pradesh

151. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether there is a proposal under the consideration of Government to open new Post and Telegraph offices in Morena District of Gwalior Division in Madhya Pradesh this year; if so, the number thereof;

(b) the time by when the new Post and Telegraph offices would be opened and as also the locations thereof; and

(c) the number of such Post and Telegraph offices in urban as well as in rural areas ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) It is proposed to open sixteen post offices and two telegraph offices in Morena District of Gwalior Division in Madhya Pradesh during the year 1971-72.

(b) The new Post offices and Telegraph offices are expected to be opened at the following places by the end of the financial year 1971-72.

Post Offices	Telegraph Offices
Kishanpur	Birpur
Sirmaur	Sheopur Baroda
Kapur	
Panchampura	
Nayapara	
Parricha	
Ghundpara	
Gaddai	
Borda	
Kathau	
Kathau	
Baddipara	
Susni	
Dintokher Kalan	
Deopur	
Mawi	

(c) **Post Offices** :

It is proposed to open two sub post offices in urban areas and fourteen extra departmental branch post offices in rural areas.

Telegraphs Offices

There is no proposal to open any telegraph office in urban area. Two telegraph offices are proposed to be opened in rural areas.

Telephone Connections in Morena District of Madhya Pradesh

152. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of telephone connections at present in Morena District of Madhya Pradesh;

(b) the number of applications for telephone connections under the consideration of Government; and

(c) The action proposed to be taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) 342.

(b) 11.

(c) The work of providing telephones to these applicants is already in progress and is likely to be completed by the end of April, 1971.

राज्यों में टेलीविजन केन्द्र

153. **श्री राधाकृष्णन् : क्या सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टेलीविज़न केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ख) कितने नगरों में ऐसे टेलीविज़न केन्द्र अब तक स्थापित किये गये हैं अथवा इस संबंध में व्यवस्था की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) : छः राज्य अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, गुजरात, पंजाब तथा राजस्थान ।

(ख) इस समय देश में केवल एक ही टेलीविजन केन्द्र है जो दिल्ली में है । पाँच नगरों—बम्बई, श्रीनगर, मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ में टेलीविजन केन्द्र तथा दो स्थानों—पूना और कानपुर में रिले केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है ।

कपास के लिए समान बैंकिग और मूल्य नियंत्रण नीति

154. **श्री डी० डी० देसाई : क्या खाद्य तथा कषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में उगाई जाने वाली तथा बेची जाने वाली कपास के लिए, देश के विभिन्न भागों की जलवायु को ध्यान में रखते हुए जहाँ कपास वर्ष के भिन्न-भिन्न महीनों में उगाई तथा चुनी जाती है, समान बैंकिग नीति तथा मूल्य विनियमन नियंत्रण लागू किये जाते हैं; और

(ख) क्या गुजरात में यह अनुभव किया गया है कि जब वहाँ कपास की फसल काटी जाती है तब बैंकिग संबंधी नये नियम तथा प्रतिमान मूल्य संबंधी विनियम लागू कर दिये जाते हैं जिससे गुजरात के कपास उगाने वाले किसानों के साथ भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें कम मूल्यों पर अपनी कपास बेचने के लिए विवश किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, सरकार के स्वामित्व/प्रबन्धित/द्वारा चलाई जा रही मिलों तथा पश्चिम बंगाल तथा असम जैसे पूर्वी क्षेत्रों की अव्यवस्थित मिलों तथा अन्य मिलों को दी जा रही कुछ रियायतों को छोडकर, ऋण नियंत्रण विषयक एक समान बैंकिग नीति पर चलता है । जहाँ तक मूल्य विनियमन का संबंध है, सरकार हर साल कपास के साहाय्य मूल्यों की घोषणा इस आश्वासन के साथ करती है कि वह साहाय्य मूल्यों पर पेश की गई किसी भी मात्रा में कपास खरीदने को तैयार होगी । देश में कपास के मूल्यों को प्रभावित करने के लिए, कपास के स्टाक की सीमा में समंजन करने तथा ठेका प्रणाली जैसे प्रत्यक्ष उपाय भी किये जाते हैं ।

सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचारपत्रों को अदा की गई राशि

155. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1969 से 31 मार्च, 1970 और 1 अप्रैल, 1970 से 28 फरवरी, 1971 तक की अवधियों के दौरान सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचारपत्रों को कितनी राशि अदा की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : 1969-70 के दौरान सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये समाचारपत्रों को दी गई राशि इस प्रकार है :

(i) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1,19,07,137 रुपये
(ii) पर्यटन विभाग (भारत)	6,76,127 रुपये (वास्तविक)
(विदेश)	47,90,584 रुपये (बजट अनुसार)
(iii) भारतीय रेलवे	39,53,142 रुपये

1-4-1970 से 28-2-1971 तक की अवधि के दौरान समाचारपत्रों को दी गई राशि के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, पूरे वित्तीय वर्ष के आवश्यक आँकड़े संकलित किये जा रहे हैं और वे यथासमय सदन की मेज़ पर रख दिये जाएंगे ।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल राहत उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या (3) की एक प्रति, जो भारत के राज-पत्र दिनाँक 11 फरवरी 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-72/71]**

(2) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत

के राजपत्र दिनाँक 26 दिसम्बर, 1970 से अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2057 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 73/71]**

(3) कोयला खान भविष्य निधि और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 2 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 14 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1970 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 2 फरवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 15 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 12 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 16 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) निवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1970, जो भारत के राजपत्र 2 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 17 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 74/71]**

समवाय कार्य मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री ललित नारायण मिश्र की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) हीरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन, के प्रबंध के बारे में एस० ओ० 103 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 2 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध के बारे में एस० ओ० 685 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 9 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 75/71]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1955 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति :

(एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ : **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 76/71]**

(3) उपर्युक्त मद (5) में उल्लिखित पत्रों के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 77/71]**

(4) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) हाथ से कते धागे और रेशा उद्योग रेयन टायर कॉर्ड—के मूल्य ढांचे संबंधी टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1969)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 2(12)/ टैक्स (एफ)/70, दिनाँक 27 फरवरी, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उक्त प्रतिवेदन संबंधी सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 78/71]**

(5) उपर्युक्त मद (6) में उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के भीतर सभापटल पर न रखने के कारणों का एक विवरण। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 79/71]**

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) धान कुट्टन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान कुट्टन उद्योग (विनियमन और लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 23 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 105 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 80/71]**

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) राष्ट्रपति का 1971 का अधिनियम संख्या (3) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 8 फरवरी, 1971 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 81/71]**

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबंध) दूसरा संशोधन आदेश, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2042 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चीनी (मूल्य निर्धारण) 10वां संशोधन आदेश, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 40 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उड़ीसा चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 9 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 65 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) चीनी (मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनाँक 1 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 66 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 82/71**]

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 64 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 1971 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किया गया था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 83/71**]

(5) पशु नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रयोग समिति (प्रशासन) नियम, 1965 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रयोग के प्रयोजन संबंधी समिति, बम्बई के वर्ष 1969-70 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 84/71**)

(6) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत, पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1969-70 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 85/71**]

(7) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 19 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 396 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 86/71**]

(8) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वर्ष 1969-70 का प्रतिवेदन वार्षिक (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—87/71**]

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार (रेलवे) के वर्ष 1969-70 के लेखे सम्बन्धी भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) वर्ष 1969-70 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे—भाग 1—समीक्षा की एक प्रति।

(3) वर्ष 1969-70 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे—भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति।

(4) वर्ष 1969-70 के लिए रेलवे के ब्लाक लेखे (पूंजी विवरण सहित, जिसमें ऋण लेखे सम्मिलित हैं) तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—87/71**]

संचार मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय तार-यंत्र (9वां संशोधन) नियम, 1970, जो भारत के राजपत्र दिनाँक 12 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1990 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार-यंत्र (पहला संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2008 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—88/71**]

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—89/71**]

(दो) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०, बंगलौर का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—90/71]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि लोक सभा द्वारा 27 मार्च, 1971 को पास किये गये वित्त विधेयक, 1971 के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 31 मार्च, 1971 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें राज्य सभा के 15 सदस्य हों, अर्थात्—

(1) श्री अकबर अली खान
(2) श्री जी० आर० पाटिल
(3) श्री सिनम कृष्ण मोहन सिंह
(4) श्री सैयद हुसैन
(5) श्री रत्तन लाल जैन
(6) श्री के० पी० मल्लिकार्जुनुडु
(7) श्री सुरेश जे० देसाई
(8) श्री श्याम लाल यादव
(9) डा० बी० एन० अन्तनी
(10) श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी
(11) श्री सूरज प्रसाद
(12) श्री हमीद अली शामनाड
(13) श्री ए० डी० मणि
(14) श्री एम० पी० शुक्ल
(15) श्री रामनिवास मिर्धा

और लोक-सभा 30 के सदस्य हों और सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। गत कुछ महीनों में हमारे देश में अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। अपने दल के सदस्यों की अल्पसंख्या के बावजूद प्रधान मंत्री अपने पद पर कार्य कर सकती थीं परन्तु उन्होंने जनता से नया आदेश प्राप्त करना उचित समझा। विरोधी पक्ष और विशेषकर श्री वाजपेयी ने कहा है कि शासक दल ने सरकारी तंत्र और पूँजी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। यह भारतीय मतदाताओं का अपमान है, जिन्होंने विचारधारा को ध्यान में रख कर मतदान किया है। हमने केवल ऐसे राज्यों में ही चुनाव नहीं जीता है जहाँ हमारे दल का शासन है बल्कि उन राज्यों में भी हमने चुनाव जीता है जहाँ काँग्रेस (पुरानी) का शासन था। यदि इस चुनाव में पूंजी का अधिक प्रभाव होता तो हम में से बहुत से सदस्य आज यहाँ पर नहीं होते। हमारे स्थानों पर राजा, महाराजा और बड़े-बड़े व्यापारी बैठे होते। इस चुनाव से पता चलता है कि यहाँ की जनता प्रधान मंत्री की नीतियों का समर्थन करती है।

जहाँ तक गरीबी हटाने का संबंध है, मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इससे संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा न देकर संकेत मात्र दिया गया है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं जिनके समाधान के बिना गरीबी की समस्या का ठीक प्रकार से समाधान नहीं हो सकता। जहाँ तक आसाम का संबंध है, वहाँ जब तक ब्रह्मपुत्र और उसकी नदियों में बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वहाँ की गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

यह चिन्ता की बात है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद कुपोषण में वृद्धि हुई है। सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए। शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए समूची शिक्षा प्रणाली को नया रूप देना होगा।

आय और धन की विषमताओं को कम करने के लिए हमें राष्ट्रीयकृत उपक्रमों पर अधिक बल देना होगा। यह चिन्ता का विषय है कि राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है। रेलवे को भी घाटा हो रहा है और हिन्दुस्तान स्टील का घाटा भी गत दो वर्षों से बढ़ रहा है। ऐसी भावना पैदा हो रही है कि सरकार की सम्पत्ति किसी की सम्पत्ति नहीं है। हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि सरकार की सम्पत्ति हमारी सम्पत्ति है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबन्धक वर्ग अपने परिचित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। वहाँ अकुशल कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ घूसखोरी, अकुशलता, तालाबन्दियाँ, हड़तालें होती हैं और अन्ततोगत्वा सरकार को हानि होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भाई-भतीजावाद, घूसखोरी और भ्रष्टाचार की समस्या का दृढ़ता के साथ मुकाबला करे और राष्ट्रीयकृत उपक्रमों में कुशलता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ करे।

इसके अतिरिक्त शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, परन्तु

यदि लोगों को बड़ी सम्पत्ति के लिए मुआवजा दिया गया तो इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अतः मुआवजा दिये बिना अधिक भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। परन्तु इस कार्यवाही में संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों वाला अध्याय बाधक होगा। इसलिए संसद् की प्रभुसत्ता स्थापित की जानी चाहिए जिससे हम आवश्यकता पड़ने पर संविधान के उपबन्धों में संशोधन कर सकें। मेरे विचार में मूलभूत अधिकार वे होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हों। समानता और स्वाधीनता का अधिकार मूल अधिकार है। इनके अतिरिक्त संविधान में उल्लिखित अन्य मूल अधिकारों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

SHRI VIJAY PAL SINGH (Muzaffarnagar) : The Address of the President has inspired hope for all. It has been observed in the recent elections that voters were intimidated in Muzaffarnagar as well as in Meerut. A large number of voters are still confined to their beds as they were beaten mercilessly. These elections have not been analysed properly. Much is being said about the recent elections. Some hon. Members said that voters have been deceived by the slogan of "Garibi Hatao" given by Smt. Indira Gandhi. But I want to make it clear that this slogan was raised by other parties also. The Communist Party has also been harping on the same slogan for the last twenty years but people have not voted that party. The reason is quite obvious. If the people have voted for Smt. Indira Gandhi, they voted for their immense faith in her and her desire to remove poverty. It is the firm belief of the people that Smt. Gandhi will usher in an era of Socialism.

Today, five per cent rich farmers of my district are more powerful than the former feudal landlords. They are controlling the district councils and block committee and are indulging into all sorts of malpractices. Such people form a formidable reactionary force outside the Parliament. If we want to have fair elections, if we are really here to bring socialism we will have to liquidate these forces from the country. No doubt these forces have been liquidated from Lok Sabha but they are still powerful outside. All of us should do our best to put down these forces with a strong hand.

SMT. LAKSHMIKANTHAMMA (Khammam) : Mr. Speaker, Sir, at the outset I want to congratulate the people of India who have pinned their firm faith in democracy. At the same time we are very grateful to the Prime Minister, who during the course of recent elections, generated a new atmosphere of hope in the country after a long shell of disappointment. The Congress has regained its prestigeous position of 1952 and 1957. This position is much more impressive in the context of changed circumstances. Now it is our scared duty to fulfil the expectations of the people. We must take concrete steps to bring about a socialistic order in the country. Any delay in this regard will be suicidal.

I urge the Government to take necessary steps for the uplift of Harijans, the minorities and the women who have extended their full support to our party. At the same time I must emphasise that attention should also be paid to child welfare.

As regards regional imbalances, I must say one thing that regional imbalances and socialism cannot co-exist. We should not pay any heed to the arguments put forth by the capitalists. Production and distribution go side by side. Any attempt to withhold distribution in the name of production can be disastrous. So long as we do not remove regional imbalances we cannot bring about socialism in this country.

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : Mr. Speaker, Sir, it is for the first time that village problems such as poverty etc. have been highlighted in President's address.

Today India is the only country in the world which is facing the problems of poverty, disparity in income, unemployment, rising prices and fast growing population.

As far as the problem of poverty is concerned, 78 per cent people of India live in villages and out of them 30 per cent are considered to be poor. I strongly feel that the problem of poverty cannot be solved so long as our plans do not have Gram Panchayats as their base. In this regard, I would like to mention further that small problems like the provision of irrigation facilities and construction of lateral roads should be left to Village Panchayats and some funds granted for the purpose. It is hightime that Members of Parliament should take keen interest in the problems of the villagers as people have pinned their full faith in them during present Lok Sabha elections.

The unemployment is growing rapidly in our country. There is hardly any village in the country where we do not find a large number of educated unemployed. They must pay special heed to this problem. If rural electrification and irrigation schemes are taken up in a big way lakhs of people can get employment. Similarly, if industrial estates are opened in those areas it will go a long way in solving this problem. Lack of libraries in villages have complied the rural folk to seek entertainment in cinemas. I suggest that there must be a liberary in each Gram Panchayat. These liberaries must contain latest literature on modern agriculture. There should be a demonstrative corum for the population of every 10 lakh of people. The farmers should be tryined on latest lines of agriculture.

Apart from the village problems, the problem of rising prices is of utmost Importance. Something must be done urgently to solve this problem.

The State of Madhya Pradesh continues to be neglected. I am sorry to say that not a single cabinet Minister has been taken from this state since independence. There is not a single railway line in Bastar and Raipur areas. At least one railway line from Bailadila to Rajhara should be constructed.

A dam on Narmada near Dhamtari is also necessary for Madhya Pradesh.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहा है, गत तीन चार दिनों से सदन में इसका समर्थन किया जा रहा है। वहाँ के लोग लोकतंत्र और अंहिसा की परम्पराओं को बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की तरह ही यहाँ अलग तेलंगाना की अपनी माँग उठाना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग मेरी इस उचित माँग का समर्थन भी उसी प्रकार करेंगे।

मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि तेलंगाना के लिए वहाँ के लोग गत 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में हमने एक बार नहीं, अनेक बार राज्य तथा केन्द्र सरकार और उच्च तथा उच्चतम न्यायालय का द्वार खटकाया है। उच्च तथा उच्चतम न्यायालय का निर्णय सदा हमारे पक्ष में रहा है, परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार ने कभी भी उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया। यदि सरकार न्यायालयों के निर्णयों को इसी प्रकार ठुकराती रही तो इस देश में प्रजातंत्र का भविष्य क्या होगा ?

प्रधान मंत्री का कहना है कि तेलंगाना की समस्या एक आर्थिक समस्या है। इस संबंध में मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्थिक समस्या तो आज सम्पूर्ण देश के समक्ष है, परन्तु तेलंगाना के लोगों को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह समस्या अन्य राज्यों

के समक्ष नहीं है। तेलंगाना में आन्ध्र के लोगों का बहुमत है और वह लोग तेलंगाना क्षेत्र का शोषण कर रहे हैं। जो समझौता उन्होंने किया था, वह उसी का उल्लंघन कर रहे हैं।

हम हैदराबाद वासी आन्ध्र में मिलना नहीं चाहते थे किन्तु स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने हमसे अपील की और हमने इस कारण आन्ध्र प्रदेश में मिलना स्वीकार कर लिया था कि तेलंगाना क्षेत्र से जो अतिरिक्त धन प्राप्त होगा, उसका उपयोग इसी क्षेत्र के लिए किया जाएगा। उन्होंने यह वचन भी दिया था कि वे आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण अपना धन भी तेलंगाना में लगायेंगे। किन्तु आज तक उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है। दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री ने भी वचन दिया था कि वहाँ की स्थिति में सुधार किया जायेगा। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आन्ध्र प्रदेश सचिवालय में कितने कर्मचारी तेलंगाना के हैं? वहाँ 5,000 कर्मचारियों में से केवल 500 तेलंगाना के हैं। इसी भाँति वहाँ बिजली बोर्ड के 500 कर्मचारियों में से केवल 50 कर्मचारी तेलंगाना के हैं।

यदि परियोजनाओं को लिया जाये तो आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाएं तेलंगाना के लिए लाभप्रद नहीं हैं। पोचमपाट परियोजना में एक बाँध बनाया गया। उसके बारे में मुझे एक सेवा-निवृत्त मुख्य अभियंता ने बताया कि यदि इस बाँध से निकाली गई नहर का स्तर थोड़ा और ऊँचा रख दिया जाता तो उससे तेलंगाना के निजामाबाद, वारंगल और करीमनगर जिलों की पाँच छ: लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी किन्तु ऐसा जानबूझ कर नहीं किया गया। नागार्जुन सागर बाँध के मामले में तेलंगाना की ओर से एक भी सुपरिन्टेन्डेंट इंजिनियर नहीं रखा गया। श्री सैलम परियोजना पर 2,000 कर्मचारी काम पर लगे हैं, उनमें से केवल 200 व्यक्ति तेलंगाना क्षेत्र के हैं और शेष 1,800 आन्ध्र प्रदेश के। तेलंगाना में लगभग 20 करोड़ रुपये की बचत होती है। यह राशि तेलंगाना पर खर्च नहीं की जा रही है। यह खर्च की जा रही है आन्ध्र पर। इस मामले पर क्षेत्रीय समिति नियुक्त की गई थी और उसकी रिपोर्ट में बताया गया था कि तेलंगाना की बचत 108 करोड़ रुपये है। भार्गव समिति में यह भी बताया गया था कि आन्ध्र प्रदेश से 14 करोड़ रुपये की राशि लाकर तेलंगाना पर खर्च की जानी थी।

यह न केवल एक आर्थिक समस्या है बल्कि यह एक प्रश्न है तेलंगाना क्षेत्र के साथ न्याय करने का। कुछ समय पूर्व वहाँ एक संघर्ष हुआ था, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा लगभग 350 व्यक्ति मारे गये थे। नौ जिलों की डेढ़ करोड़ जनता में से 55,000 लोग जेल गये। उस समय सर्वाधिक बलिदान छात्रों ने किया था। यह राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से शुरू किया गया था राजनीतिक नेताओं की ओर से नहीं। उन्होंने यह देखा कि सभी उद्योग आन्ध्र क्षेत्र की ओर ले जाए जा रहे हैं और यहाँ उनके पदोन्नति आदि के अवसर कम होते जा रहे हैं। वहाँ पर गत 14 वर्षों से उपनिवेशवादी शासन चल रहा है। उक्त संघर्ष के दौरान आन्ध्र क्षेत्र से एक भी महिला, व्यक्ति या संसद् सदस्य तेलंगाना क्षेत्र जाकर नहीं झाँका और न ही किसी ने यह देखा कि वहाँ क्या हो रहा है। किसी ने भी तेलंगाना के लोगों की भावनाओं को शान्त करने का कभी भी प्रयास नहीं किया।

हाल ही में हुए चुनावों में लोगों पर इन्दिरा जाल पड़ा हुआ था और सम्पूर्ण देश में इन्दिरा के जादू ने काम किया किन्तु तेलंगाना के लोगों पर वह जादू काम न कर सका। वहाँ 14 में से 10 स्थान हमारी समिति ने जीते। इन 14 में से केवल 3 सदस्य इस बात के समर्थक

हैं कि तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा न दिया जाए। क्या इन 20 प्रतिशत लोगों की राय मानी जाएगी या शेष 80 प्रतिशत लोगों की मानी जाएगी ? यदि 20 प्रतिशत की बात मानी जाएगी तो क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है ?

तेलंगाना के लोग यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वे अपना अलग राज्य चाहते हैं। गत चुनावों के परिणामों से यह सिद्ध भी हो गया है। हमने गलियों में लड़ाई न लड़कर इस माँग को लोकतांत्रिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यदि तेलंगाना की डेढ़ करोड़ जनता की लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट की गई इच्छा का सम्मान नहीं किया गया तो लोकतंत्र की पवित्रता न रह पायेगी। गत 14 वर्षों से हम पर अन्याय किया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है ? गत चुनाव में तेलंगाना के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे न्याय चाहते हैं और वे न्याय के हकदार हैं। यदि लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट की गई इच्छा की अवहेलना की गई तो हम में से कुछ युवक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जो सरकार को अच्छी नहीं लगेगी। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि वह सम्पूर्ण स्थिति के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करे और वहाँ जो स्थिति है, उसे स्वीकार कर ले। मैं अपनी पूर्ण शक्ति के साथ पृथक तेलंगाना राज्य का समर्थन करता हूँ और आप सबके समक्ष यह अनुरोध करता हूँ कि तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश दो राज्य पृथक-पृथक बनाये जाएं। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार तेलंगाना की स्थिति को समझेगी और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री पृथक तेलंगाना राज्य बनाये जाने की घोषणा करेंगी।

जामेयर कम्पनी के डकोटा विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. CRASH OF JAMAIR DAKOTA

संसद् कार्य और पोत-परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं अपने साथी की ओर से सभा को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडियन एयर लाइन्स के आई० सी० 255 ने, जो कलकत्ता से गोहाटी को जा रहा था, आज सवेरे 11 बजकर 45 मिनट पर यह सूचना दी थी कि हाशिमारा के पूर्वोत्तर में लगभग 30 मील की दूरी पर लापता जामेयर कम्पनी के डकोटा विमान के भग्नावशेष दिखाई पड़े हैं। हाशिमारा में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे तत्काल घटनास्थल पर हेलिकोप्टर भेज दें।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS — CONTD.

अध्यक्ष महोदय : श्री रामजी राय तो अनुपस्थित हैं। फिर श्री अचल सिंह मध्याह्न भोजन के बाद बोलें।

यदि माननीय सदस्य उतना ही समय लें, जितना उनके दल के लिए निर्धारित है तो आप सभी को अवसर दिया जा सकता है। यदि आप घंटी बजाये जाने के बाद भी बोलते रहे तो आप दूसरे सदस्य का समय लेते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि आज सभी समाचार-पत्रों में 'अवामी लीग की भारतीय सहायता के लिए अपील' शीर्षक के अन्तर्गत यह समाचार छपा है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को अवामी लीग ने एक तार भेजा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि बंगला देश में नरसंहार रोकने के लिए भारत तत्काल हस्तक्षेप करे।

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार सभी सदस्यों एवं सरकार ने देख लिया होगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : प्रधान मंत्री कल अभिभाषण का उत्तर देते समय यह स्पष्ट करें कि क्या उन्हें बंगला देश से इस आशय का कोई तार प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्त झा (खम्माम) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा के प्रत्येक सदस्य को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अन्य माननीय सदस्यों के भाषण के समय टोक सकता है। आज सवेरे तेलंगाना प्रजा समिति के नेता बोल रहे थे। मैंने एक-आध बार उन्हें बीच में टोका था। ऐसा सभा में अकसर होता रहता है। किन्तु आज जब हम केन्द्रीय कक्ष में बैठे थे तब श्री सत्यनारायण राव ने मुझे यह कहते हुए धमकी दी थी कि 'आपने मुझे टोकने का साहस कैसे किया'।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : यह सब गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्या सभा का संरक्षण चाहती हैं तो वे प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कार्य करें।

श्री लक्ष्मीकन्तम्मा : मैं कल विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव पेश करूँगी।

SHRI ACHAL SINGH (Agra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the President has made a mention of election in his Address. The decision taken by Mrs. Indira Gandhi for holding mid-term elections for Lok Sabha was right one. She is a great statesman. Now the results of election have shown that majority is with her. The congress have won 350 seats in the Lok Sabha. The importance of this election is very much. It has left its impression on the democracy in India. Even the foreign countries like America, Russia, Britain and Japan have been impressed by the results, which have proved that the roots of democracy have gone deep in India.

I would like to say a few words about my State. Uttar Pradesh is a backward state and even in that State Agra is specifically backward. There is not even a single industry in Agra which can be called as large scale industry. I have been trying for the last 20 years to get a large scale industry set up in Agra, but in vain. It is the need of the time that some big industries should be set up there. Secondly, Agra is situated on the border of Rajasthan and there is a great shortage of water. I have been asking the Government to make arrangements for irrigation and drinking water. We have been told that Ramganga Dam is being constructed for this purpose. It has not so far been completed. Water should be made available there for irrigation and drinking purposes as soon as possible.

We have mentioned in our manifesto that the poverty will be removed, the problem of unemployment will be solved, the condition of people will be improved and communal discrimination will be removed. There is no majic band with Mrs. Indira Gandhi, with the help of which these objectives will be achieved. We all have to work hard for the removal of poverty, unemployment and economic disparity from the country. The Ministers, Central and State Government employees, Legislators of state Assemblies, Members of Parliament and the Members of all corporations and village panchayats, traders, lawyers, doctors and public all must cooperate for achieving this goal. For achieving this target we will have to bring green revolution in the villages and set up industries in cities. Only by working hard we can bring socialism in the country and fulfil the aspirations of the people.

श्री अब्दुल कादर (बम्बई मध्य-दक्षिण) : श्रीमन्, मुझे कितना समय मिला है ?

उपाध्यक्ष महोदय : पाँच मिनट।

श्री अब्दुल कादर : पीठासीन अधिकारी की स्थिति और सभा के समय के मूल्य को समझते हुए भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर केवल पाँच मिनट मिलने से वक्ता के सामने कठिनाई उपस्थित हो जाती है। इतने कम समय में मैं तर्कों का विकास नहीं कर सकूँगा। अतः मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि मैं श्री बलीराम भगत द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का पूर्णतः समर्थन करता हूँ।

SHRI BHAGIRATH BHANWAR (Jhabua) : Mr. Deputy Speaker, Sir, in President's Address it has been mentioned that the poverty will be removed. But it is a matter of regret

that nothing has been said therein about poor Harijans and Adivasis, who are most backward in the country. Poverty must be removed. Simultaneously, efforts should be made for the upliftment of Harijans and Adivasis who will help in the development of the country. Even now most of the Harijans and Adivasis are backward and unemployed. In some parts of the country they have neither land nor any other means of livelihood. In Bastar and Jhabua districts of Madhya Pradesh Adivasis are so backward that they still roam naked. They have no land. There are no other means of livelihood for them there. There they commit murders for a bit of 10 to 25 paise. There is vast forest land. This surplus land can be distributed to these landless people. Neither State nor Central Government is prepared to take decision in this respect. Only statements are issued on behalf of Government that they are going to distribute surplus land to landless people. I want that Government should give serious consideration to these problems and some industries and factories should be opened and some new railway lines should be laid down there and education facilities should be made available there so that the lot of people of this area can be improved.

SHRI GANGA REDDY (Adilabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the results of recent elections have shown that the democracy is deep-rooted in our country. People of India have voted for Smt. Indira Gandhi in this election. The President's Address contained a number of promises in regard to agricultural facilities, ceiling on urban property and check on price rise. So far as agriculture is concerned, we have attained self-sufficiency in foodgrains to a great extent. But the prices of fertilisers etc. are going up while those of foodgrains are coming down. If this trend continued, the farmers will have to give up the occupation of agriculture.

The unemployment problem is a curse to our country and unless it is solved, we can do nothing. May I know whether the Government is in a position to provide employment to all ? The problem of unemployment can not the solved unless agro-based industries are set up and also the agriculture is developed. The Government will have to work speedily for the removal of unemployment.

Unfortunately, there had been inter-state water disputes in our country and commissions or tribunals are set up for settling the disputes. Big river projects should be considered as national projects and no State should object to it.

The rehabilitation of the oustees or the big projects has been posing a great problem to us. No project should, however, be started till the oustees are rehabilitated.

I suggest that land instead of cash compensation should be allotted to a person whose land is acquired for any project.

Industrial disputes are becoming a common feature these days as a result of which many factories are locked up. Some law should be formulated to ban the industrial strikes so that there is no national loss due to closure of factories.

Some steps should also be taken for the development of the tourism from which we can earn a lot of foreign exchange. Steps should also be taken to remove the blackmarketing. The example of the state of Punjab must be followed in the matter of abolishing the poverty.

We should fulfil the hopes of the electorate which has voted us to power.

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : एक प्रेरणादायक भाषण देने के लिए राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए मैं अपने मित्रों का साथ देता हूँ ।

इस बात को सभी जानते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रियों की आय तथा सुविधाएं प्रेस में निन्दा का विषय बन गया है। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मंत्रियों की आय तथा सुविधाओं पर हमें पुन: विचार करना है ताकि मतदाता इस बात को अनुभव कर सकें कि समाजवाद संबंधी उन्हें दिये गये वायदों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

सम्पत्ति अधिकार के बारे में मैं यही कहूँगा कि सरकार इस दिशा में गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार चल रही है। मुआवजे का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जिसे हल करने के लिए सरकार को चाहिए की भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करे।

भूमि अधिग्रहण कानूनों में भी यथाशीघ्र परिवर्तन लाना चाहिए ताकि नगरपालिकायें तथा अधिकृत निगम भूमि पर कब्जा कर सकें तथा मुआवजे का निर्णय अदालत ही करे। यदि गैर ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू किये जाने के लिए संविधान में मुआवजे संबंधी खंडों का संशोधन किया जाए तो नगरपालिकाओं, पंचायतों तथा सरकार को भूमि का अधिग्रहण करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : हमारे पड़ोस अर्थात् पूर्वी बंगाल में चुनाव होने के बाद भी याह्या सरकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता नहीं सौंपी गई है। इसके विपरीत उन पर टैंकों, नेपाम बमों आदि शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है, नरसंहार का जो तांडव नृत्य वहाँ हो रहा है उसे हम आँखें मूँद कर नहीं देख सकते।

दो राष्ट्र के सिद्धाँत द्वारा ही देश का विभाजन हुआ और हम लोग इस विभाजन के शिकार बने। खुशी की बात है कि कश्मीर ने इस सिद्धाँत को अस्वीकार किया, जो अब भारत का अभिन्न अंग है।

पश्चिमी पाकिस्तान सत्ता द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के आन्दोलन को नहीं दबाया जा सकता। हम सजगता के युग से गुजर रहे हैं और हम सबको पता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और जल्दबाजी से काम न ले।

श्रीमती इन्दिरा गांधी को भारतीय जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है और चुनाव में भारी बहुमत से विजय हुई है। भारतीय जनता हमसे आशा करती है कि हम उनकी अभिलाषाओं को पूरा करेंगे।

हमारे देश में 50 प्रतिशत से अधिक लोग भूमिहीन हैं। हरित क्रांति की बात की जाती है परन्तु इससे ग्रामीण जनसंख्या के उच्च एवं मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ है। निम्न वर्ग बिल्कुल अछूता रह गया है। समय की आवश्यकता है कि भूमि सुधारों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जाए ताकि भूमि जोतने वाला किसान भूमि का मालिक भी बन सके। ऐसा होने पर ही हरित क्रांति से लाभ उठाया जा सकता है। जिन किसानों के पास अलाभकर जोतें हैं, उन्हें अधिक भूमि दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी जोतों को लाभकर बना सकें और उन्हें खेती से संतोषजनक लाभ हो।

बेरोजगारी की समस्या को हल करने में विलम्ब नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र ही नये कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने और विद्युतीकरण का काम शुरू किया जाना चाहिए। जब तक ग्राम विद्युतीकरण नहीं होता, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो सकता और जब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होता, तब तक रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो सकते। अतः हमने अन्तरिम बजट और लेखानुदान विधेयक में जो व्यवस्थाएं की हैं, उससे अधिक किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षित बेरोजगारों को भी काम दिया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए शहरी आय, शहरी सम्पति और उपभोग की सीमाबंदी की जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि भूमिहीनों को भूमि, गृह-विहीनों को गृह तथा बेरोजगारों को काम दिया जाए।

श्री के० बालकृष्णन (अम्बलपुजा) : यह अच्छी बात है कि दल को भारी बहुमत प्राप्त हुआ है परन्तु साथ ही जिनको सत्ता प्राप्त हुई है, उन्हें सत्ता-मोह में यह नहीं भूल जाना चाहिए कि यह बहुमत किस कारण से उन्हें प्राप्त हुआ है। हमने मतदाताओं को यह वचन दिया था कि हम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार बनायेंगे और वह सरकार प्रगतिशील विधान बनाएगी, और गरीबी को दूर भगाने के लिए संघर्ष करेगी और समाजवाद की स्थापना करेगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि संसद के कार्य-काल में कोई भी सरकार समाजवाद के युग में प्रवेश कर सकती है। लेकिन सम्भव है कि यह संसद समाजवाद लाने के उद्देश्य में सफल हो।

मैं समुद्रवर्ती निर्वाचन-क्षेत्र से चुन कर आया हूँ। वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा नारियल तथा धान की खेती करना है। नारियल उद्योग संकटावस्था में से गुजर रहा है। केरल सरकार को इस मामले पर कार्यवाही करनी चाहिए, पर साथ ही केन्द्रीय सरकार को भी चाहिए कि वह केरल राज्य की अपेक्षित सहायता करे।

SHRI SATPAL (Patiala) : It has been cleariy mentioned in the Presidential Address that the people of this country want change in society. India cannot progress until policies regarding land reforms are implemented. Legislation was made almost in every State about land reform but thorough consideration was not given to the legislation. The main reason was that Government machinery did not want to see the schemes implemented. No scheme can be implemented unless the changes are not made in the administrative set-up. Mention has also been made to remove poverty. But I would like to know what steps Government are contemplating to remove poverty ? A ceiling should be imposed on urban properties.

People of our country are committed to abolish the privy purses of princes. I would like that the bill be introduced before this House. This problem should be given due consideration. It has also been mentioned in the Presidential Address regarding a crash programme for rural areas. But all our programmes are confined to papers only. I want that Central Government should extend their co-operation to the State Governments. I would suggest that a ceiling should also be imposed on upper income group, only then we can uplift the lower income group. It is very essential to curb monopoly and we should not hesitate in amending Constitution, if necessary. I appeal that Government should pay full attention to this matter.

SHRIMATI SAVITRI SHYAM (Aonla) : I rise to welcome the President's Address. On this occasion I would also like to congratulate Mrs. Indira Gandhi for her glorious success in the mid term elections.

I request the hon. Prime Minister to take some immediate steps to fulfil the aspirations of the people as they have shown their confidence in her leadership. Some new bill should be brought in the next session to show that we are progressing towards socialism. The Government now own the responsibility to remove social inequalities by making necessary changes in the constitution, if necessary. A committee should be formed to look into the constitutional provisions which need amendments.

The services should have faith in the Government policies otherwise it is not possible to implement them. So far as public sector is concerned, it has suffered a loss of Rs. 80 crores last year. It is a public money and it is the responsibility of the Government to check this loss. The Government should constitute a special cadre to run the Public Sector Undertakings efficiently.

So far as rural areas are concerned we should connect each and every village with roads first of all. It is a matter of great regret that inspite of 23 years of independence we lack good roads in the villages as a result of which the economy of rural areas has suffered a lot. I would, therefore, suggest the establishment of Village Road Corporation.

The prestige of the country has touched new heights yesterday when the Parliament passed a resolution unanimously on the happenings in East Bangal. We should use our good offices to mobilise public opinion against the genocide which is going on in East Bengal. We should also condemn the aggression of U. S. A. on Combodia, Laos and Vietnam. We should use our energy for establishing peace in the world.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय ! इस महान् प्रजातंत्रीय संग्राम में शान्ति, प्रगति और समाजवाद की शक्तियाँ विजयी हुई हैं। अब जनता में कोई कुंठा या निराशा नहीं है तथा उसे विश्वास है कि अब सुधार हो सकते हैं।

इस समय हमारे समक्ष यह समस्या है कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 1970 की इस दशाब्दी के अन्त तक 844 रुपये हो जानी चाहिए तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करना अनिवार्य है। श्रीलंका जैसे विकासशील देशों ने इससे भी अधिक प्रगति कर ली है।

औद्योगिक तथा खान उत्पादन में 1980-81 तक ढाई गुनी वृद्धि होनी चाहिए अर्थात् 1970-71 के लगभग 6,200 करोड़ रुपयों के मूल्य के उत्पादन को बढ़ाकर 1980-81 तक 15,300 करोड़ रुपया होना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूँजी निवेश के अनुपात में भी वृद्धि करनी होगी।

आगामी दशाब्दी में कृषि की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें लगभग 1·2 करोड़ टन उर्वरक का उत्पादन करना होगा। उद्योग को इस योग्य बनाना होगा कि वह 2 लाख ट्रैक्टर तथा 15 लाख विद्युत चालित पम्पों का उत्पादन कर सके।

कृषि कार्यों के लिए सड़क परिवहन तथा सड़क निर्माण उपकरणों की भी भारी माँग

होगी। इन कार्यों से लाखों ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 122 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के अल्प पूँजी निर्माण को बढ़ाकर चौगुना करना पड़ेगा।

वर्ष 1967-68 में 3,250 करोड़ रुपये की पूँजी लगाई गई थी जबकि आंतरिक बचत केवल 780 करोड़ रुपये थी जिससे 780 करोड़ रुपयों की कमी हुई थी। इस प्रक्रिया से हमारी आर्थिक प्रगति में सहायता मिलने के लिए अपेक्षित पूँजी निर्माण नहीं हो सकता। इस घाटे को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 15,000 करोड़ रुपयों की पूँजी लगानी पड़ेगी।

वर्ष 1980-81 तक हमारी अशोधित तेल के लिए माँग लगभग 4·5 करोड़ टन तक होने की संभावना है। तेल निकालने के कार्य की गति धीमी होने के कारण हमें दशाब्दी के अन्त तक अशोधित तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

बिजली की कमी से बचने के लिए हमें परमाणु-शक्ति के कार्य को आगे बढ़ाना होगा। हमें इस क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में विचार करना होगा तथा उन्हें आगे बढ़ाना होगा। पहले हमारे समक्ष खाद्यान्नों की समस्या बड़ी प्रबल थी किन्तु अब हमारे समक्ष बेरोजगारी की समस्या बड़ी गम्भीर है।

संक्षेप में हमारे समक्ष ये कार्य हैं किन्तु इन लक्ष्यों की प्राप्ति हमारे पास केवल नोकरशाही तंत्र ही है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि इस विकासोन्मुख दशाब्दी की नई माँगों को पूरा करने के लिए सरकार को इस नौकरशाही तन्त्र में परिवर्तन करना होगा। उनके रवैये में परिवर्तन करना होगा तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तियों को लाना होगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में भी परिवर्तन करना होगा तथा इसके लिए यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो वह भी किया जाना चाहिए। समस्त जनता से मिले आदेश के अनुसार गरीबी को हटाना होगा तथा यह तभी संभव हो सकता है जब गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों की रक्षा की जाए। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में तथा देश के प्रजातंत्रीय और प्रगतिशील वर्गों की सहायता से सरकार को इस क्षेत्र में पूरी सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : यह सच है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की सभी नीतियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया जा सकता, तथापि मैं अनुभव करता हूँ कि उसकी रूप-रेखा भी पर्याप्त नहीं है।

सभी समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वालों को इस बारे में बड़ी निराशा होगी कि अभिभाषण में राजनीति को प्रजातंत्रीय तथा मौलिक बनाए जाने से संबंधित जनता की माँगों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

दुर्भाग्य की बात है कि अभिभाषण में इस बारे में संतोष व्यक्त किया गया है कि षड-यंत्रों और संदेहों की अवधि समाप्त हो गई है। इसमें इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि लूट-पाट और दल-बदल की राजनीति अभी विद्यमान है तथा इससे मुक्ति पाने की ओर कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

चुनावों में अनुचित प्रक्रिया अपनाये जाने के संबंध में पर्याप्त चर्चा की गई है। मेरा तथा मेरे दल का सदा यही विश्वास रहा है कि जब भी चुनावों में कोई परिवर्तन किया गया है, उसके परिणामों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करना चाहिए।

दिखाई देने वाली अथवा दिखाई न देने वाली स्याही को लेकर आरोप लगाने की अपेक्षा हमें जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, अपनी पराजय के कारणों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना चाहिए। अतः हमें अपनी पराजय स्वीकार करने के साथ-साथ ठोस कार्य भी करना चाहिए तथा जहाँ कहीं अन्याय और अनुचित कार्य पाया जाए, उसके विरुद्ध शान्तिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया जाए। जो नीतियाँ मौलिक नहीं है हमें उनका लागातार विरोध करना चाहिए। अभिभाषण में मतदाताओं के बारे में मौलिक रवैया नहीं अपनाया गया।

मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अमिभाषण में संविधान में आवश्यक संशोधन करने की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया जिससे सामाजिक परिवर्तन में तेजी आ सके। उदाहरण के लिए संविधान संशोधन आयोग की स्थापना का सुझाव दिया जा सकता था किन्तु वह नहीं दिया गया।

डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों के संविधान के समान अपने संविधान में जान बूझ कर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे उसमें आगे संशोधन नहीं किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधनों का सुझाव दिया जा सकता था किन्तु नहीं दिया गया।

भूमि-सुधार के संबंध में भी अभिभाषण में इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया गया कि देश में भूमि के लिए भारी आन्दोलन हुआ है। यह आन्दोलन बड़े स्तर पर किया गया था तथा इसका यह प्रयोजन था भूमि का समान वितरण किया जाये। इस आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि प्रधान मंत्री को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना पड़ा। स्वयं प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में भूमि की अधिकतम सीमा को संशोधित करने का सुझाव दिया किन्तु बहुत से मुख्य मंत्रियों ने इस का विरोध किया। इससे स्पष्ट है कि स्वयं काँग्रेस (सत्तारूढ़) में नीतियों के बारे में मतभेद है। मेरा निवेदन है कि हरित क्रांति का तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक अमीर और गरीब दोनों ही प्रकार के कृषिकों की ओर ध्यान न दिया जाये। अभिभाषण में इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया।

मुझे यह कहते भी बहुत दुःख है कि अभिभाषण में औद्योगिक तथा कृषि मजदूरों के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। महोदय! स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले न्यूनतम आय और अधिकतम आय का अनुपात 1 : 110 था किन्तु अब यह अनुपात 1 : 320 हो गया है। गरीबी और अमीरी के इस अन्तर को कम करने के लिए कोई ठोस उपायों का सुझाव नहीं दिया गया है। खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार पर सामाजिक नियंत्रण करने के बारे में भी कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिससे उत्पादक तथा उपभोक्ता, दोनों के हितों की रक्षा हो सके तथा मूल्यों में स्थैर्य आ सके।

अभिभाषण में पूर्व बंगाल में हो रहे दमन कार्य के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

यह प्रश्न प्रतिरक्षा अथवा प्रजातंत्रीय अधिकार के नाते ही महत्वपूर्ण नहीं वरन् हमारे देश की धर्मनिर्पेक्षता संबंधी नीति के कारण भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक नेताओं ने भारतीय मुसलमानों का भारतीयकरण करने का नारा लगाया था जिससे कांग्रेस (सत्तारूढ़) को विजय मिली। किन्तु पूर्व बंगाल में रहमान ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित की। इस संबंध में भी अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

मुझे खेद है कि अभिभाषण में तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रजातंत्रीय प्रणाली के अनुकूल व्यक्त की गई इच्छाओं की ओर यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो इससे स्पष्ट है कि वह हिंसा और अनुचित गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहती है।

ज्ञात होता है कि विदेशी आक्रमण के समय देश की शक्तियाँ तथा जातियाँ संगठित होकर उसका मुकाबला करती हैं किन्तु जैसे ही राष्ट्रीय संकट समाप्त होता है, कुछ क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभर आती हैं तथा संगठन टूटने लगता है। महोदय ! ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अन्दर राष्ट्रीयता स्थायी राष्ट्रीयता न होकर आंशिक अल्पकालिक है। मेरा निवेदन है कि स्थायी और पूर्ण राष्ट्रीयता लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

SHRI NARENDRA SINGH BISHT (Almora) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Motion of Thanks moved by the hon. Member Shri B. R. Bhagat on President's address. Due to the paucity of time, I do not intend to go in its merits and demerits; I would like to refer to certain matters relating to my constituency.

If there is any lacuna in the President's Address, it is that it makes no mention in regard to the development of the backward areas. The hill region of Uttar Pradesh which includes the eight districts of Uttar Kashi, Chamoli, Tehri, Garhwal, Dehradun, Almora, Nainital and Pithoragarh also do not find any place in the Address. This particular region continues to be backward and the Government have paid no attention for its development. They have done something for the betterment of the people of Kashmir, Himachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur and Tripura, but the interests of 35 lakhs of people belonging ro these eight districts have been ignored both by the Central and the State Governments. For a long time, the people of this region have been demanding separate Statehood. A Hill Development Board is all that has been given to this region during the last three or four years. But its working is a sad commentary on the state of affairs. I think something could be bone if the Board was converted into a corporation with financial powers. But I am sorry to say that this Board functions only as an advisory body which has been completely ineffective so far actual work is concerned. This region sent a large number of people to our armed forces during the India-China and Indo-Pakistan wars. The people of this region have distinguished themselves for bravery and many have sacrificed their lives for the country and earned laurels. The Government must, therefore, pay attention to their demands and towards the development of that region. If it is not possible for the Government to grant Statehood to this region it must be given the status of an autonomous State within the State of Uttar Pradesh as has been done in the case of Meghalaya in Assam. Otherwise, it is impossible to develop this region properly. The budget of the State being very inadequate, the State Government cannot provide special assistance to this area. During the earlier Five Year Plans financial assistance of Rs. 24 crores and Rs. 4 crores was given by the Central Government and the State Government respectively. Through this assistance certain development work was done there, but it is a matter of great concern that the Central Government have discontinued the grants given to Uttarakhand Division which includes Chamoli, Uttar Kashi and Pithoragarh. My submission

is that the Government should continue that scheme. Besides, the districts of Tehri Garhwal, Almora, Nainital and Dehradun should also be given grants in the same proportion so that the innocent and poverty ridden people of these districts may be able to get some relief from the miseries of the life.

I would like to invite the attention of the Government to the fact that this area has also been adversely affected by the increase in the prices. All goods are supplied to them from the planes, but the freight charges are very high and the prices of commodities have reached nerve-breaking point. It is impossible for the poor hill people to make both ends meet. Therefore, I request that the Government should provide them all the necessities of life at subsidised rates. Besides foodgrains, Government should make other things also available to them from the fair price shops.

Another problme before the people of hill areas is that while the population there has increased considerably, there is no extra land available for their settlement. Refugees from Punjab and Bengal are being rehabilitated in Tarai Bhawar, but the interests of the people of hill areas are not being guarded. I, therefore. request that the Harijans, ex-servicemen and the landless people of hill areas should be given land in Tarai Bhawar on priority basis.

The raw materials in the hill areas are sent to the planes for the exploitation, for instance, the Star Paper Mills in Saharanpur has been purchasing the twisted pine-wood at a very low price. I request that the Government should ensure utilisation of this raw material at the source, that is, in the hill areas. Similarly, the resin is supplied to Indian Turpentine Factory in Bareilly at a very low price. I want that resin should also be utilised in this region in order to provide employment to the people of hill areas.

It is also necessary to set up a Radio Station in that region. The meter gauge Railway line running through Ramanagar Kathgodam and Tanakpur must be converted into a broad-gauge line.

These areas are also deprived of the telecommunication facilities. According to a Sanskrit Sloka, 'What sins a hungry man would not stoop down to do ?'

By now, the hopes of the down-trodden people of this region have turned into despair. If no steps are taken, I am afraid an agitation may start. A sense of resentment has been spreading among the people. I hope that now the Government would pay particular attention towards the grievances of these people and try to fulfil their legitimate demands. All the hon. Members of Lok Sabha from these areas belong to the Congress party and all of them have supported progressive programmes and the ideals enumerated by Shrimati Indira Gandhi. Therefore, the hopes and aspirations cherished by the people must not be brushed aside. If Government evince special interest in solving the problems of these people, I feel, they will contribute more effectively to the armed services in the country.

The Government should also pay attention for exploitation of mines in this area. Similarly, there are number of rivers in these hills and electricity, worth crores of rupees can be generated. Besides, the Government can also get minerals worth crores of rupees from that region. If these works are completed, I am sure this region would become self sufficient in all respects. With these words I conclude my speech. Thank you.

SHRI RUDRA PRATAP SJNGH (Bara Banki) : I use to support the Motion of Thanks moved by Shri Bhagat. The address of the President is like 'Ved' and it contains everything for a person who understands it and nothing for a person who does not understand it. Is has been made clear in the Address that all the policies of the Government will

be moulded in conformity with the aspirations of our people and the Fourth Plan will also be reviewed. The opposition parties should have welcomed it instead of moving amendments.

All the hon. Members of the House are interested in removing the poverty and unemployment from the country. In this connection, I would like to say that it is absolutely essential to check the increasing population if we are interested in removing poverty and unemployment from the country.

Efforts have been made to increase production and also to supply electricity to villages for irrigation purposes. Similarly, efforts have also been made to distribute the produce properly. It also seems justified to have ceiling on land.

We have also been hearing about ceiling on urban property. It should be done keeping in view the ceiling already imposed in U. P. The President in his Address has also made a mention about bringing improvement in administration and removing communalism. I would request the Government to check the separatist activities being carried out in the name of religion, community or region.

I hope the Government under the leadership of Shrimati Indira Gandhi will do good to the people by removing poverty and unemployment from the country.

SHRI NARSINGH NARAIN (Gorakhpur) : In the recent elections, two types of faces came before us. The reactionary forces have been defeated and the socialists have come out victorious. It would have been good for the country had there been only two parties in the country as is the case in Britain.

It is now being said that invisible ink has been used in the ballot papers. But if an enquiry is conducted by the C. B. I., the people will come to know that parties of the Grand Alliance had used unfair means in the election. In my own constituency leaflets had been distributed stating that I was not a candidate of the Congress. These parties even did not allow Shrimati Indira Gandhi to speak at public meetings.

I would like to say that if industries are not established in the villages and the work of rural electrification is not taken up, it will be difficult to remove poverty and unemployment from the country. Reappraisal should be done of the Fourth Plan. More attention should be paid to villages. Problems such as of housing and water supply in the villages should be solved. They are the real problems of the country.

Carnage is going on in Bangla Desh. Reactionary forces of the West Pakistan are working against the democratic forces. Not only India but all the domocratic countries of the world should condemn this massacre of the innocent and unarmed people of Bangla Desh.

I am thankful to the Chair for affording me an opportunity to speak on the Motion of Thanks.

श्री आर० एन० गोयन्का (विदिशा) : इसमें सन्देह नहीं कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य भारी बहुमत में यहाँ पर आये हैं, परन्तु उनको याद रखना चाहिए कि उनको केवल 40 प्रतिशत से भी कम मत पड़े हैं। यदि उनके समर्थकों को भी साथ मिला लिया जाये तो भी उनको 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए हैं। जो 50 प्रतिशत मत उनके विरुद्ध पड़े उनका प्रतिनिधित्व इस ओर के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इन चुनावों से ब्रिटेन में 1945 में हुए चुनावों की याद ताजा हो जाती है। वहाँ पर लेबर पार्टी ने लोगों को अनेक वचन दिये थे और

1945 में चुनाव जीत लिया था। परन्तु वह दल वचन पूरे न कर सका और पाँच वर्ष बाद वह दल चुनाव हार गया। मैं चाहता हूँ कि सत्तारूढ़ दल इससे सबक ले।

जहाँ तक चुनाव का संबंध है मैं इनका उल्लेख करना नहीं चाहता था परन्तु सत्तारूढ़ दल द्वारा बार-बार उनका उल्लेख किया जा रहा है। इस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसे पर्चे प्रकाशित किये गये थे जिन पर लिखा हुआ था 'रामनाथ गोयन्का बनाम कसाई'। यह भी कहा गया कि 'राम और सीता को जूते मरवाने वाला रामनाथ गोयन्का'। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने इसी मामले पर 1960 में कांग्रेस से त्याग-पत्र दिया था। मैंने इस मामले की ओर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज तथा पण्डित जवाहर लाल नेहरू का ध्यान दिलाया था।

इस संसद् में यह कानून पास किया गया था कि कम्पनियों को राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए परन्तु इसके बावजूद विज्ञापनों के नाम पर दलों को लाखों रुपये दिये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

यदि हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो हमें प्रशासन में सुधार लाना होगा। दूसरे हमें अधिकारियों तथा सचिवों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के कारखानों का संबंध है उनका प्रबंध नौकरशाही के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। इनको चलाने की जिम्मेदारी तकनीशियनों पर डाली जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनाथ गोयन्का : समय के अभाव के कारण मैं अपनी बात को पूरी नहीं कर सका।

श्री आर० कडनापल्ली (कासरगोड) : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में युवा पीढ़ियों की आकांक्षाओं तथा आशाओं को पूरी तरह प्रतिबिम्बित किया गया है।

केरल के युवकों तथा विद्यार्थियों ने महान् नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी का साथ दिया है। उन्होंने प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध विद्रोह किया है तथा वामपंथी दलों के लोगों को अलग-थलग कर दिया है, हमें पिछड़े लोगों की आशाओं को पूरा करना है। वे लोग चाहते हैं कि उचित दिशा में तेजी से प्रगति हो। अब समय आ गया है जबकि देश के युवकों को देश में आर्थिक स्वतन्त्रता लाने संबंधी संग्राम में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परियोजनाओं में युवकों की शक्ति तथा उनकी बुद्धि वैभव का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। छुट्टियों में परियोजनाओं में काम करने हेतु युवकों तथा विद्यार्थियों का एक 'वर्क ब्रिगेड' बनाया जाना चाहिए।

केरल में विश्वविद्यालय प्रशासन में विद्यार्थियों को भागीदार बनाये जाने का तजुर्बा सफल सिद्ध हुआ है। अतः इस अनुभव का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए।

अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली का पूरी तरह पुनर्विलोकन करना चाहिए ताकि इसको समाजवादी उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सके ।

उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । केरल में विद्यमान हथकरघा उद्योगों को आधुनिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए, सस्ते दामों पर सूत सप्लाई किया जाना चाहिए । बेरोजगारी की समस्या को विशेषकर केरल में पढ़े-लिखे युवकों में बेरोजगारी की समस्या को एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझ कर हल किया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री उन्नीकृष्णन (बडागरा) : यह सच है कि इस देश के भाग्य में किसानों के मतों से परिवर्तन आया है न कि किसी रसायन से ।

कुछ लोगों ने कल इस बात का उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में समाजबाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । इसका यह अर्थ नहीं कि यह सरकार समाजवादी कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं करेगी ।

हमारी समस्याएँ कई पहलुओं से जटिल तथा अनूठी हैं । हमारे यहाँ जनसंख्या वहुत है दक्षिण-पूर्वी एशिया की तरह हमारे यहाँ कृषि पर्याप्त वर्षा पर आश्रित नहीं है । मध्य पूर्व के देशों की तरह हमारे पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन भी नहीं हैं जिससे कि हम अपनी भुगतान शेष की समस्याओं को सुलझा सकें ।

अत: हमारी समस्याएं बुनियादी तौर पर अन्य देशों से अलग हैं तथा इन्हें सुलझाने के लिए हमें अलग दृष्टिकोण ही अपनाना होगा ।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्या हमारे लिए एक चुनौती है और हमें विश्वास है कि हम शान्तिपूर्ण क्रान्ति से इस चुनौती का मुकाबला कर लेंगे ।

कृषि क्रान्ति का समर्थन करने के साथ-साथ मैं सरकार का ध्यान गाँवों में उत्पन्न सामाजिक तनाव की ओर भी दिलाना चाहता हूँ । भूमिहीन किसानों की समस्या एक भूलभूत: समस्या है । केवल कृषि क्रान्ति का नारा लगा देने से काम नहीं चलेगा । हमें अपने दृष्टिकोण में मूल रूप से परिवर्तन लाना होगा अन्यथा ये भूमिहीन लोग विद्रोह कर सकते हैं और भविष्य में सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है ।

सरकारी क्षेत्र के योगदान से औद्योगिक प्रगति हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परन्तु इस क्षेत्र में प्रबन्ध व्यवस्था में हमें काफी परिवर्तन करने होंगे । प्रबन्ध और प्रबन्ध संबंधी संसाधनों की समस्या पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा । एक ओर प्रबन्ध संबंधी पदों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु सरकारी खजाने से काफी धन खर्च किया जा रहा है परन्तु यह खेद की बात है कि वास्तव में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति निजी उद्योगों में प्रबन्धक नियुक्त हो जाते हैं । हमें इस संबंध में भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा क्योंकि यह एक मूल समस्या है और इसका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य से है । मेरे विचार में सरकार को अपने वरिष्ठ सचिवों

को 6 वर्ष में एक बार उनके अपने जिलों में भेजना चाहिए जिससे उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान हो। अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार के सामाजिक परिवर्तन संबंधी इरादे स्पष्ट नहीं होते। इसमें तो केवल उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जो हम आगामी कुछ महीनों में करना चाहते हैं।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : The Telangana Praja Samiti leader has claimed that they have won majority of seats. This statement is misguiding. In 1952 the communist party had secured 90 per cent of the seats whereas this percentage was reduced to 10 per cent in 1962 and now it is 6 per cent only.Telangana Praja Samiti members this time got a lead of just five or six thousand votes.

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को तथ्यों का सही प्रतिपादन करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि शासक दल के कदाचारों के बावजूद मैं 90,000 मतों से जीता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ कहा और आपने उससे इन्कार कर दिया। यद्यपि इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं है, परन्तु मैंने अनुमति दे दी और आपका कथन कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित हो गया है। यही पर्याप्त है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : It may be pointed out that they have exploited the name of Indiraji and, therefore, they have been able to secure these few seats. Dr. Melkote belongs to Mysore. In Mysore he talks about Karnatak and while in Telangana he demands Telangana state.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक) : * *

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय सदस्यों को सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है।

श्री एस० बी० गिरि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने हमारे नेता डा० मेलकोटे को करनाटक का बताया है जबकि वे तेलंगाना के हैं और वह गत 15 वर्षों से इस सभा के सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : The election of Dr. M. Chenna Reddy was held void by the Supreme Court of India owing to certain charges of corrupt practices against him. Thereafter he started campaign for Telangana (*Interruptions*).

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी नये दृष्टिकोण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस से जनता को दिये गये वचनों को पूरा करने के संबंध में भी सरकार के किसी इरादे का पता नहीं चलता। चुनावों के दौरान जो वचन दिये गये थे, वे

* * कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* * Not recorded.

विल्कुल अस्पष्ट थे । वित्त मंत्री ने बताया था कि वह गरीबी दूर करेंगे । विश्व में सब से अधिक समृद्ध देश भी गरीबी समाप्त नहीं कर सका है । बेरोजगारी की समस्या के संबंध में कोई आँकड़े नहीं दिये गये हैं । योजना आयोग द्वारा किये गये विश्लेषण से पता चलता है कि इस देश में 2 करोड़ लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं और लगभग 4 करोड़ लोग नाममात्र के रोजगार में लगे हैं अर्थात वे एक मास में चार या पाँच दिन तक काम करते हैं और हमारी जनता के तीस प्रतिशत लोगों की बेरोजगारी का पता ही नहीं चलता । परन्तु यदि उन 2 करोड़ लोगों के विषय में भी विचार किया जाए जो पूरी तरह से बेरोजगार हैं तो भी हमें प्रतिवर्ष 50 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करनी होगी, बशर्ते कि इस संख्या में वृद्धि न हो । परन्तु हमारी जन-संख्या प्रतिवर्ष 57 लाख की दर से बढ़ रही है । अतः यदि कोई सुधार करना है तो सरकार को प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करनी होगी । अब स्थिति क्या है ? इस सरकार के कुछ सदस्यों ने कहा था कि प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी । इसके बावजूद हमें 450 लाख और लोगों के लिए रोजगार जुटाना होगा । हाल ही में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में 1 हजार नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी । फिर भी हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं । हमारा काम सरकार की आलोचना करना ही नहीं है । यह संसदीय प्रणाली है । शासन दल को 44 प्रतिशत मत मिले हैं और यदि 44 प्रतिशत मत प्राप्त कर वह 75 प्रतिशत के बहुमत का दावा करे तो यह प्रणाली समाप्त हो जाएगी । वित्त मंत्री ने सभा को बताया है कि 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर देने से सब कुछ ठीक हो जायेगा परन्तु यह राशि पंचवर्षीय योजना के इतर संसाधनों से आयेगी । इसका योजना के साथ कोई संबंध नहीं है । परन्तु इस समस्या से निपटने के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या व्यवस्था की गई है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । क्या इसके लिए अन्य देशों से राशि आयेगी अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था की जाएगी जिसका अर्थ अधिक नोट छापना और संतुलन बनाये रखने के लिए अधिक कर लगाना है । अतः यदि हमें इस समस्या से निपटना है तो कुछ योजनाओं की आलोचना कर देने मात्र से काम नहीं चलेगा । हमें इसके लिए 10-15 वर्ष की अवधि का कार्यक्रम तैयार करना होगा । सरकार को अपनी नीति सभा के समक्ष रखनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि कितने लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है, योजना का स्वरूप क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन-सी परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं । भारत की नदी-व्यवस्था, प्रत्येक राज्य में जलमार्गों को परस्पर संबद्ध करना अभी बाकी है । खनिज अयस्क विदेशों को भेजे जाते हैं । उनका उपयोग देश में नहीं किया जाता है, फिर समुद्र से प्राप्त हो सकने वाली सम्पत्ति की अभी तक खोज नहीं की गई है ।

जहाँ तक संसाधनों का संबंध है उन्हें हम घाटे की अर्थव्यवस्था करके अथवा अमरीका की पी० एल० 480 निधि से ऋण लेकर नहीं जुटा सकते । संसाधन जुटाने के लिए हमें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के हिस्से निर्धारित करने होंगे । गैर-सरकारी उपक्रमों का हिस्सा भी निश्चित होना चाहिए । उन्हें बताया जाना चाहिए कि उनको कितना हिस्सा देना है । इसी प्रकार बैंकों तथा अन्य संयुक्त उपक्रमों, बीमा निगम आदि को यह बताया जाना चाहिए कि इन साधनों को जुटाने के लिए उन्हें कितनी राशि की व्यवस्था करनी है । इसके अतिरिक्त जनता का योगदान है जो अल्प-बचत के रूप में सरकार को मिलना चाहिए । यदि हम वास्तव में गरीबी दूर करना चाहते हैं और सब के लिये रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं तो उपर्युक्त उपाय करने होंगे ।

परन्तु यदि गरीबी से और गरीबी बढ़ती है और अमीर और गरीबी के बीच की खाई और बड़ी होती है तो हम पीछे की ओर जाते हैं।

वस्तुओं के उत्पादन और उन्हें खरीदने की लोगों की सामर्थ्य के आधार पर मूल्यों का निर्धारण होता है। और हमारे देश में दोनों ही नहीं हैं। 1950 में मूल्य सूचकांक 100 मानें तो 1969 में वह बढ़ कर 179 हो गया। इस सूचकांक में तस्वीर का सही रूप नहीं मिलता।

पूर्वी बंगाल में जो हो रहा है वह मैं दोहराना नहीं चाहता। पर इतना कहना चाहता हूँ कि पूर्वी बंगाल की क्रान्तिकारी सरकार को तुरन्त मान्यता न देकर हमारी सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। यदि वह इसमें देरी करती है तो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्या सरकार इस संबंध में किसी की पहल की बाट देख रही है; किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी।

यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह तो राष्ट्रीय आन्दोलन है, उस अन्याय के विरुद्ध जिसके द्वारा पिछले 24 सालों में पूर्वी बंगाल को एक उपनिवेश बना दिया गया था। इस प्रकार पूर्वी बंगाल की स्थिति अद्भुत है। पाकिस्तान वहाँ नर संहार कर रहा है। भारत इसे चुपचाप नहीं देख सकता। यदि हम उसकी मदद उसे बिना मान्यता दिये करते हैं तो हम संसार में बदनाम हो जायेंगे और मान्यता देने पर उसे मदद देना हमारा अधिकार हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि भारत अपनी सेनाएं वहाँ भेजे जैसे कि पाकिस्तान के कश्मीर पर आक्रमण के समय हमने किया था। क्योंकि कश्मीर हमारा अविच्छिन्न अंग था। पर बंगाल के संबंध में मेरा कहना यह है कि हम मान्यता देने में जितनी देरी करते हैं उतना ही हम अपने लिए खतरा बढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम पूर्वी बंगाल को वियतनाम बना रहे हैं।

ब्रिटिश सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान को मदद देने की बात कही है। ऐसा उसने दूसरे देशों की सलाह के बिना नहीं कहा है। इसलिए हमें पूर्वी बंगाल को न केवल मान्यता देनी चाहिए बल्कि मानवीयता के आधार पर वहाँ के लोगों को सहायता भी देनी चाहिए तथा अपने लोगों को भी ऐसा करने से नहीं रोकना चाहिए।

जहाँ तक हमारी विदेश नीति का प्रश्न है हम उसमें बिल्कुल दीवालिए हो गये हैं। हमारी सरकार अभी तक जर्मन-जनवादी गणराज्य, दक्षिण वियतनाम की पीपुल्स गवर्नमेंट या उत्तरी वियतनाम की सरकार को मान्यता प्रदान नहीं कर सकी। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया तथा इण्डोचीन में हम केवल दर्शक मात्र हैं और वहाँ हो रहे अत्याचार और नरसंहार को देख रहे हैं। वियतनाम से सभी फौजों को हटाने की बात कहना निहायत गलत बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि वियतनामी स्वयं अपने ही देश से हट जायें।

देश में यातायात और संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान नहर को तीन वर्ष में पूरा करने की बात थी पर पन्द्रह वर्ष होने पर भी यह मामला अभी तक राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच चल रहा है।

राष्ट्रपति ने अपने भाषण में विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता का जिक्र बिल्कुल नहीं किया।

शक्तियों का विकेन्द्रीकरण न होने के कारण हमें वस्तु स्थिति का पता तक नहीं चल पाता और कोई काम नहीं हो पाता है। लोगों को दवाई आदि की सुविधा ठीक प्रकार नहीं मिल पाती।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह देश हमारा है और हमें इसके विकास और उत्थान के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए।

हमारे देश की पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग विदेशियों के हाथ में है। देश की मुद्रा की स्थिति सुदृढ़ नहीं है इसलिए उसे सुदृढ़ बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

SHRI SUDHAKAR PANDAY (Chandauli) : In the Presidential Address almost all the points have been covered about which assurances were given during elections. But I would like to draw your attention towards one point about which no mention has been made in the Address. There was no mention of language, literature and culture. If there is no mention of the language in which we asked for the notes, it cannot give us satisfaction.

Stress should be laid on the advancement of language, literature and culture. It is essential that Government should diclare its national policy in this respect.

[श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए]
[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

It has been repeatedly said that there should be national integration. But it cannot be done unless and until there is cultural development. Government should take the libraries and other centres of learning in their own hands, otherwise our property worth of crores of rupees will go out of the country resulting in the drain of our knowledge, science and arts belonging to middle age.

The Central Government has done nothing to develop Hindi or the regional languages. We have spent crores of rupees on the production of books. But we are expecting the Vice-Chancellors to produce books who never do anything worth-while in this field after writing their thesis.

Our next struggle will be with the bureaucracy. Unless we change the method of working of the bureaucrats, we can never bring about a change in our country. The production of the "Hindi Vishwakosh" is a commendable achievement, but its three volumes are not available for the last two years which is quite unjustifiable. With these words, I support the Motion of Thanks.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich) : It is not good for the defeated parties to make allegations against the Election Commission. The Election Commission is a statutory body and it has done a commendable job by conducting the elections in a firm, impartial and efficient manner. But the Commission does not have any independent officials to discharge this function. They have to take the help of the district authorities for conducting the elections and this is impossible that these authorities should not be influenced by the respective Governments of the States, as different States have Governments of different parties. Therefore, it is necessary that it should have an independent body for its purpose.

The second thing I want to say is that now the Congress is free from the capitalist element and it is in a position to remove poverty and unemployment and it can bring socialism without any difficulty. All the pro-capitalists had been defeated and Congress is free from their clutches. In the light of all this, I can firmly say that poverty and unemployment will surely be removed from the country.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : पश्चिम बंगाल में प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों को पैरों तले रौंदा जा रहा है। काँग्रेस को यहाँ सत्ता में लाने के लिए प्रत्येक प्रकार के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं।

चुनाव से पहले और उसके बाद पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को काँग्रेस विरोधियों। का दमन करने की पूरी छूट दे दी गई थी। मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया गया नवयुवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें सताया गया और उनकी हत्या कर दी गई, परन्तु कोई जाँच पड़ताल नहीं की गई। हमने व्यक्तिगत आतंकवाद की बार-बार भर्त्सना की है। हमने पुराने देशभक्त श्री हेमन्त बसु की पाश्विक हत्या की घोर निन्दा की है और अपराधियों को दण्ड दिये जाने की भी माँग की है। सत्तारूढ़ काँग्रेस ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का वातावरण उत्पन्न कर रही है।

जब यह सरकार प्रजातान्त्रिक ढंग से शोषणकर्त्ताओं को संरक्षण नहीं दे पाती तो अपनी जमीन और जीवन-निर्वाह योग्य वेतन के लिए संघर्षरत जनता पर पाश्विक अत्याचार करती है। पश्चिमी बंगाल मे मार्क्सवादी सरकार ने 7 लाख एकड़ खास और बेनामी भूमि का वितरण किया था। हमने जूट कर्मचारियों, चाय बागान कर्मचारियों, सूती मिल कर्मचारियों और इंजीनियरिंग कर्मचारियों के वेतन में 50 करोड़ रुपये सालाना की वृद्धि की थी।

अगर यह सरकार "गरीबी हटाओ" नारे के प्रति ईमानदार है, तो पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों और किसानों का दमन बन्द होना चाहिए। मार्क्सवादी कम्युनिसट पार्टी संघर्षरत जनता का हृदय है और उसे कुचला नहीं जा सकता।

श्री अनन्त राव पाटिल (खेड़) : इन चुनावों के द्वारा शान्तिपूर्ण परिवर्तन के लिए जनता ने भारी बहुमत प्रदान किया है और अब उसे कार्यरूप में परिणित किया जाना है। जनता को दिये हुए वायदों को पूरा करने के लिए यह सरकार वचनबद्ध है और इसलिए सरकार को इस प्रकार की नीति एवं कार्यक्रम को अपनाना चाहिए जिससे कि निर्धनता और सामाजिक अन्याय को समाप्त किया जा सके।

ग्रामीण रोजगार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षितों में ही बेरोजगारी की समस्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के अर्द्ध-शिक्षितों व अशिक्षितों में भी बेरोजगारी की समस्या है। अगर इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों की समस्या गम्भीर रूप धारण कर सकती है। जहाँ तक कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रश्न है, हम एक भूमि-सेना का गठन कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाओं में भी वृद्धि होगी। 70 लाख शिक्षित नवयुवक रोजगार की खोज में हैं। इसी युवा पीढ़ी ने इन चुनावों में महत्वपूर्ण योग दिया था और वे भविष्य के चुनावों में भी योगदान करेंगे। अत: उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आवास की समस्या महानगरों और शहरी क्षेत्रों की ही समस्या नहीं है। ग्रामीण क्षत्रों में भी आवास की समस्या गम्भीर होती जा रही है और इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

देश की 75 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है और उनमें से 80 प्रतिशत व्यक्ति खेती करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है परन्तु कृषि की सर्वाधिक उपेक्षा की गई है। 80 प्रतिशत भूमि के लिए अभी भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नई तकनीक और जल सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन है। समाजवाद की दिशा में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 20 वर्ष पूर्व पट्टेदारी और अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम पारित कर दिये गये थे, परन्तु अन्य राज्यों ने अभी तक ये कानून पारित नहीं किये हैं। अगर कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में साथ-साथ विकास होता है, तो समाजवाद के लक्ष्य की ओर शीघ्रता से अग्रसर हुआ जा सकता है।

चुनाव में जनता अपनी भूमिका अदा कर चुकी है। अब उसे गरीबी मिटाने के लिए अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना होगा। जनता को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित करना होगा। जन-प्रसार के सभी साधन, समाचारपत्र आदि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में हैं। विशाल उद्योग-गृहों का समाचारपत्रों पर नियन्त्रण है। हमें उन पर नियन्त्रण करना होगा ताकि उनका प्रयोग जनता की प्रगति और गरीबी हटाने के लिए किया जा सके।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूँगा कि अब समय आ गया है जबकि हमें बंगला देश को मान्यता दे देनी चाहिए और अपने जनतान्त्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही जनता का समर्थन करना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर (पंज़िम) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

देश में व्याप्त अनिश्चितता के वातावरण के कारण दो वर्ष पहले देश की जनता चिन्तित थी। आम जनता का जीवन भी खतरे में था। देश में अनेकों नेता थे, परन्तु जनता की रक्षा करने वाला कोई भी नेता नहीं था। इस विशाल देश की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता के बीच से ही किसी को नेतृत्व संभालना था। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें वह नेता मिल गया है। आम आदमी अब संतोष की साँस ले सकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में वे सभी कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किये जा सकते थे जो अगले वर्ष या इस समय की पूरी अवधि में क्रियान्वित होने हैं। यह तो इसकी भूमिका मात्र है।

यह एक ऐसा अवसर है जब सदस्य अन्य बातों की ओर भी संकेत कर सकते हैं। मैं इस सदन का ध्यान गोआ, दमन और दीव के केन्द्र शासित प्रदेश की जनता की उस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की महत्वाकांक्षा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

यह सदन गोआ के स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास से पूर्णतः अवगत है। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी हत्या की गई, कुछ को पुर्तगाल और अफ्रीका की जेलों में रखा गया। मुझे स्वयं 10 वर्ष तक पुर्तगाल में राजनैतिक निर्वासन दिया गया था।

गोआ की जनता ने 'जनमत' संग्रह के द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में रहने के पक्ष में मत दिया। इस बारे में सदन द्वारा की गई व्यवस्था को ही जनता ने स्वीकार किया।

अब सभी विरोधी माँगें समाप्त हो जाने पर गोआ की जनता की महत्वाकाँक्षा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की है। इस सदन में सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार की नीति सभी संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की है। अगर गोआ को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है. तो गोआ में हुए 'जनमत' संग्रह के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी।

गोआ की जनता को इस बात पर हर्ष है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में पहले ही आश्वासन दिया जा चुका है। अब गोआ को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस माँग का समर्थन करेंगे।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : यह अत्यधिक खेद और दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तेलंगाना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तेलंगाना का आन्दोलन पिछले तीन वर्षों से चल रहा है।

यह आन्दोलन जनवरी, 1969 में चालू किया गया था। यह कहना गलत है कि यह आन्दोलन असन्तुष्ट राजनीतिज्ञों द्वारा शुरू किया गया था। यह आन्दोलन डा० चेन्ना रेड्डी द्वारा भी शुरू नहीं किया गया था, वह तो उस समय केन्द्रीय सरकार में मंत्री थे। इसे छात्रों द्वारा अनेक अन्यायों की वजह से शुरू किया गया था।

आन्ध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में की गई थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री नेहरू ने आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र की जनता के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दिया जायगा। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में कुछ सुरक्षात्मक उपाय भी किये गये हैं। 14 वर्ष बाद यह आन्दोलन छात्रों द्वारा प्रारम्भ किया गया था। आन्ध्र प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग नहीं लिया। वे अपनी समस्याओं से घिरे हुए थे और अपनी सुरक्षा के बारे में चिन्तित थे। उन्हें मंत्रिमंडल में या अन्य जगह बड़े-बड़े पद प्राप्त थे। यह आन्दोलन श्री मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ था। फरवरी में नवयुवकों ने तेलंगाना प्रजा समिति की स्थापना की और उसके बाद यह आन्दोलन चल रहा है और माननीय मंत्री परिणाम से अवगत हैं। बड़े ही दुःख की बात है कि सदन में इस समस्या पर कई बार चर्चा की गई पर इसका समाधान नहीं किया गया। उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह आन्दोलन निराश राजनीतिज्ञों और शरारती लोगों द्वारा शुरू किया गया है और इस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। लेकिन घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि इस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त है या नहीं। तेलंगाना की स्थिति पूर्वी बंगाल की स्थिति से मिलती जुलती है। अन्तर केवल यह है कि पूर्वी बंगाल पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और हम भारत में रहना चाहते हैं। भारत सरकार को पूर्वी बंगाल के लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है पर तेलंगानावासियों के साथ नहीं। लेकिन जब भी हम आन्दोलन करते है, हमें रोका जाता है। आप जानते हैं कि आन्दोलन के दौरान श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने लगभग 350 व्यक्ति जान से मरवा दिये। जब राज्य पुलिस से काम नहीं चला तो उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता ली…

सभापति महोदय : माननीय सदस्य उस व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो इस सदन में नहीं है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : माननीय सदस्य केवल ब्रह्मानन्द रेड्डी की सरकार का हवाला दे रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कल सदन के दूसरी ओर के सदस्यों ने कम से कम 6 बार श्री ज्योति बसु का नाम लिया और ऐसी बातें कहीं जो सत्य से कोसों दूर थीं परन्तु किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया । ऐसा क्यों ? अत: मेरा अनुरोध है कि सदन को इन मामलों पर चर्चा करने की छूट होनी चाहिए ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ । मेरा अभिप्राय केवल ब्रह्मानन्द रेड्डी की सरकार से था । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने 350 व्यक्तियों को जान से मार दिया । कई हजार लोग जेलों में गये, हजारों घायल हो गये । इस पर भी सरकार सजग नहीं है और समस्या का समाधान नहीं कर रही । मैं चेतावनी देता हूँ कि यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से आन्दोलन शुरू करेंगे । यह आन्दोलन पूर्वी पाकिस्तान की तरह होगा । **(व्यवधान)** हम भारत से अलग नहीं होना चाहते । लेकिन हमें आन्दोलन करने के लिए विवश न किया जाए । सदन के सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे श्रीमती इन्दिरा गाँधी से कहें कि तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया जाए । मुझे आशा है कि वह स्थिति पर विचार करेंगी और शीघ्र ही अलग तेलंगाना राज्य की घोषणा करेंगी ।

श्री कार्तिक उरांव : (लोहरदगा) : इस सरकार को चुनावों में भारी बहुमत प्राप्त हुआ है । अत: सरकार किसी भी विषय पर अटल और स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में है । जनता ने सरकार को भारी बहुमत देकर सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है । सरकार के पास सभी साधन उपलब्ध हैं, अत: इसे चाहिए की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करे । सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्र का शोषण न किया जाए । मैं माननीय मंत्री का ध्यान छोटा नागपुर की ओर दिलाना चाहता हूँ । वहाँ कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं परन्तु उससे वहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा । परियोजनाएं क्षेत्रीय असमानता को दूर करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई थीं; परन्तु स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा । ये परियोजनाएं राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं । मुझे इस बात का दु:ख नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों के अर्हता प्राप्त इंजीनियर परियोजनाओं में काम करें । परन्तु स्थानीय लोगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । उन्हें रोजगार के अवसर दिये जाने चाहिये । छोटा नागपुर की परियोजनाओं में काम करने वाले अधिकतर लोग उत्तरी बिहार और दूसरे क्षेत्रों के हैं और स्थानीय लोगों की संख्या बहुत कम है । होना यह चाहिए कि स्थानीय लोगों की संख्या अधिक हो और बिहार तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों की संख्या कम हो ।

सरकारी उपक्रम घाटे में चल रहे हैं । 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लाभ होने की वजाय 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है । उद्योग मंत्री को चाहिए कि सरकारी उपक्रमों के प्रत्येक अध्यक्ष को बताएं कि यदि वह अपने पद पर रहकर उपक्रम को लाभ नहीं पहुँचा सकता तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

दु:ख की बात तो यह है कि यदि कोई अध्यक्ष एक उपक्रम को लाभ पहुँचाने में असमर्थ रहता है तो उसे किसी अन्य उपक्रम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

प्रत्येक क्षेत्र को शोषण तथा भाषागत आधारों से मुक्त किया जाना चाहिए। भाषागत आधार पर राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी क्षेत्र, चाहे वह विकसित हो अथवा अविकसित, सरकार को उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आदिवासियों के कल्याण के बारे में कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की देखरेख करें। हमें उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि सरकार को भाषागत और धर्मगत समस्याओं से इस प्रकार से छुटकारा पाना चाहिए कि भारतवासी अपने को हिन्दू या मुसलमान न समझकर भारतीय समझें।

SHRI LALJI BHAI (Udaipur): Mr. Chairman, Sir, in the Presidential Address nothing has been mentioned about the problems of tribals and businessmen. A businessman has to pay heavy taxes, which are a big drain on his capital. Secondly, the money which comes from America for constructing dams, digging canals and helping tribals is not spent upon them and that goes to the pockets of vested interests. We cannot bring socialism in this way. If we want to bring socialism, we will have to see that dishonesty and corruption are eliminated. Thirdly, in my constituency farmers are still landless. I request that they should be provided land as well as electricity. We will have to make efforts to remove the slur of corruption and dishonesty. If the present regime does not keep its words, its existence will be in danger.

श्री गोटखिंडे (सांगली) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का हार्दिक समर्थन करता हूँ। राष्ट्रपति का कथन ठीक है कि देश की जनता ने खूब सोच-समझ कर सरकार को पूरा समर्थन दिया है और जनता को आशा है कि सरकार देश की सेवा करेगी। हारे हुए प्रत्याशी यह आरोप लगाते हैं कि मतपत्रों पर रासायनिक स्याही का प्रयोग किया गया, सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया और बड़ी मात्रा में धन व्यय किया गया। परन्तु निर्वाचन आयोग ने इन आरापों को त्रुटिपूर्ण, आधारहीन और मनगढ़न्त बताया है। उस दिन सदन में तथाकथित मतपत्र पेश किये गये थे। परन्तु वे तथाकथित मतदान पत्र सरकारी गोदाम से नहीं लाए गये थे। ऐसा तो केवल विपक्षी दलों ने अपनी हार से खीजकर किया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या श्री वाजपेयी के लिए यह उचित था कि वह सदन में उन मतपत्रों का हवाला दें जो सरकारी गोदाम से नहीं लाए गये थे? विपक्षी दलों का कहना है कि कांग्रेस को केवल 44 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः कांग्रेस ने हर पाँच सीटों पर चुनाव लड़ने पर एक सीट खोई, जनसंघ और स्वतंत्र दल ने हर 7 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 6 सीटें खोईं, सिन्डीकेट ने हर 15 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 14 सीटें खोईं और संसोपा ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने पर 29 सीटें खोईं। इस प्रकार भारतीय जनता के हाथों विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा।

बढ़ती हुई परिस्थितियों में हम न केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं बल्कि जनता के भी प्रतिनिधि हैं। जनता चाहती है कि राजनीतिक मामलों में राजा-महाराजाओं का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और केन्द्र की आर्थिक नीति बड़े व्यापार-गृहों के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए।

कहा जाता है कि कानून ईश्वर के हृदय में निवास करता है और उसकी वाणी संसार को न्याय प्रदान करती है। संविधान के मूलभूत स्तम्भों में से न्यायपालिका एक है। न्यायपालिका पर लांछन लगाया गया है कि यह 'पक्षपातपूर्ण न्यायपालिका' है। मेरा अनुरोध है कि सदन में ऐसी बातें नहीं कि जानी चाहिएं क्योंकि इससे जनता न्यायपालिका के बारे में गलत धारणा बना सकती है। न्यायपालिका का विद्यमान स्वरूप यह है कि वह बिना किसी डर या पक्षपात तथा राग-द्वेष के अपना कार्य करती है पर साथ ही साथ जनता यह आशा करती है कि न्यायपालिका को बदली हुई परिस्थितियों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए।

SHRI MULKI RAJ SAINI (Dehradun) : I rise to support the Motion of Thanks on the Presidential Address. Poor and exploited people of India felt that socialism could be brought only under the leadership of Smt. Indira Gandhi. Actually, the theory of socialism came into existence 15 years ago but it was not implemented. The main reason for its non-implementation was that there was a group of members, who were in collusion with big industrialists and who were dominating and they were against the theory of socialism. Consequently, 65 members defected and joined Syndicate. Although Indira Government was in minority, even then they took two steps towards socialism—abolition of Privy Purses and Nationalisation of Banks. That is why people of India supported Smt. Indira Gandhi overwhelmingly. Some members allege that chemical ink was used to gain absolute majority. In fact, they are deceiving themselves as people of India have already made up their mind to support the party led by Smt. Indira Gandhi.

There have been many leaders like Mahatma Gandhi who said that facilities of education, marketing etc. should be provided in villages. But it is a matter of regret that this did not engage the attention of the Government. We are committed to remove poverty and unemployment. But we can keep our words provided we have sufficient funds. Our funds are not increasing because cases of tax evasion, theft of railway goods and non-recovery of taxes continue. Therefore, we will have to improve our Government machinery. Unless we shape our adminstrative set up on a socialistic pattern, our legislative and executive wings would remain ineffective.

SHRI AMBESH (Firozabad) : I would like to say a few words in connection with the Motion of Thanks on the President's Address. There had been complaints of intimidation of the poor and the weaker sections of society during the election. During the recent elections, some people who voted for the congress, were tortured. Atrocities are being committed in their villages. This is a disgraceful act. The Election Commission will have to think on some measures to prevent such unfortunate incidents. The Capitalists and the Conservatives have adopted a policy of intimidating the poor people when they found that people were going to vote against them. They prevented them from casting their votes. This is a serious matter and the Government should look into it.

I find there is no mention in the President's Address of Public Sector Undertakings incurring losses worth crores of rupees every year and also of the Government officials not following the policies of the Government. Although problems of water, electricity and roads have been referred to in the address as usual but these matters remained unattended during the last 24 years.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजी कोड) : इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधान मंत्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी को संवैधानिक तरीकों से मूलभूत सुधार करने के लिए भारी बहुमत मिल गया है और आशा है कि बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। संतोष का विषय है कि धर्म-निर्पेक्षता एवं प्रजातंत्र की जड़ें हमारे देश में मजबूत हैं।

अब यह सत्ताधारी दल का उत्तरदायित्व है कि वह श्रमशील सामान्य जन-समुदाय की समस्याओं का निपटारा करे।

मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के उच्च वर्गों को अपनी अतिरिक्त सुविधाओं एवं विलास-साधनों और जमा की गई सम्पत्ति को जन-कल्याण के लिए त्याग देना चाहिए जिससे कि निम्न वर्गों की स्थिति सुधारी जा सके।

मंत्रियों के लिए भी उचित है कि वे बड़े-बड़े बंगलों को छोड़कर साधारण रहन-सहन अपनाएं जिससे कि लोगों को राहत मिले।

शिक्षक बेरोजगारों की अभिभाषण में चर्चा की गई है। परन्तु मुझे खेद है कि उक्त समस्या के समाधान की ओर कुछ भी संकेत नहीं किया गया है।

कांग्रेस ने प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों के लिए रोजगार देने का वचन दिया है परन्तु मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 50 लाख बढ़ जाती है। केरल में तो यह समस्या और भी विकट है। इस समस्या का समाधान औद्योगिकीकरण उत्पादकता द्वारा किया जा सकता है।

केरल के अतिरिक्त दक्षिण के सभी राज्यों में इस्पात कारखाने हैं। कालीकट के कच्चे लोहे के भण्डारों की खोज भी नहीं की गई है। मत्स्य उद्योग की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। पोत निर्माण प्राँगण के निर्माण का वर्षों पहले आश्वासन दिया गया था जिसे पूरा नहीं किया गया है।

मुसलमानों की जनसंख्या 15 प्रतिशत है परन्तु केन्द्रीय सेवाओं में उन्हें 2-3 प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं। इस प्रकार के भेदभाव किसी भी सम्प्रदाय के प्रति पक्षपात किये बिना दूर होने चाहिएं। साम्प्रदायिक दंगों की समस्या स्वाधीनता से ही बनी हुई है। उक्त समस्या की ओर पूरी निष्ठा के साथ कार्यवाही नहीं की गई। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस समस्या का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस समस्या का उचित हल निकालेगी।

अलीगढ़, मुरादाबाद, पीलीभीत और कई अन्य स्थानों पर मुसलमानों को चुनाव के दौरान तंग किया गया था। मुरादाबाद में तो उन पर कर्फ्यू के दौरान भारी अत्याचार किये गए थे। मैं चाहता हूँ कि उसकी जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाए

अन्त में, मैं चाहता हूँ कि सभी समुदायों को न्याय मिले तथा जनतांत्रिक समाजवाद की शीघ्र स्थापना की जाए।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): I am sorry that the problems of Kashmir has not been mentioned in the Presidential Address. Sheikh Abdullah, who is responsible for accession of Kashmir into india, was arrested in 1953 and was detained for 17 years. Your claim that elections have been fair is not tenable.

SHRI RAJ BAHADUR : How can you say so? How have you come here then ?

SHRI S. A. SHAMIM : I will reveal the story as to how free elections have hot been held. Prior to elections restrictions were imposed on Sheikh Abdullah. During 1962 and 1957 elections he was in jail. By keeping great leaders in jail you held elections only to put up a show.

SHRI RAJ BAHADUR : Is Sheikh Abdullah prepared to take oath regarding Kashmir's accession to India ?

श्री एस० ए० शमीम : मैं यहाँ शेख अब्दुल्ला की वकालत करने नहीं आया हूँ। मैं भारत के संविधान की, प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए आया हूँ। द्र० म० क० दल के सदस्य भी संविधान की प्रतियाँ जलाया करते थे। मुझे उम्मीद है कि यदि शेख अब्दुल्ला और काश्मीर के लोगों पर विश्वास करेंगे तो वे लोग देश की जनतांत्रिक संस्थाओं में भाग लेंगे।

श्री राज बहादुर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी व्यक्ति की निष्ठाओं के संबंध में चर्चा की जा सकती है ?

श्री एस० ए० शमीम : मैं किसी एक व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN : The hon. Members should confine themselves to the merits and failings of the Presidential Address.

SHRI S. A. SHAMIM : The address does not refer to the non-existence of democracy in Kashmir, which is an integral part of India. If we really want to bring Kashmir nearer to the rest of India and also its emotional integration, we should endeavour to solve the problems of the State.

श्री एम० एम० जोज़फ (परिमाडे) : संतोष का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि के क्षेत्र में नये तकनीकी ज्ञान के उपयोग का उल्लेख किया गया है, परन्तु खेद है कि उसमें रबर, चाय बागान आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में पैदा होने वाली रबर का 80 प्रतिशत केरल में पैदा होता है। उससे एक लाख पचास हजार लोगों को रोजगार मिलता है। मलाया और लंका की अपेक्षा भारत में रबर की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। रबर की माँग बढ़ती जा रही है। सरकार ने रबर का मूल्य 520 रु० प्रति क्विंटल नियत किया है परन्तु छोटे बागान वालों को केवल 470 रु० ही मिल पाते हैं। सरकार को उन्हें संरक्षण देना चाहिए।

बड़ी इलायची के कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत भारत में पैदा होता है और उसका 54% मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उगाया जाता है। यह मसालों में अत्यन्न स्वादिष्ट है तथा इससे पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। परन्तु उसके विकास पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके तथा चाय और काफी के बागान की समस्याओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1971/12 चैत्र, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April, 2, 1971/Chaitra 12, 1893 (Saka.)

न्यू इण्डिया प्रिंटिंग प्रेस, खुरजा।